खण्ड-271, अंक-5
गुरूवार, 9 चैत्र, शक संवत् 1889
(30 मार्च, 1967 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 271 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ३० मार्च, १९६७

विधान सभा का बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३६२

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अनन्त राम, श्री
अब्दुलखालिक, श्री
अयोध्या प्रसाद श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अशर्फी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, "राकेश", श्री
अहमबउल्ला खां, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झांसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम छन्नन गुरू)
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशन सिंह श्री
किशुनलाल, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरी लाल, श्री
केशव देव, श्री
खूबसिंह, श्री
खैमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्तसिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री

गयाप्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गिरिराजसिंह, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गँदासिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपाल रामदास, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरीराम, श्री
गौरीशंकर सराफ श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्यामगिरि, महन्त
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगत सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगबीरसिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जिनेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगल किशोर, श्री
जैदत्तसिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टंबरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकमसिंह, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दलसिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराजसिंह, श्री
देव राम, श्री
देवीवरण अग्निहोत्री, श्री
देवीदयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
देशराजसिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मराज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मसिंह, श्री
ध्रुवकुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवल किशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री

नेमपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पच्चर राम, श्री
पातोराम अहरवार, श्री
पीतमसिंह, श्री
प्यारे लाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रतापसिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारूक चिश्ती, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंग बली, ब्रह्मचारी
बदनसिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बद्री प्रसाद अवस्थी, श्री
बलबीर सिंह, श्री (मेरठ)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्त लाल, श्री (लखनऊ)
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबू सिंह, श्री
बिशन लाल, श्री
बृज किशोर, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बृजमोहन दास अग्रवाल, श्री
बेवनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेवनराम, श्री (वाराणसी)
बनी बाई, श्रीमती
बेनीसिंह अवस्थी, श्री
बजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गू राम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारतसिंह चौहान, श्री
भोखालाल, श्री
भोमा प्रसाद, श्री
भुवनेश भूषण, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगला प्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्सादीन श्री
मलिखानसिंह, श्री
महरमसिंह, श्री
महिपालसिंह, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रप्रताप सिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मारकण्डे, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायम सिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल आचार्य
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)

रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रतापसिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राधे श्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
राम अचल सिंह सेंगर, श्री
राम अधार, श्री
राम अधीन सिंह, श्री
राम आसरे, श्री
रामकरन, श्री
रामकिंकर, श्री
राम किशोर, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलारे पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
राम नाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
राम नारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति "अंचल", श्री
रामरतन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
रामसरन सिंह, श्री
रामसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूप नारायन, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लटूरीसिंह, श्री
लाखन, श्री
लालकृष्ण कुमार पाल, श्री
लालन शर्मा, श्री
वरमेश्वर पाण्डेय, श्री
वसीनकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झंगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी

शकुंतला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतलाप्रसाद सिंह, श्री
शुगन चन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री
(उपनाम लाली शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्तवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खन लाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरिनेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरि बाबू)
हरिहरबख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्रसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकमसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५३ के अन्तर्गत सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७, जो विधान सभा द्वारा २१ मार्च, १९६७, को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के, दिनांक २९ मार्च, १९६७, को वापिस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६–६७ का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, १९६७

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६–६७ का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, १९६७, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २० मार्च, १९६७, को बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २१ मार्च, १९६७, को वापस प्राप्त हो गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २६ मार्च, १९६७, को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६७ का पहला अधिनियम बन गया।

मिर्जापुर की तथाकथित भुखमरी से संबंधित मुख्य मंत्री के भाषण को गलत छापे जाने के सम्बन्ध में सम्पादक "स्वतंत्र भारत" दैनिक समाचार-पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

यह एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना है। दिनांक २९-३-६७ को दैनिक "स्वतंत्र भारत" में मिर्जापुर की भुखमरी के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री, श्री चन्द्र भानु गुप्त जी के वक्तव्य को प्रकाशित किया गया जिसमें बताया गया कि भूख से मौत बेबुनियाद है, जैसा कि संसोपा सदस्य श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी राकेश ने होली पूर्व अधिवेशन में उस पर सदन को यह सूचना दी थी कि वहां पर अब तक १५० मौतें भूख से हो चुकी हैं। किन्तु दिनांक २९-३-६७ को ही श्री गुप्त जी ने उक्त वक्तव्य का खंडन सदन में किया और कहा कि मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया। इससे स्पष्ट रूप से सदन का अवमान हुआ है। अतः मैं सम्पादक "स्वतंत्र भारत" के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित करता हूं। यह विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी द्वारा भेजी गई है।

मैंने इसे देखा। हमारे नियम और सारी परम्पराओं के अनुसार जो सदन की कार्यवाही है उसके सम्बन्ध में अगर कोई गलत बयानी हो किसी व्यक्ति द्वारा या किसी पत्रकार या पत्र द्वारा की गई हो तभी अवमान का प्रश्न उठ सकता है। श्री चन्द्रभानु गुप्त के किसी सदन के बाहर दिये गये वक्तव्य को, किसी अखबार ने गलत छापा या पत्रकार द्वारा गलत दिया गया या सही, इससे सदन से कोई सम्बन्ध नहीं है। न वह सदन के अवमान का प्रश्न बन सकता है। अगर माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त जी यह समझते हों कि वह बयान गलत है तो वह स्वयं उसके लिये कार्यवाही कर सकते हैं, अखबार से अपना सम्पर्क स्थापित करके या जैसे भी चाहें।

सदन में कांग्रेस दल की सदस्य संख्या के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, आपसे निवेदन किया गया था और आपने आश्वासन भी दिलाया था कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या कितनी है, यह आप घोषित करेंगे और उस तरफ से पूछेंगे भी। आज स्थिति कुछ बदल गई है। आपने भी प्रातः काल समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और मुझे व्यक्तिगत जानकारी भी है कि चौधरी चरण सिंह के यहां मीटिंग हुई जिसमें बहुत से सदस्य शामिल हुये और अपना एक अलग से दल बनाने का निश्चय किया। इससे कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या और कम हो गई है। ऐसी सूरत में यह सरकार निश्चय ही अल्प मत में है और इसका यहां रहना शोभनीय नहीं है। आप यह जाहिर करने का मौका दें कि कितने इनके सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कार्यालय को इसके विषय में नोट तैयार करने का आदेश दे दिया है। आज सदन के उठने से पहले वह सूचना मैं सदन के सामने अवश्य दे दूंगा। इस सदन के बाहर क्या हुआ, इससे मुझे कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरा सम्बन्ध केवल उस सूचना से है जो मेरे कार्यालय में प्राप्त हुई है। उस सारी सूचना को मैं आज सदन उठने से पहले सदन के सामने रख दूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वैसे तो जो भी आपकी व्यवस्था या आज्ञा होती है वह नियम का रूप रखती है, उसका नियम के जैसा महत्व है, लेकिन तो भी मैं यह जानना चाहूंगा कि संविधान या हमारी नियमावली के किस नियम के अन्तर्गत आप यह चाहते हैं कि कोई पार्टी अपने सदस्यों की संख्या सदन के सामने दे या आपको बतलावे। सदन की नियमावली को मैंने शुरू से अन्त तक पढ़ने का प्रयास किया कहीं भी यह नहीं लिखा है कि किसी पार्टी के सदस्यों की कितनी संख्या होगी यह स्पीकर महोदय यहां घोषणा करेंगे। आप इस पर व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—

आपकी रूलिंग होने के बाद कि आप यह बात दोपहर बाद बतावेंगे मेरे लायक दोस्त को यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—

माननीय प्रताप सिंह जी ने व्यवस्था के प्रश्न में जो व्यवस्था उठाई उसके बारे में मुझे यह कहना है कि किसी भी माननीय सदस्य को मुझसे यह पूछने का अधिकार है कि किस नियम या किन परिस्थितियों में ऐसा किया जा रहा है। उस पर वादविवाद को या सम्मति प्रकट करने की मैं अनुज्ञा नहीं दे सकता हूं।

सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करना, पार्टीज को मान्यता देने की बात मेरे कर्त्तव्यों में है और हमारे नियमों में इसका प्राविधान है। अध्याय २ में रूल ६ सदस्यों को आसन व्यवस्था का है। इसके अन्तर्गत यह आवश्यक हो जाता है कि मुझे यह सूचना होनी चाहिये कि क्या स्थिति विभिन्न दलों की है। लेकिन मेरे लिये यह अनावश्यक है कि मैं किसी पार्टी के नेता को बाध्य करूं कि वह अपने सदस्यों की संख्या बतावें। उससे मेरा कोई वास्ता भी नहीं है। जो सूचना मेरे पास आवेगी उसके आधार पर मुझे अपना निश्चय लेना है। तो जो सूचना मेरे कार्यालय में प्राप्त है उसके अनुसार मैं आज सायंकाल तक, उठने से पहले, सूचना सदन को दे दूंगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरा यह कहना है कि अपने आसन से आपने एक व्यवस्था दी, उसके पश्चात क्यों और कैसे का प्रश्न उठाने का किसी सदस्य को अधिकार नहीं है। संसदीय परम्परा यही है।

श्री अध्यक्ष—

ऐसी आपत्ति प्रतापसिंह जी की थी, जिस पर मैं स्पष्ट कर चुका हूं।

प्रश्नों के संबंध में जानकारी

श्री अश्विनी कुमार (जिला गोरखपुर)—

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। नियम २१ के अनुसार १ घंटे का प्रश्नोत्तर का समय है। अगर प्रश्न अस्वीकृत भी होते हैं तो नियम ४५ के अनुसार सदस्यों को उसकी सूचना दी जानी चाहिये। ऐसी सूचना भी नहीं है और सूची में प्रश्न भी नहीं रखे गये हैं। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि सदन का प्रत्येक क्षण बड़ा मूल्यवान है। सदन में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, कृपया उनको ध्यान से सुनें। कल ही यह बात बतायी जा

चुकी है। अतः आप कृपा करा तो कल की प्रोसीडिंग्स को देख लें अथवा मेरे कक्ष में आ जायं, मैं उनको बता दूंगा।

सदन में कांग्रेस दल की सदस्य संख्या के संबंध में जानकारी की मांग (क्रमागत)

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, अभी आपने जिस नियम का हवाला दिया, मैं केवल उसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। नियमों के कस्टोडियन आप हैं। वैसे तो जो उनका स्पष्टीकरण आप देंगे हमें उसी के अनुसार चलना होगा, मैं केवल उस बारे में आपकी राय जानना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—

जरा आप अपना आसन ग्रहण करें। उस पर वादविवाद समाप्त हो चुका है। अगर आप समझते हैं कि जो मैंने स्पष्टीकरण दिया है, वह गलत है या उसमें आपको ऐसा लगता है कि वह न्याय संगत नहीं है, या उससे आपको संतोष नहीं है तो आप मेरे कक्ष में आकर मुझ से उसके बारे में बातचीत कर लें। हो सकता है जो बात मैंने कही हो उसमें कुछ त्रुटि हो। अगर ऐसा होगा तो मैं उस पर विचार कर लूंगा और उसमें संशोधन हो सकता है। हर समय एक बात मैं कहूं और उस पर डिसकशन शुरू हो जाय, यह ठीक नहीं है।

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि यह अध्यक्ष का कर्त्तव्य है अथवा नहीं है कि वह यह जाने कि सरकार अल्पमत में है अथवा बहुमत में है। क्या नेता सदन को आप यह सूचना देने के लिये बाध्य कर सकते हैं अथवा नहीं?

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न जो आपने उठाया उसके बारे में मुझे यह बताना है कि बिलकुल मेरा यह कर्त्तव्य है नहीं है कि मैं यह जानूं कि यह सरकार अल्पमत में है या बहुमत में है। इसके लिये यह सदन पूर्णतया सक्षम है कि वह अपनी किसी भी प्रक्रिया के द्वारा यह जान ले कि सरकार अल्प मत में है या बहुमत में है। मेरा उसमें कोई कर्तव्य नहीं है।

विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—

नियमों के अन्तर्गत मुझे उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में तिथि निश्चित करनी होती है। वह तिथि मैंने नियम ७ के अन्तर्गत निश्चित की है। निर्वाचन की तिथि ३-४-६७ को निश्चित की गयी है। निर्वाचन ३ बजे सायंकाल को होगा और नामांकन २ अप्रैल, ६७ को (रविवार) १२ बजे तक प्राप्त होंगे। यदि ३ बजे तक आज नेता विरोधी दल और नेता सदन आपस में परामर्श करके कोई परिवर्तन चाहेंगे तो आपराह्न में वह घोषित कर दिया जायगा और अगर यही सुविधाजनक वे समझें तो ठीक रहेगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, आपने ३ तारीख वर्षा तथा ओले की स्थिति पर वाद-विवाद के लिये निश्चित की है। अब आपने उपाध्यक्ष के चुनाव के लिये भी वही तारीख एनाउन्स की है। वह विवाद और उपाध्यक्ष का चुनाव, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। इससे माननीय सदस्यों को बड़ी कठिनाई होगी। भले ही हम यह न चाहें कि असेम्बली और आगे न बढ़े, उपाध्यक्ष के चुनाव की बात उस दिन न रखी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय विकल जी, इस निश्चय से पहले मैंने आप से बात करने का प्रयत्न किया लेकिन मैं उसमें असफल रहा, इसलिये अभी घोषणा करते समय मैंने यह कहा है कि यदि समय में आप कोई परिवर्तन चाहेंगे तो वह हो सकेगा। अगर ३ के बजाय हम ४ तारीख रखते हैं तो हमें एक दिन अधिक बैठना पड़ेगा और शायद आप भी वैसा न चाहेंगे, लेकिन अगर ३ बजे के बजाय ५ बजे चुनाव हो तो मुझे कोई आपत्ति न होगी। आपस में बात कर के आप मुझे सूचित कर दें और जो समय आपको सुविधाजनक होगा उसी की मैं यहां घोषणा कर दूंगा।

श्री रामचन्द्र विकल—

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि सूखे और अन्न संकट के विषय पर वादविवाद को पूरा समय मिलना चाहिये। ५ बजे के बाद चुनाव उपाध्यक्ष का हो तो हमें कोई आपत्ति न होगी।

श्री अध्यक्ष—

तो अब मैं नेता सदन से जानना चाहूंगा कि उन को ३ अप्रैल को ५ बजे के समय के लिये तो कोई आपत्ति नहीं है!

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

तो अब ३ तारीख को ५ बजे का समय निर्वाचन के लिये निश्चित हुआ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे सदन में भाषण करने का अवसर दिया। मेरा संशोधन कार्यक्रम में १८ नम्बर पर है और जो आप की व्यवस्था के अनुसार उपस्थित हो चुका है। आज हम एक गम्भीर और विकट परिस्थिति में इस विधान सभा में बैठे हैं। एक ओर तो कांग्रेस दल का थोड़े से ही सदस्यों के द्वारा बहुमत है और दूसरी ओर संयुक्त विधायक दल के रूप में विभिन्न मत वालों और विभिन्न कार्यक्रमों वाले लोग एक नाव की अस्थायी दोस्ती की तरह एक संगठन कायम किये हैं जिस नाव के डूबने की आशंका है और सारे मतभेदों के बावजूद भी वे किसी तरह पार उतरना चाहते हैं.....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया माइक का प्रयोग करें, आप को लोग बहुत उत्सुकता से सुनना चाहते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—

मैंने अभी संयुक्त विधायक दल के बारे में कहा कि कुछ लोग जो आपस में बराबर एक दूसरे के विरोधी रहे हैं लेकिन वह एक नाव के सफर में बैठे हैं जो किनारे पहुंचना चाहते हैं लेकिन डूबने के डर से वह आपस में इस समय झगड़ा नहीं करते हैं यह उन की स्थिति है वर्ना उन की पालिसी और प्रोग्राम में इतने भेद हैं कि ताज्जुब और डर है कि किस तरह से वे सरकार बनाने का दावा करते हैं। आज दश में सात सूबे ऐसे हैं कि जहां पर गैर कांग्रेसी सरकारें हैं। कांग्रेस को कहीं विरोधी दल के रूप में और कहीं शासक दल के रूप में काम करना पड़ा है। मैंने यह

---

*दिनांक २९ मार्च, १९६७ की कार्यवाही से।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

इस प्रकार का संशोधन इसलिये रखा है क्योंकि मुझे आशा थी कि माननीय राज्यपाल अपने अभिभाषण में कुछ विशेष घोषणायें करेंगे ताकि हम प्रदेश को राजनीति को एक नई दिशा दे सकें। मेरा स्पष्ट मत है कि आज की स्थिति में किसी भी संगठन के, चाहे वे विरोधी दल के हों या कांग्रेस दल के हों, पुराने या वर्तमान नेताओं का व्यक्तित्व सहारा नहीं दे सकता। एक स्पष्ट पालिसी और प्रोग्राम द्वारा ही देश और प्रदेश की जनता की आस्था हम प्राप्त कर सकते हैं और किसी संगठन विशेष को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जबतक एक निश्चित आर्थिक प्रोग्राम हमारे सामने न होगा तबतक कांग्रेस विरोधी दल के रूप में या शासक दल के रूप में सफल नहीं हो सकती। कोई भी संस्था हो या संयुक्त विधायक दल हो बिना एक आर्थिक नीति और कार्यक्रम के देश या प्रदेश का नेतृत्व कोई दल नहीं कर सकता।

इस सम्बोधन में हमें आशा थी कि माननीय राज्यपाल इस में किसी अर्थ नीति का उद्घोष करेंगे ताकि कांग्रेस सरकार अपने को सुदृढ़ बनासके। कांग्रेस जनकल्याणकारी लोकतन्त्र और समाजवाद की घोषणा कर चुकी है। आज समाजवाद कोई काल्पनिक चीज नहीं है। वह एक विज्ञान है और सारे संसार के कम से कम ६ ठवें या ५ वें हिस्से में क्रियात्मक रूप में कार्य भी कर रहा है। हम कांग्रेस वालों ने तो सन् १९६४ में ही भुवनेश्वर में यह घोषणा की थी कि हम लोकतंत्र की व्यवस्था करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें धन और धरती के बारे में विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। पर हमें निराशा हुयी माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को सुनकर कि उन्होंने यह घोषणा नहीं की कि सवा छः एकड़ की अलाभकर जोतों को लगान की छूट हो जायेगी। माननीय राज्यपाल की घोषणा, कि सरचार्ज भूमि से हटा दिया गया है, अवश्य स्वागत का विषय है।

जहां तक धरती के बटवारे का प्रश्न है कि ४० एकड़ की सीमा निर्धारित कर दी गयी है उस बटवारे से भी जिनको भूमि प्राप्त हुयी है वह सब फर्जी है। मैं तो यह चाहूंगा कि इस विषय में हमारे मालमंत्री जो एक विशेष कमीशन नियुक्त करें जिससे जमीनें भाई भतीजों, परिवारों के सदस्यों और रिश्तेदारों में नाम में फर्जी बटवारे द्वारा न लगी रहे। इस व्यवस्था में कि जमीन किसानों और मजदूरों को मिले, उसमें कोई अन्तर नहीं हुआ है। लोकतंत्र की घोषणा के बावजूद हम उस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं हमने १९६४ में भुवनेश्वर में यह तय किया था कि हम एक वर्ष के भीतर सामाजवादीकरण खाद्य सम्बन्धी उत्पादन करनेवाले (Food processing industries) की ओर कदम उठायेंगे लेकिन ३–४ वर्ष के उपरान्त भी दुर्गापुर और जयपुर के अधिवेशनों के उपरान्त भी हम कोई कदम नहीं उठा सके। समाजवाद की तरफ ले जाने वाली एक प्रणाली रूस की है और एक चीन में लागू है, जिसमें निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं है परन्तु हमने धन और धरती को कुछ सीमा तक व्यक्तित जायदाद में रखने की और कुछ का समाजीकरण करने की व्यवस्था की घोषणा की है लेकिन उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। इसीलिये मैंने धन के बटवारे के संबंध में एक निश्चित सीमा निर्धारित करने के लिये यहां पर एक सुझाव दिया है कि जो एक लाख रुपये की लागत से अधिक पूंजी के कारखाने हैं, उन सब का समाजीकरण कर दिया जाय और धरती का वास्तविक बंटवारा हो जाय इस तरह से जायदाद के रूप में संपत्ति के रूप में हमारी सरकार के खजानों में काफी रुपया हो जायगा और हम समाजवादी समाज की व्यवस्था कर सकेंगे। हर समाजवादी यह जानता है कि समाज में हर एक व्यक्ति से उसकी व्यक्ति के अनुसार उससे काम लिया जाय और हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार धन मिले। यह समाजवाद की कसौटी है। इस तरह से आप देखेंगे कि समाजवाद एक विज्ञान है। जो लोग समाजवाद के बारे में यह कहते हैं कि भारतवर्ष में इसका समावेश नहीं है तो मेरी राय में वे सही नहीं है। रामायण में तुलसीदास जी ने अयोध्याकाण्ड में एक दोहा लिखा है जिसको मैं पढ़कर सुनाये देता हूं।

"मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक।
पाले पोषे सकल अंग तुलसी सहित विवेक॥

मार्क्स और लेनिन की परिभाषा से तुलसीदास कीपरिभाषा कहीं अच्छी है। स्वस्थ शरीर उसी को कहा जाता है जिसमें सब अंग पुष्ट होते हैं। लेकिन जिसमें बड़ी बड़ी तोंदें होती हैं, गर्दन बड़ी होती है या और अंग बड़े होते हैं तो वह स्वस्थ शरीर नहीं कहा जा सकता है। हमें अपने राष्ट्र की स्वस्थ तस्वीर देखनी है इसलिये जितना जल्दी उसका इलाज कर सकें और जो जिन समाज के भागों में आवश्यकता से ज्यादा धन है, उन सबको सीमित कर दें, तभी एक समाजवादी व्यवस्था का जन्म हो सकती है और इस दिशा में मैं समझता हूं कि आज हमारे लिये यह सौभाग्य की बात है कि माननीय चन्द्रभानु गुप्ता जैसे व्यक्ति हमारे मुख्य मंत्री हैं। उनका व्यक्तित्व अकसर विवादपूर्ण हो जाता है लेकिन मैं उनको एक पुराने समाजवादी नेता के रूप में देखता हूं वे आचार्य नरेन्द्र देव के परम मित्रों में से रहे हैं, समाजवाद का उनका गहरा अध्ययन है और मैं उन को एक सर्वहारा के रूप में देखता हूं, जिस के पास न जायदाद, न बीवी हो, न बच्चे हों, उस से बढ़ कर सर्वहारा कौन हो सकता है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य शान्त रहें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--

इस दिशा में बहुत से मेरे संशोधन में ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको टेक्नीकली विधान सभा सिफारिश ही कर सकती है केन्द्रीय सरकार से और पालयामेन्टरी से। इसलिये मैं चाहूंगा अपने मुख्य मंत्री से कि वह इस दिशा में सक्रिय कदम उठाये और हमें प्रसन्नता होगी, कांग्रेस दल और विरोधी दल दोनों मिल कर इस प्रकार का प्रस्ताव पास करेंगे, जिसमें धरती के बंटवारे की तरह धन के बंटवारे का भी और देश में कल कारखानों के समाजीकरण का एक प्रस्ताव पास हो। मैं समझता हूं कि दोनों ही पक्ष प्रसन्नतापूर्वक केन्द्रीय सरकार से ऐसी सिफारिश करेंगे या पार्लियामेन्ट से इस संबंध में कानून बनाने के लिये कहेंगे। मैं समझता हूं कि आज का आर्थिक तन्त्र जिस को आप मिश्रित प्रणाली कहते हैं यह हमेशा पूंजीवादी ध्यतस्था से प्रभावित हो जाती है और मेरा प्रबल विश्वास है कि आज का आर्थिक तन्त्र केवल पूंजीवादी वयस्था है और जो पूंजीवादी व्यवस्था हमारे देश में चल रही है वह हमारे समामाजिक, राजनीतिक जीवन को भ्रष्टाचार के रास्ते पर ले चल रही है। आज पैसे का मूल्य बढ़ गया है समाज में। हर व्यक्ति पैसा हासिल करने का प्रयत्न करता है और इस तरह से मैं समझता हूं कि पूंजीवादी व्वयस्था ही हमारे देश में भ्रष्टाचार और अनाचार का कारण बन गयी है। इसलिये मैं अपने संशोधन को पेश करते हुये चाहता हूं कि इस किस्म की सिफारिश केन्द्रीय सरकार से करने का संशोधन राज्य सरकार को भी मान लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य इस संशोधन को पारित कराने में मेरे सहायक होंगे।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने इस नाचीज को समय दे दिया। आज राज्यपाल के भाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उस का मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआहूं। राज्यपाल के भाषण में कोई नई चीज नहीं है। यह वह पुराना ही ढांचा है उसी तरह से घुमा फिराकर रख दिया गया, राज्यपाल जी ने उसको-'बीकार कर लिया। आज सदन में कभी कभी ऐसी चर्चायें होती हैं कि कुछ लोग उधर हैं और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग इधर हैं। मैं मान्यवर, यह कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य को मैं एक सूचना दे दूं। आपने जो प्रारम्भ में कहा कि धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं तो वास्तविक स्थिति यह है कि आप उसमें जो संशोधन आये हैं उनका समर्थन करते हैं लेकिन धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध नहीं करते हैं। संशोधन भी यह है कि उसका समर्थन करते हैं किन्तु खेद है कि इसमें बढ़ा दिया जाय।

श्री बाबू बदरे—

जी हां, मेरी यही मंशा है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि क्या यह जरूरी है कि जो कांग्रेस बेंचेज पर बैठें वही प्रान्त और देश के वफादार हैं और जो लोग उधर नहीं हैं उन को कोई देश से मोहब्बत नहीं है। कुछ लोग बहुत अर्से तक उधर बैठते रहें और उधर बैठते-बैठते वह इधर बैठने लगें तो क्या जो लोग कांग्रेस की तरफ बैठते हैं वही ज्यादा लोक प्रिय हो गये हैं देश के लिये? हो सकता है कि स्वार्थवश कुछ इधर से उधर चले जाते हैं और कुछ उधर से इधर चले आते हैं लेकिन मैं यह मानता हूं कि कई दलों में ऐसे लोग हैं जिनमें देश के लिये कुछ सोचने और समझने का माद्दा है। कांग्रेस और अल्पमत का सवाल बराबर उठता है और कहा जाता है कि कांग्रेस का बहुमत नहीं है। प्रदेश की जनता यह जानती है। सरकार कैसे बनी—इधर और उधर करने से, यह तो चलता ही है। भुखमरी का सवाल यहां उठाया जाता है तो जवाब उलटा मिलता है। सही स्थिति की तरफ ध्यान न दे कर जो भी संबंधित अधिकारी हैं वे अपनी खानापूरी करके उसकी सूचना सरकार को देते हैं और सरकार सदन की सूचना दे देती है। कानपुर में चार दिन पहले जो एक घटना घटी उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। कानपुर में एक आदमी रेल से कट कर मर गया। जब पूछताछ की गयी तो मालम हुआ कि उसको नौकरी नहीं मिलती थी। इस लिये घबड़ा कर रेल के नीचे आ गया। इसी तरह से कानपुर में नोलवाली गली म २५ साल की स्त्री और उसके पति ने जहर खा लिया और एक साल का बच्चा रोता रह गया। गोल्ड कंट्रोल ऐक्ट से वह प्रभावित हुआ और उसे कोई काम नहीं मिलता था। हारनेस फक्टरी में टेम्पोरेरी काम करता था। वहां से भी जब नौकरी छट गयी और भखों मरने लगा तो उसने और उसकी पत्नी ने आत्म हत्या कर ली। सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना ही होगा और कोई कमी है तो उसे मानना होगा। मजदूरों के मामले में २० साल से सेरकार ने इस सदन के बनाये हुए काननों का भी पालन नहीं किया है। हड़ताल होती है तो सरकार उन हड़तालों को कुचलने तथा तुड़वाने का प्रयास तो करती है लेकिन यह देखने का प्रयास नहीं करती है कि इस उद्योग में मजदूरों की मांग उचित है अथवा नहीं। अगर मांगें उचित हैं तो सरकार का पक्ष मजदरों के साथ होना चाहिये लेकिन मैंने यह देखा है कि हमेशा सरकार का पक्ष मिल मालिकों के साथ होता है और मजदूरों को कुचलने के लिये सरकार पुलिस, लाठी, गोली आदि का इस्तेमाल करती है।

इस प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की हड़ताल हुई। सरकार ने उनकी कुछ मांगों को स्वीकार करने के लिये कहा। लेकिन मोरार जी का स्टेटमेंट आ जाता है कि प्रदेशीय सरकार अपने कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे, केन्द्रीय सरकार से उनक कोई मतलब नहीं है। सरकार को चेत जाना चाहिये वर्ना पता नहीं इन समस्याओं के क्या परिणाम होंगे।

बिजली मजदूरों का जहां तक संबंध है, कानपुर के केसा में एक हड़ताल हुई थी। पिछली सरकार ने आश्वासन दिया था कि मजदूरों के क्वार्टर्स तथा बोनस के मामले को हल कर दिया जायगा लेकिन आज तक वह मसला तय नहीं हुआ। इस तरह झूठे अश्वासन देने से ज्यादा दिन सरकार नहीं चल सकती।

अभी एक सवाल उठाया गया है कि कांग्रेस सरकार अपने सदस्यों की सूची बतलाये। मुझे ऐसा लगता है कि न बतलाने का कारण यह है कि इसमें कुछ खतरा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को इस मामले में अपनी नीति स्पष्ट रखनी होगी। वास्तव में जो

गलती है उसे यह सरकार स्वीकार कर ले और उसका सुधार करे तो मैं समझता हूं कि ज्यादातर विरोधी दल वालों की बात सरकार को समझ में आनी चाहिये जो कि देश के हित में है । लेकिन आये कैसे । सामने के बैठने वाले लोग जिनको सोचने का ढंग नहीं है, जहां सोचने का दिमाग है वहां उनके पत्थर लगा हुआ है, वे लोग कहते हैं कि विरोधी लोग कोई सुझाव नहीं देते । तो जब विरोधी लोगों को कोई सुझाव देने का या सोचने का ढंग नहीं है फिर आप हाथ जोड़ कर उन्हें अपने साथ मिलाते क्यों हैं । मैं आपसे कहता हूं कि मजदूरों की योजनाओं पर सरकार ने जितना रुपया खर्च किया है उससे मजदूरों को कोई लाभ नहीं है । आपने मजदूर अदालतें खोली ह । उन पर सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन मजदूरों को उससे कोई फायदा नहीं है । अगर मजदूरों को कोई लाभ होता तो अंग्रेजी राज्य में पहले ही ये अदालतें खोल दी जातीं ।

आज जो आप टैक्सों की भरमार कर रहे हैं यह आपकी फिजूलखर्ची की वजह से है । सरकार अपनी आमदनी को वसूल करने के लिये जिस स्टाफ को पैसा देती हैं वह स्टाफ उस काम को उस तरह से नहीं करता जिस तरह से अपनी व्यक्तिगत आमदनी को वसूल करने के लिये करता है । दिसम्बर, १९४८ में जो जी० ओ० मजदूरों के लिये बनाया गया था उससे मिल-मालिकों को नुकसान हो रहा था । उस नुकसान को पूरा करने के लिये माननीय सम्पूर्णानन्द जी के एवार्ड को कानपुर के सूती मिल मजदूरों ने माना और उसके बाद ही नतीजा यह हुआ कि कानपुर के मिलमालिकों को उससे फायदा हो रहा है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मंत्रिगण अपने परिवार को पालने की कोशिश करते हैं या जिस तरह से शासनारूढ़ होने के लिये, अपना बहुमत बनाने के लिये साम्प्रदायिकता को उछाल कर के सरकारी पक्ष ने कोशिश की है अगर उसी तरह से इस प्रदेश की भुखमरी और दूसरी समस्याओं को हल करने की कोशिश करें तो विरोधी पक्ष उनका पूरा साथ देगा । लेकिन आप इस तरह का प्रयास नहीं करते ।

कल एक माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने मजलिसे मुशाव्वरत को कहा कि उससे साम्प्रदायिकता बढ़ रही है । इस प्रदेश में जितनी साम्प्रदायिकता उभारी गयी है उसकी सारी जिम्मेदारी मैं कांग्रेस पार्टी को देता हूं । कांग्रेस पार्टी ने यही नहीं किया बल्कि हमारे प्रान्त में साम्प्रदायिकता को उभार करके एक दूसरे के करीब लोगों को बैठने तक नहीं दिया । कांग्रेस पार्टी ने एक 'सियासत' नाम के अखबार के मालिक को खरीदा जिसको यहां बार बार एक फिरका परस्त अखबार कहा गया । उस अखबार ने हमारी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को मुस्लिम पर्सनल ला के मामले में जिस तरीके से डेमेज किया क्या उसको साम्प्रदायिक नहीं कहा जा सकता । संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी मुस्लिम पर्सनल ला के बारे में कमजोर हो और उसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी उठाये यही उसका उद्देश्य था । जो बात कांग्रेस को फायदा पहुंचाये वह फिरका परस्ती नहीं है और जो फायदा न पहुंचायें वह फिरका परस्ती है । मैं मजलिसे मुशाव्वरत के लिये यह नहीं कह सकता कि वह मुस्लिम लीग का काम कर रही है या क्या कर रही है, लेकिन उसने इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हराने का जो काम किया है उसके लिये मैं उसको धन्यवाद देता हूं । तो मान्यवर, जब तक साम्प्रदायिकता और फिरकापरस्ती को खत्म करने की कोशिश नहीं की जायगी तब तक आप की कोई योजना नहीं चल सकती और मैं इस कांग्रेस सरकार पर साम्प्रदायिकता और फिरकापरस्ती का घातक आरोप लगाता हूं कि जितना इसके राज्य में फिरका-परस्ती बढ़ी है उतना पहले कभी नहीं थी । इसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पर है ।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष, महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के इस अभिभाषण पर बोलने का अवसर मुझे प्रदान किया । माननीय ाय कृष्णानन्द जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । प्रदेश की कुछ कठिनाइयों की तरफ महामहिम राज्यपाल

[श्री जगदम्बा प्रसाद]

का ध्यान गया है। जैसे कि पहाड़ी जिलों के लिये उन्होंने अलग से सिंचाई और सड़कों की व्यवस्था की है और पटल आयोग की भी बात बताई गई है। लेकिन पटेल आयोग पूर्वी अंचल के ३/४ जिलों में लागू है जबकि बकिया जिलों की भी वही स्थिति है जो इन जिलों की है। इस सदन में कई दफा हम लोगों ने माननीया नेता सदन, श्रीमती सुचेता कृपालानी का भी ध्यान दिलाया था कि फैजाबाद, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ की भी वही स्थिति जो इन इन जिलों की है लिहाजा इनको भी पटेल आयोग में सम्मिलित किया जाय। लेकिन अभी तक वे सम्मिलित नहीं हो सके जबकि वहां की जमीन की हालत भी वही और सिंचाई तथा सड़कों की हालत भी वही है। फिर भी राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इसको कोई जिक्र नहीं किया है। मैं आपके द्वारा अपन विचार व्यक्त करता हूं कि जिन पूर्वी जिलों की स्थिति वही ह उनको भी पटेल आयोग में सम्मिलित किया जाय।

दूसरी बात यह है कि पूर्वी अंचल के कुछ जिलों की कुछ ऐसी दयनीय दशा है कि कांग्रेसी शासन के इतने दिनों के बाद भी और तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बीत जाने के बाद भी जलालपुर के करीब कुछ गांव ऐसे हैं जहां के लोगों की स्थिति उतनी ही दयनीय है जितनी कि अंग्रेजों के शासन काल में थी। उनकी तरफ हम लोगों ने कई दफा सदन में १९६२ से लेकर १९६६ तक बजट के समय तथा राज्यपाल महोदय के अभिभाषणों के समय ध्यान दिलाया। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इन गांवों की हालत ऐसी है कि अगर यहां बाढ़ आ जाती है तो उनका बोया हुआ सारा गल्ला नष्ट हो जाता है और बरसात में घर से बाहर निकलने के लिये कोई रास्ता नहीं है। जब तक सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देगी तब तक उनकी स्थिति दयनीय बनी रहेगी।

हमारे यहां के जिले सूखे से इतने प्रभावित हैं कि गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार यहां पर १२ आने का नुकसान हुआ है। लेकिन वहां पर सस्ते गल्ले की दुकानों का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। उसका फल यह है कि वहां के लोगों को खाने की बड़ी भारी तकलीफ है। जहां तक भुखमरी की बात कही जाती है वह तो नहीं है और न कोई मौत भूख से हुई है। लेकिन खाने की वहां बहुत कमी है। विरोधी पक्ष की तरफ से निर्दलीय सदस्यों के बारे में प्रचार हुआ है कि हम लोग कांग्रेस में मिल गये। १९६२ में विरोधी दल के नेता हमारे साथ थे लेकिन कांग्रेस का टिकट न मिलने पर हम लोगों की तरह से निर्दलीय के रूप में लड़े। लेकिन अब वही कहते हैं कि निर्दलीय सदस्य फायदा उठाने की गरज से कांग्रेस में मिल गये। नाजायज फायदा लेने की चर्चा से, मैं समझता हूं कि जितने भी हम निर्दलीय सदस्य कांग्रेस में शामिल हुये हैं, वे कोई पद के लोभ से नहीं हुये हैं. हम लोग केवल अपनी विचारधारा से और कांग्रेस पार्टी के औचित्य को समझ कर उसमें आए हैं। जो निर्दलीय सदस्यों पर दोष लगाते हैं वे स्वयं देखें जनसंघ के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने विशेषाधिकार के प्रश्न पैदा किये और उसके खिलाफ साम्प्रदायिकता का नारा दिया, किन्तु आज वे सरकार बनाने के लिये एकत्र हो गये हैं—वे सब आज अपनी पदलोलुपता को नहीं देखते हैं। निर्दलीय सदस्यों ने सभी पार्टियों के सिद्धान्तों का विरोध करके अपने स्वतन्त्र विचारों के बल पर चुनाव लड़ा और जनता के समर्थन से वह चुनाव जीत कर आए और उन्होंने अपनी विचारधाराओं के अनुकूल कांग्रेस का समर्थन किया तो वह कोई लोलुपतावश उन्होंने नहीं किया। मैं समझता हूं कि सभी एम० एल० एज० हैं वे चाहे जिस पार्टी के सदस्य हों या निर्दलीय हों, वे सभी जनता के प्रतिनिधि ह। म किसी की भी ईमानदारी में शक नहीं करता। मैं नहीं समझता कि कोई जनता का सेवक इस प्रकार से खरीदा जा सकता है। हम पर इस तरह का दोषारोपण करने से इस सदन की महानता की गरिमा लांछित होती है।

अध्यक्ष महोदय, आज इस सम्बोधन में जो संशोधन पश किये गये हैं, उनमें से कुछ को तो मान लेना सरकार के लिये जरूरी है। भूमि भवन कर की भी ऐसी ही बात है, इस समय टाऊन एरिया और शहरों में जो यह टैक्स लगा हुआ है उसका मूल्यांकन इतना गलत है कि इसको तुरन्त सरकार को वापस ले लेना चाहिये। भूमि भवन कर और प्रोफेशनल टैक्स को वापस ले लेना कांग्रेस बल के लाभ में है। ये दोनों टैक्स इस सरकार के लिये उत्तर प्रदेश के लिये अभिशाप हैं।

दूसरी बात यह है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग न करने से किसी नागरिक को न्याय नहीं मिल पा रहा है। १०९ और १५१ की जो धारा है वह बहुत ही दोषपूर्ण है, उससे पुलिस किसी नागरिक को घर बैठे पकड़ सकती है, कहीं किसी रिश्तेदार के यहां गया उसको पकड़ सकती है और मुलजिम करार दे सकती है। इसलिये जब तक न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग-अलग नहीं होंगी तब तक इनका दुरुपयोग सरकार रोक नहीं सकती है। मैं चाहता हूं की यह संशोधन जो विरोधी पक्ष की तरफ से लाया गया है, इस पर सरकार पूर्ण रूप से विचार करे और कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करे। क्योंकि इतना ही नहीं कांग्रेस के घोषणा-पत्र में भी इसका उल्लेख किया गया है। इस व्यवस्था के न होने से नागरिक अधिकारों का बहुत बड़ा हनन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से आशा करता हूं कि इस पर हमारी सरकार कुछ विचार करेगी।

यहां पर एक सवाल अल्पमत और बहुमत का रोज उठाया जाता है। किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि जब हमने अध्यक्ष को चुना और बजट पास किया जिसमें कि अध्यक्ष की अनुमति होने पर भी डिवीजन की मांग करने के बाद भी विरोध पक्ष ने उसे वापस ले लिया, इन सबसे स्पष्ट हो गया है कि सदन में बहुमत किसका है और अल्पमत किसका है। इसके बाद भी यह सवाल पैदा हो, यह बात मेरी समझ में बिलकुल नहीं आती है।

श्री रुस्तम सैटीन (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो समय दिया है, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण यहां पर हुआ उससे हमें निराशा हुई और जो संशोधन पेश किये गये हैं, मैं उन संशोधनों के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। सरकारी पक्ष से जब यह प्रस्ताव धन्यवाद का रखा गया तो, अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि जो संकट हमारे प्रदेश और देश में है, उसके तीन प्रमुख कारण हैं। एक तो यह कि दो-दो युद्ध हुये, वास्तव में यह युद्ध बड़े क्रूर थे और उनसे हमारे देश को हानि हुई। मैं माननीय सदस्य और सरकारी पक्ष से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सारा आर्थिक संकट जो हमारे देश के ऊपर है यह एक-एक महीने के दो युद्धों के कारण है? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसी बात कहना गलत ही नहीं मैं देश के हित के विपरीत समझता हूं क्योंकि आज भी हमारे शत्रु सीमा पर हैं और हो सकता है उनसे हमें अपने देश की रक्षा के लिये दो महीने से भी अधिक युद्ध करना पड़े। तो क्या आप ऐसी बातें करके जनता को हताश करना चाहते हैं? आप उसे यह बताना चाहते हैं कि अगर तुम देश की रक्षा करना चाहोगे तो देश आर्थिक संकट में फंस जायगा और बरबाद हो जायगा? आप को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। हमारी राष्ट्रीयता इसको बरदाश्त नहीं कर सकती। दो महीने के युद्ध के द्वारा न कोई ऐसा आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता था और न हुआ है। कभी हो सकता है तो होगा, लेकिन अभी ऐसी बात नहीं मानी जा सकती है।

दूसरा सवाल जो उन्होंने रखा वह सूखे का है। ठीक है। सूखा भयानक है। अब तो ओला भी पड़ा है। संकट है। हम सब मानते हैं कि पूरे राष्ट्र को मिल कर इसका मुकाबला करना चाहिये परन्तु सवाल यह है कि क्या यह पूरा आर्थिक संकट या अन्न और दूसरी चीजों की कीमतों का बढ़ना यह अभी शुरू हुआ है? केवल दो साल से यह सब जब से कांग्रेस का शासन आया है तब से है। सन् ४७ में जब अंग्रेज गया तब रुपये का ५ सेर गेहूं बिकता था और वह आज ८ छटांक का बिक रहा है। हर वर्ष चीजों के दाम बढ़े हैं। क्या बीस साल से सूखा पड़ रहा है? ऐसी बातें कह करके आप किसको प्रभावित करना चाहते हैं? क्या देश में भूखों मरने वाली जनता को प्रभावित करना चाहते हैं? आपने कहा कि केन्द्र ने सहायता नहीं दी। केन्द्र में भी २० वर्षों से लगातार कांग्रेस का शासन है और यदि आज केन्द्र ने आपको सहायता नहीं दी है तो यह आपके दल की गलत मनोवृत्ति का बड़ा अच्छा प्रमाण है। आपको उसका जवाब देना होगा न कि हमको। आपको सोचना चाहिये कि अगर यह बात है तो केवल उत्तर प्रदेश की कांग्रेसी सरकार ही निकम्मी नहीं है बल्कि केन्द्र की कांग्रेसी सरकार भी

[श्री रुस्तम सैफीन]

निकम्मी है। ऐसी सरकार जो एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच पक्षपात करती है और जो देश और प्रदेश के शासन में फूट डालने की कोशिश करे वह सरकार जरूर निकम्मी कही जायगी।

अब सवाल आता है अन्न का। अभी हाल में छापे मारे गये। कुछ अन्न पकड़ा गया, यद्यपि असली चोर पकड़े नहीं गये। मुनीम पकड़े गये, मालिकों को नहीं पकड़ा गया। बनारस का उदाहरण है। यह भी एक ही मजाक है। कहते हैं कि मुनीम को हम जानते हैं, मालिक को हम नहीं जानते कि वह कौन है। छोड़िये इस बात को, हमने कहा कि जो अन्न पकड़ा गया है उसको बाजार में लाकर वितरण कीजिये। क्या हुआ ? उसी दाम पर जिस पर पहले बिक रहा था करीब करीब उसी दाम पर एक रुपया २० पैसा, एक रुपया ३० पैसे सेर के भाव से वह हमारे जिले में बेंचा गया। इसके माने क्या हैं ? इसके माने हैं कि जो काले बाजार में दाम थे आपने उसी को सफेद बाजार का दाम बनाया और काले बाजार के दामों को मान्यता दी, १० रोज तक जनता को अनाज नहीं प्राप्त होने दिया और फिर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जिससे उसी काले बाजार के दाम पर लोग गल्ला खरीदें। यह अन्याय ही नहीं, यह धोखा ही नहीं मैं तो कहुंगा कि जनता के साथ आपने विश्वासघात किया है। आप कीमतें बढ़ने को रोक नहीं सकते। मजदूरों पर, कर्मचारियों पर आप लाठी चला सकते हैं, उसके लिये आप बातें बहुत कर सकते हैं लेकिन कीमतों को रोकने के लिये न आप प्रयास कर सकते हैं और न आप जिम्मेदारी ही महसूस करना चाहते हैं। होना तो यह चाहिये कि आप सारे अनाज को अपने काबू में लेकर निश्चित दाम बांध कर बटवाएं। यह कार्य खुद सरकार के द्वारा या अगर कोई व्यापारी जो निश्चित दाम पर बेंचने के लिये तैयार हो उसको देकर करवाया जाय।

ओला, वर्षा का जहां तक सवाल है कल माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार जो कुछ भी कर सकेगी, करेगी मगर मंत्री जी ने यह स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया कि वहां सस्ते गल्ले की दूकान खोली जायेंगी। आपने नहीं कहा कि हर अदालती पंचायत के अन्दर गल्ले की दूकानें खुलेंगी और न यही कि प्रभावित क्षेत्रों में लगान माफ कर दिया गया है या कर दिया जायगा। वहां माफ होना चाहिये न कि स्थगित क्योंकि जहां एक बार अवर्षण हुआ, खरीफ की फसल मारी गयी और दूसरी बार ओला बरसा। खाने को नहीं है तो हम कहते हैं कि लगान स्थगित नहीं, माफ करो। यदि अब नहीं तो कब आप माफ करेंगे। क्या आप उनको मारना चाहते हैं जो स्वयं आज मर रहे हैं ? आप इस बात का एलान नहीं करते कि उन किसानों का लगान हम माफ करते हैं। इस तरह की बातें इस महामहिम गवर्नर के भाषण में नहीं कही गई हैं और न इस तरह का एलान इस भाषण के अन्दर किया गया है।

जहां तक सरकारी कर्मचारियों को कुछ देने का सम्बन्ध है उस सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ बातें कही गई हैं कि मुख्य मंत्री महोदय ने बड़ी कुशलतापूर्वक उस समस्या को हल करने का प्रयास किया है मगर मुख्य मंत्री जी ने यहां आने के पहले जो वादा किया था कि उनको केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर भत्ता दिया जायगा वह उस वादे को भूल गये हैं। एक सदस्यीय कमीशन जांच करने के लियें बिठाकर उस बारे में बात टाल दी गई है। हम जानते हैं कि ऐसे न जाने कितने कमीशन बिठाकर बातों को टाला गया है जिनका आखिर में जाकर कोई परिणाम नहीं निकला है। मैं समझता हूं इस प्रकार की किसी समस्या को टालना समस्या को और भी जटिल बनाने का सूचक है। इसी प्रकार से प्राइवेट स्कूलों के टीचरों बारे में यहां पर कितने आन्दोलन हुये हैं। यदि हमारे अध्यापक रात दिन आन्दोलन करें और अपनी मीटिंग करें तो हमारे बच्चों की पढ़ाई पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? उनकी पढ़ाई बिलकुल शून्य हो जायगी। क्या सरकार समझती है कि उनके आन्दोलन गलत हैं ? आज उनके पास खाने पीने को नहीं है इसीलिये वह इस प्रकार से अपने आन्दोलन करते हैं। हम कहते हैं कि सरकार अपने स्कूलों और कालेजों के अध्यापकों को स्वयं जितना रुपया देती है उतना उनको क्यों नहीं देना चाहती। उनको राहत देने के लिये कोई एलान महामहिम राज्यपाल के इस भाषण में नहीं किया गया है और न उसका कोई जिक्र किया गया है।

एक बात म और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां नगर महापालिकाओं के सम्बन्ध में कुछ गौरवपूर्ण बातें इस भाषण में कही गई हैं। मगर उन नगर महापालिकाओं के प्रशासन में जो प्रशासक राज लाद दिये गये हैं उनको कब समाप्त किया जायगा, कब यहां पर चुनाव किये जायेंगे, इसका संकेत इस भाषण में नहीं किया गया है। यह जो जिला परिषदें हैं जिनका कोई चुनाव नहीं होता है और जो चुनाव यदि होता भी है तो वह परोक्षरूप से किया जाता है जो सही चुनाव नहीं है, जिससे जनता के सही प्रतिनिधि नहीं आते हैं। उनके चुनाव के सम्बन्ध में भी इस महामहिम राज्यपाल के भाषण में कोई संकेत नहीं किया गया है। जिला परिषदों में जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि नहीं पहुंचते हैं। कुछ मनोनीत या दूसरे जरिये से चुने हुये लोग वहां जाकर बैठते हैं जो सही माने में जिले की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अगर सरकार जनतन्त्र का विकास करना चाहती है तो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसका जिक्र होना चाहिये था और उसके सम्बन्ध में चुनाव की बात आनी चाहिये थी किन्तु कोई बात उसमें नहीं कही गई है।

जहां तक मजदूरों का सवाल है इस सम्बन्ध में कहा गया कि बिलकुल औद्योगिक शान्ति रही यह बात हमारे एक मित्र सदस्य ने कही। हम भी चाहते हैं कि उद्योग क्षेत्र में शान्ति रहनी चाहिये, लेकिन लक्ष्मी रतन काटन मिल का मामला हम सब की आंखों के सामने है कि उसके मालिक ने जबरदस्ती मिल को बन्द करके तालाबन्दी कर दी है और यह सरकार अपने कानों में तेल डाल कर बैठी है। वह मिल का मालिक यह समझता है कि वह कांग्रेस को चन्दा देता है। कांग्रेस का सदस्य है और कांग्रेस की गुटबन्दी में हिस्सा लेता है।

हमारे भाई रामनारायण त्रिपाठी जी ने अभी समाजवाद का यहां पर चर्चा किया और समाजवाद के कुछ चलों का नाम लिया। मगर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यदि वह लक्ष्मीरतन काटन मिल के मालिक को काबू में कर लेंगे तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा।

जहां तक टैक्सों का सवाल है अध्यक्ष महोदय कोई भी राहत जनता को देने क लिये इसमें घोषणा नहीं की गई है। हम समझते थे कि चुनाव के बाद जनता की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचेगी मगर भूमि भवन कर, जिससे जनता आज सारे प्रदेश में कराह रही है और शहर और कस्बों में लोग परेशान हैं, उससे छुटकारा देने की बात इस भाषण में नहीं कही गई है। यह कोई माफ करने का प्रश्न नहीं है। यह टैक्स ऐसा है जो दो जगह जनता को देना पड़ता है। एक मकानों का टैक्स म्युनिसिपैलटी लेती हैं और दूसरा यह सरकार वसूल करती है जो उचित नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार से प्रोफेशन टैक्स है। एक टैक्स प्रोफेशन के रूप में यह सरकार लेती है और दूसरा भारत सरकार इन्कम टैक्स के रूप में वसूल करती है। मैं समझता हूं कि जितन सेंट्रल टैक्स, कारपोरेशन टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स हैं फिर दोहरा दिये जायं तो आमदनी बहुत बढ़ जायगी, लेकिन जनता की क्या स्थिति होगी और क्या वह टैक्सों की नीति सही होगी? अगर यह नीति अपनायी जायगी तो मैं समझता हूं कि जनता के अन्दर विद्रोह बढ़ेगा और जनता आज विद्रोह के कगार पर खड़ी है और अगर इस समय टैक्स बढ़ेंगे तो बड़ा अन्धेर होगा।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के लिये, जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसक समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। साथ ही एक अपना संशोधन भी उसमें रखता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय "किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रदेश के पिछड़े भाग में यातायात के सुधार के सम्बन्ध में कोई ठोस संकेत नहीं किया।"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल को धन्यवाद हम इसलिये देते हैं कि उन्होंने आरम्भ में अपने भाषण में स्वस्थ पार्लियामेंटरी परम्पराओं का जिक्र किया है। आज कल विद्वानों का यह मत है कि पार्लियामेंटरी परम्पराओं में बहुमत और अल्पमत के आधार पर कार्य संचालन नहीं होना चाहिये, बल्कि कुछ की राय तो इस हद तक है कि पार्लियामेंटरी परम्परा में समझौते का आधार अधिक होना चाहिये। अल्पमत जो हो, वह वास्तविकता को ध्यान में रखे, अल्पमत जो हो, सहयोग की भावना में रहे और बहुमत जो हो वह उदारता के साथ उनके विचारों को, उनकी कठिनाइयों को समझे और उनके सुझावों के ऊपर विचार करे। इस सुझाव को देने के बाद में, अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज देश का लोकतंत्र जो है उसके सामने एक लाल झंडी दिखायी पड़ रही है और हम जितने यहां बैठे हुये हैं लोकतंत्र को रखने में दिलचस्पी रखते हैं। जो स्थिति इस समय है, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे वह अनुशासन की हो, चाहे वह और बातों के सम्बन्ध में हो, वह सब एक बात की ओर संकेत कर रही है कि यदि हम लोग सम्भले नहीं तो लोकतंत्र को खतरा है और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिये चाहे इस पक्ष के लोग हों चाहे उस पक्ष के लोग हों, सब के साथ हम कटिबद्ध हैं। इसलिये महामहिम राज्यपाल ने जो स्वस्थ लोक परम्परा का पार्लियामेंटरी विचारों का संकेत किया है उसके लिये हम आभारी हैं और आपके द्वारा मैं इस सदन से निवेदन करूंगा कि बाहर और भीतर, हम सब मिल कर इस तरह से काम करें कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो सकें।

●

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में खाद्य संकट पर भी प्रकाश डाला है। मैं एक बात आपके द्वारा सरकार से जानना चाहता हूं कि यह दुहाई कब तक चलेगी कि केन्द्र से हमको गल्ला नहीं मिला। यह पुकार कब तक चलेगी कि जखीरेबाज लोग घर के अन्दर बन्द किये हैं। हमें इस संकट का मुकाबला करना होगा और इस हद तक मुकाबला करना होगा कि अगर जरूरत पड़े तो इस के लिये हम एक युद्ध स्तर पर भी काम करें। राज्य के अन्दर हमें सारे कामों को रोक कर सिंचाई की व्यवस्था करनी है और कोई भी खेत ऐसा नहीं रहना चाहिये कि जिस तक पानी न पहुंच सके। गल्ला हमें अधिक पैदा करना है, गल्ला हमें केन्द्र से मंगाना है। आज गल्ले की कमी के कारण जहां तक मैं समझता हूं, विदेशों का प्रभाव हमारी नीतियों पर भी पड़ता है। जिस से हम गल्ला लेते हैं चाहे हम कितनी ही स्वतंत्र बात करें, चाहे हम कितनी ही अन्तर्राष्ट्रीय तटस्थता की बात करें, लेकिन जिस से हम कुछ लेते हैं उसके सामने आंखें तो जरूर झुक जाती हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, गल्ले के प्रश्न का हमें युद्धस्तर पर मुकाबला करना है और खेतों में सिंचाई की बात करें और साथ ही साथ मेरा सुझाव है कि गल्ले के व्यापार की एक स्टेट ट्रेडिंग हो जानी चाहिये। किसी व्यक्ति को अधिकार न रहे कि गल्ले का व्यापार कर सके, सरकार स्वयं करे, क्योंकि यह जनसाधारण से संबंध रखता है। खाद्यान्न के अभाव के लिये दो बातें करनी हैं। एक सिंचाई का प्रबन्ध, दूसरे राज्य सरकार का उसे अपने हाथ में लेना।

राज्यपाल महोदय ने चीनी उद्योग के विषय में कहा है कि हमारे प्रदेश में यह उद्योग सबसे आगे था लेकिन आज उत्तर भारत से, उत्तर प्रदेश से खिसक कर दक्षिण की तरफ चला जा रहा है, इसलिये इस उद्योग की तरफ अधिक ध्यान दें ताकि हम इसके द्वारा अपनी उन्नति कर सकें।

राज्यपाल महोदय ने बिजली की चर्चा की है। बिजली पहुंच रही है, फैलायी जा रही है, लेकिन किसी योजना से फैलाई जा रही है या नहीं इस में संदेह है। अगर किसी की सिफारिश पहुंच गयी तो उसके घर में बिजली लग जाती है, लेकिन अगर जोर, सिफारिश नहीं पहुंची तो एक व्यक्ति के ट्यूबवैल पर भी नहीं पहुंच पाती है। इसलिये जिले में पहले महत्वपूर्ण स्थान जो व्यापार या कृषि सम्बन्धी हों उसका एक मान चित्र तैयार होना चाहिये। मेरे क्षेत्र में बाबूगंज स्थान है जिसमें बुनकरों के घर हैं। बिजली न पाने के कारण १ हजार हैंडलूम बम्बई

में जाकर चला रहे हैं। इसलिये लछमनपुर, प्रतापगढ़ में अगर बिजली दे दी जाय तो उत्तर प्रदेश से जो यह उद्योग बम्बई की तरफ चला गया है वह वापस चला आयेगा।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात का संकेत किया है कि नयी सड़कें और और पुल बनाये जायं। यह स्पष्ट है कि बिना यातायात के समाज उन्नति नहीं कर सकता। हमारा कच्चा माल ठीक जगह पर नहीं पहुंच पाता और जीवन की सुविधायें भी कम होती जा रही हैं। मैं सरकार का ध्यान आपके द्वारा प्रतापगढ़ के लछमनपुर क्षेत्र के उस अभागे एरिया की तरफ से ले जाना चाहता जहां सृष्टि जब से बनी है कोई यातायात नहीं है। दो नदियां सई और चमरौरा से वह घिरा हुआ है और १६वां वर्ष स्वतंत्र भारत का हो रहा है, कितने मंत्रिगण वहां गये, आज के मुख्य मंत्री भी वहां पधारे थे और उन्होंने कहा था कि चमरौरा नदी पर पुल बनेगा और प्रतापगढ़ से अटेरा तक सड़क बन जायगी, लेकिन वह वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि इसी वर्ष इस कार्य को सरकार अपने हाथ में ले ले। वहां पर बड़ा कच्चा माल का उत्पादन है। (लाल बत्ती होने पर) एक मिनट और दे दें। वह कच्चा माल सब का सब वहीं रह जाता है।

राज्यपाल महोदय ने समाज कल्याण का जिक्र करते हुये एक लम्बा सा भाषण किया है। लेकिन जिस समाज कल्याण में अपंगु लोगों के लिये, पैरेंटलेस चिल्ड्रेन के लिये, भिखारियों के लिये तथा अपाहिजों के कल्याण के लिये कोई स्थान न हो, वह समाज कल्याण कैसा ?

अन्त में मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। अपने प्रवेश में जो यह आर० एम० पी० की जगह-जगह योजनायें चल रही हैं, इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। यह अमेरिकी योजना है और इस योजना द्वारा हमारी वास्तविक नीतियों में परिवर्तन लाने का एक रास्ता है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि हमें इसे बन्द कर देना चाहिय ताकि हम साम्राज्यवादियों के शिकन्जे से अपने आप को बचा सकें।

श्री रामप्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा और पिछले वर्ष का भी उनका अभिभाषण पढ़ा। दोनों में मुझे कोई अन्तर दिखाई नहीं पड़ा। इस बार जनता इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश के संबंध में कुछ नयी नीतियों का, कुछ नयी बातों का समावेश होगा क्योंकि इस बार ४२३ सदस्यों में से २२५ विरोधी सदस्यों को जनता ने चुनकर भेजा है और एक विशाल परिवर्तन किया है। जनता चाहती थी कि जिस प्रकार हम सदन में नया परिवर्तन लाये हैं, उसी प्रकार महामहिम राज्यपाल महोदय भी प्रदेश की नीतियों के सम्बन्ध में कोई नया कदम उठायेंगे, किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने वही पुरानी दवाई, नयी शीशी में भी नहीं, पुरानी शीशी में भर कर प्रदेश की जनता के सामने उसी तरह रख दी जिस प्रकार एक डाक्टर मरीज की स्थिति पर विचार न करके वही एक दवा बार-बार उसको देता है, मरीज अपने प्रयास से दवाई बदलने का प्रयास करता है, मगर डाक्टर मरीज के सामने आकर, तोड़ फोड़ करके, फिर वही दवाई उसके सामने रखता है और किसी प्रकार उसको छोड़ना नहीं चाहता, अपनी कुर्सी पर चिपके ही रहना चाहता है। इससे मरीज का मानसिक संतुलन बिगड़ता चला जाता है। यही स्थिति आज जनता की है। महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश की भावी नीतियों के बारे में कोई सुधार लाने का प्रयास नहीं किया।

दूसरी बात उसमें यह खटकी कि उसमें उन्होंने उद्योग के बारे में अपने विचार व्यक्त किये, कारखानों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये, और चीजों के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किये, परन्तु आज प्रदेश में वे लोग जो मनुष्यों का निर्माण करते हैं और आज भटक रहे हैं, शिक्षक

[श्री रामप्रकाश त्रिपाठी]

हैं, उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। विद्यालय एक ऐसी फैक्टरी है कि जहां पर मनुष्यों का निर्माण होता है और वह शिक्षकों के द्वारा ही होता है, परन्तु उन शिक्षकों के बारे में महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में एक शब्द भी नहीं जोड़ा इससे प्रदेश का शिक्षक वर्ग क्षुब्ध है।

भ्रष्टाचार दूर करने के संबंध में भी प्रदेश की जनता के सामने महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कोई आश्वासन नहीं दिया जब कि जनता को यह आशा थी कि माननीय मुख्य मंत्री अपना पद सम्भालने के बाद इस ओर कोई निश्चित कदम उठायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैंने अपने विकास खंड कार्यालय में जाकर देखा कि वहां पर किसानों को किस तरह से सताया जा रहा है और किस प्रकार से रिश्वतखोरी उनके सिर पर लदी है। दो-दो तीन-तीन साल से तकावी की फाइलें खंड विकास अधिकारी की आलमारी में सड़ रही हैं और पन्द्रह परसेन्ट के ऊपर तकावी दी जा रही है। मैं तो जहां तक समझ पाया हूं कि खंड विकास अधिकारी से ले कर जिलाधिकारी तक यह रुपया आपस में बांटा जाता है। इसी प्रकार अनेकानेक अधिकारियों की दिन प्रति दिन शिकायतें होती हैं परन्तु पता नहीं उन शिकायतों प्रति क्या होता है। इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। शासन में तब तक सुधार नहीं होगा जब तक यह भ्रष्टाचार इस प्रदेश से समाप्त नहीं होगा।

जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने यातायात के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र के विषय में बातें कही हैं कि जब से सृष्टि बनी है तब से वहां कोई यातायात का साधन नहीं है। श्रीमन्, हमारे यहां भी इसी प्रकार से एक विष्णुगढ़ का इलाका है। वह भगवान विष्णु का धाम है। अन्नपूर्णा का केन्द्र है और जब कि देश अन्न की मांग कर रहा है उस स्थान पर जो कस्बे से आठ मील की दूरी पर है, कोई यातायात की सुविधा नहीं है। जैसा कि मुझ से पूर्व वक्ता ने बताया कि उनके इलाके में तो मुख्य मंत्री जी भी पधार चुके हैं परन्तु यहां की स्थिति तो और भी शोचनीय है। विष्णुगढ़ के इलाके में, जो विष्णु का गढ़ कहलाता है बिजली और यातायात की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त और भी क्षेत्र हैं जहां पर सड़कें नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि हमारे इलाके में एक पुल ६ वर्ष से बन रहा है। इतने लम्बे समय में पता नहीं कितने कान्ट्रेक्टर्स वहां बदले जा चुके हैं परन्तु वह द्रौपदी की चीर की तरह वहीं पड़ा हुआ है। एक खम्भा मैंने पिछले तीन साल से खड़ा देखा था वह वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। इन तमाम परिस्थितियों को देखकर और जनता की भावनाओं को देखकर मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह संशोधन लाना चाहता हूं कि उसमें भ्रष्टाचार निरोध के लिये, विद्यार्थियों की हाई स्कूल तक की फीस माफ करने के लिये, शिक्षकों के समान वेतन के लिये, राज्य कर्मचारियों की मांगों के लिये, भूमि भवन-कर हटाने के लिये इन कई बातों का संशोधन परम आवश्यक सा है।

श्री ओम् प्रकाश सिंह (जिला बरेली)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने प्रथम बार मुझे बोलने का अवसर दिया। दो दिन से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। जहां तक मैंने इस भाषण को सुना और पढ़ा, मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि यह भाषण एक परम्परा हो गई है। प्रत्येक नये सत्र के शुरू होने पर यह भाषण होता है और उसमें उसी प्रकार की बातें कही जाती हैं। कोई नई बात नहीं कही जाती है। हमको तो यह देखना है कि पिछले वर्षों में हमारे प्रदेश में जो शासन रहा है, जो सरकारें रही हैं उन्होंने किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलाई। मैं एक बात के लिये तो सरकार को बधाई देता हूं कि इस आम चुनाव से पूर्व हमारे प्रदेश की जैसी स्थिति थी, जो हमारे देश की स्थिति थी, हमें बाह्य आक्रमणों का खतरा था, चीन और पाकिस्तान हमारी ओर मुंह बाए खड़ा हुआ था। देश में और भी बहुत सी घटनाएं घटित हुई थीं जिसकी वजह से हमारे देश में महंगाई बढ़ी। देश में संकट के कारण लगान भी कुछ बढ़ाया गया।

भूमि भवन-कर भी लगाया गया। ऐसी परिस्थिति में जब कि सारे देश में एक प्रकार से यह कहा जाता था बड़ी अशान्ति है, बड़ी परेशानी है, हमारी सरकार उससे विचलित नहीं हुई और उसने आम चुनाव कराया। एक बड़े ही शान्तिपूर्ण ढंग से आम चुनाव हुआ और जनता ने अपना फैसला दिया। जो कुछ भी हुआ वह हमारे सामने है। इस शान्तिपूर्ण चुनाव के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। परन्तु महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कोई नयी बात ऐसी नहीं कही गयी है जिससे यह सोचा जाय कि जनता को आगामी दिनों में कोई राहत मिलने वाली है। हमें यह देखना है कि पिछली जो हमारी योजनायें चलीं जिन्हें महामहिम राज्यपाल ने पिछले वर्षों में बड़ा योजनाबद्ध कहा है, वह वास्तव में नहीं है। मैंने दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के परिणामों को देखा। न तो जनता की आय में कोई बढ़ोत्तरी हुयी और न गरीबी दूर हुई है। जहां तक देश में औद्योगीकरण का प्रश्न है, हमारे प्रदेश में औद्योगीकरण भी अच्छे प्रकार से नहीं हुआ है।

सबसे प्रमुख समस्या जो कि आज हमारे देश में है वह अन्न की है। लेकिन अन्न की समस्या को हल करने में हमारी सरकार पूर्णतया असफल रही है। इसी प्रकार से जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, उसमें भी हमारी योजनायें कागज के ऊपर अधिक रहीं। इस सम्बन्ध में मैं अपने जिले की बात कह दूं कि वहां पर प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को समय पर वेतन नहीं मिलता है। तीन-तीन और चार-चार महीने तक प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक बिना वेतन के रहते हैं। तो जो ये योजनायें हमारे प्रदेश में चलीं और उनका जो परिणाम निकला, मैं तो यही कहूंगा कि ये सारी योजनायें कागज के ऊपर अधिकांश रहीं। हमारे नेता और मंत्री लोग फीगर्स को देख कर ही अनुमान लगाते हैं कि हमारी योजनायें सफल हुई हैं। मैं तो आपको एक दो उदाहरण दूंगा, एक तो अन्न के सम्बन्ध में और एक सिंचाई के सम्बन्ध में। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह कहा गया है कि आने वाली चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये ९२६ करोड़ रुपया रखा गया है, लेकिन मुझे खेद है कि जहां अन्न की समस्या को हल करने के लिये इतना बल दिया गया है, अब गल्ला प्राक्योरमेंट स्कीम को लागू करने की बात कही जाती है, कभी भी सरकार ने यह नहीं सोचा कि अन्न की समस्या को हल करने का जो सबसे मुख्य साधन है वह सिंचाई है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सिर्फ ८० करोड़ रुपये की व्यवस्था सिंचाई के लिये की गयी है जिसे मैं अपर्याप्त समझता हूं। सिंचाई के सम्बन्ध में पिछली योजनाओं के जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे मैं यह सिद्ध करूंगा कि हमारी योजनायें केवल फीगर्स पर ही आधारित रही हैं। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना में १३०.४० लाख एकड़ सिंचित क्षेत्र दिखलाया गया है और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में वह सिंचित क्षेत्र १९५.८३ लाख एकड़ दिखलाया गया है यानी ड्योढा क्षेत्र हो गया है। परन्तु जब मैं पैदावार को देखता हूं तो पहले जहां पैदावार ११८.६७ लाख टन थी वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में १९६४-६५ के अन्त तक १४९.८५ लाख टन ही हुयी। इस तरह से सिंचित क्षेत्र तो तीन पंचवर्षीय योजनाओं में ड्योढ़ा हो गया और उर्वरक वगैरह भी काफी मात्रा में काश्तकारों को दिया गया, परन्तु जो अन्न की पैदावार है वह सिर्फ सवाई हुई। सिंचाई के साधन तो डेढ़ गुने दिखाये गये हैं परन्तु उत्पादन केवल सवाया ही हुआ है। जैसे एक मुंशी जी थे जो अपने गांव से जा रहे थे, बीच में नदी की बाढ़ आयी हुयी थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि नदी इतनी लम्बी चौड़ी है और उसके हिसाब से उसकी गहराई का हिसाब लगाया और आगे बढ़े कि सारे परिवार सहित उसमें डूब गये। इसी प्रकार से इस सरकार ने दिखाया है कि इतनी खाद डाली गई, इतने एरिया में सिंचाई हुयी। इसका परिणाम यह निकलना चाहिये। यही कारण है कि आप अन्न के उत्पादन में सफल नहीं हो पाये हैं।

प्राइमरी एजूकेशन के बारे में दिखाया गया है कि पहली योजना में २७.३७ लाख बच्चे पढ़ने के लिये गये और तीसरी योजना में ९१.५९ लाख गये। यानी तीन गुने बच्चे पढ़ने के लिये गये। लेकिन यह संख्या बिलकुल गलत है और हमारी सरकार इस गलत फीगर्स पर चल रही है। इसलिये मैं आपसे कहूंगा कि आप वास्तविकता पर चलें।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

श्रीमन्, मैं एक जानकारी चाहता हूं ।

[श्री अध्यक्ष---

सदस्यों से जानकारी करने की परम्परा नहीं हैं ।

[श्री ओम् प्रकाश सिंह---

लैंड डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किसानों को लोन दिया जाता है । इसको देखकर मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि इससे जनता का कोई लाभ नहीं होता है । हमारे जिले में एक-एक साल की एप्लीकेशन्स पड़ी हैं इस समय तक उसको कोई ऋण नहीं मिल सका है । जिनको ऋण मिलता भी है उनको आठवां दसवां भाग खर्च कर देना पड़ता है । छोटी-छोटी क्लेरिकल मिस्टेक्स पर ऋण अस्वीकृत कर दिया जाता है । इसलिये इस योजना को भी खत्म कर देना चाहिये ।

मंत्रिमंडल पर यह आरोप लगाया जाता है कि मंत्रिमंडल का गठन जातीय आधार पर हुआ है । इस पर मुख्य मंत्री जी को विचार करना चाहिये । दूसरे मंत्रियों के विरुद्ध बहुत से भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जा रहे हैं । कम से कम प्रशासन को नीट एन्ड क्लीन बनाने के लिये भ्रष्ट मंत्रियों को मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहिये और मंत्रिमंडल का गठन पुनः किया जाना चाहिये ।

अन्त में मैं कहूंगा कि इस प्रदेश में सिंचाई का प्रबन्ध किया जाना चाहिये । औद्योगीकरण किया जाना चाहिये । टेक्नीकल ऐजूकेशन तथा मीन्स आफ कम्युनिकेशन्स का प्रबन्ध होना चाहिये । सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिये और एक होना चाहिये । प्रोफेशन टैक्स और भूमि-भवन कर को समाप्त किया जाना चाहिये ।

*स्वामी ब्रह्माश्रम (जिला मिर्जापुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश के दक्षिणी अंचल मिर्जापुर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । जिस प्रकार से मिर्जापुर सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व में अग्रणी रह है, उसी प्रकार से विकास की दृष्टि से भी अनुकरणीय होने जा रहा है । किन्तु आज समय का फेर है, पता नहीं क्यों यह विपत्ति उस जनपद के अधिकांश प्राणियों के ऊपर आ गिरी है कि लगभग १०-१२ लाख जनता अन्न और जल विहीन होकर तड़प तड़प कर मृत्यु के कगार तक पहुंच चुकी है । इसलिये आपके माध्यम से मुझे सरकार से हठ एवं प्रार्थना करनी है कि वहां के संरक्षण के लिये और वहां के उत्थान के लिये प्राथमिकता प्रदान की जाय । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो बच्चा रोने वाला होता है उसी को दूध दिया जाता है लेकिन जहां पर कि लाखों प्राणी घरबार विहीन होकर उत्तरोत्तर मृत्यु के मुख में जाने के लिये भटक रहे हैं । वहां उन लोगों के लिये कोई व्यवस्था नहीं । वह श्रृंगाली क्षेत्र में परिपूरित होने वाला रिहन्द बांध, जहां से विद्युत विकास हो कर अन्य जनपदों को प्रकाशित करता है या वह व्यापारी आकांक्षाओं को सफल बनाने में भले ही कामयाब और महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ हो लेकिन उस मिर्जापुर क्षेत्र में उस विन्ध्यागिरि प्रावेष्टित प्रांगण में जहां १० लाख प्राणियों का निवास है वहां पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि इस स्थल और इस अंचल पर आपका अधिक अनुग्रह होना चाहिये ।

बीसों वर्षों से विधान सभा में या उद्घाटन या भाषण आदि में देश बहुत अग्रमुख हो चुका है, लेकिन अफसोस है कि हमारे क्षेत्र में ६--६ और ७--७ मील तक वहां के प्राणियों को अपनी रक्षा के लिये पेय जल लेने जाना पड़ता है । यदि एक भी कुयें में बोरिंग की व्यवस्था सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

द्वारा हुई होती तो आज इस संकट काल में इतनी मुसीबतें, इतनी दर्दनाक और इतनी भारी विपत्ति का अनुभव हमें न होने पाता। पिछले बीसों वर्ष में उस क्षेत्र में विकास के नाम पर शायद दो एक सड़कें भले ही मिट्टी से पाटी गयी हों जहां पर कि आप पैदल साइकिल पर या जीप द्वारा यात्रा करने में असमर्थ रहेंगे। जिस मिर्जापुर की अलमूनियम फैक्टरी सारे देश की सेवा करती है, जहां की सीमेंट फैक्टरी, रिहन्द बांध और खनिज पदार्थ द्वारा सारा देश लाभान्वित होता है, वह रत्न गर्भा बसुन्धरा कहलाने वाला भूभाग, वह अंचल पीने के जल के अभाव में रहे यह बड़े दुख की बात है, यह चीज सरकार की आंखों से ओझल न होना चाहिये। मैंने २१ तारीख को नेता सदन से प्रार्थना की थी कि आप जल्दी से जल्दी मिर्जापुर पधारें। नेता सदन ने मेरी प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार करके वहां के लिए प्रस्थान किया। उसके लिए मैं और मेरे जिले के रहने वाले सभी आभार मानते हैं कि इस संकटकाल में सर्वप्रथम हमारे जिले में पधारे। कल भी मैंने उनसे मिलकर प्रार्थना की कि आपको पुनः मेरे जिले में चलना पड़ेगा और उन्होंने सहर्ष कहा कि वे चलेंगे और जितना उनसे हो सकेगा वे उतनी अधिक व्यवस्था करेंगे। इस सम्बन्ध में सब के लिए मैं उनका ऋणी हूं। रस्साकशी की धांधली में इस समय संकटग्रस्त जो वहां का मानव समाज है वह कहीं कुचल न जाय इसलिए इस माननीय सदन के सभी सदस्यों और हमारी सरकार को वहां की स्थिति पर दृष्टिपात करके उपक्रम करना चाहिए।

श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं सारे सदन के माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह जिला उनसे ओझल न रहे क्योंकि वहां के १५ लाख आदमी संत्रस्त हैं और वहां पर आज कंगाली और भुखमरी की अवस्था है। आज उन्हें किस विपत्ति और संकट का सामना करना पड़ रहा है वह शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। अतः मैं माननीय खाद्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा और माननीय नेता से भी पुनः प्रार्थना करूंगा और अन्ततोगत्वा मैं तो यह चाहूंगा कि जब तक वहां पर ठीक व्यवस्था न हो जाय, सारी शक्ति की उस तरफ व्यवस्था करते हुए, जितना भी अविलम्ब हो सके कूपों में बोरिंग की व्यवस्था की जाय। थोड़ी सी वर्षा हुई, तालाबों और नदियों में पानी तो भर गया लेकिन वह क्षणिक है, अस्थायी है। इस बीच में प्रकृति ने जो अवसर दिया है, उससे लाभ उठाना चाहिए। अब तक तो वहां पर लाखों पशु मर जाते यदि प्रकृति की यह कृपा न होती। इसलिए मैं पुनः सरकार से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम २–३ मील के अन्तर्गत यदि कूपों में बोरिंग करा कर पानी की स्थायी व्यवस्था की जाय तो इससे न कवल पशुओं की और मनुष्यों की रक्षा हो सकेगी अपितु कृषि की भी उन्नति होगी। मैं पुनः नेता सदन को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और इस सम्बन्ध में अपने विचार पुनः किसी समय इस सदन के समक्ष रखूंगा।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में माननीय कृष्णानन्द राय जी के धन्यवाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल से यह वाद-विवाद चल रहा है और सदन में बैठे हुए दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे लेकिन मैंने यहां पर एक बात यह देखी है कि यदि कोई प्रस्ताव या कोई सुझाव इस शासक दल की ओर से या कांग्रेस पार्टी की ओर से रखा जाता है तो निश्चय ही वह चाहे कितना ही सुन्दर क्यों न हों, अवश्य ही उसका विरोध होता है। जैसे विरोधी दल का नाम है और विरोधी पक्ष की बात है मेरी जहां तक व्यक्तिगत राय है मुझे अच्छा नहीं लगता है। सदन में बैठे हुए जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और सरकार की तरफ से जो भी रचनात्मक सुझाव आए हैं मुझे आशा है, और आप को चाहिए कि उसका समर्थन करें और उस में सहयोग प्रदान करें। लेकिन अभी तक यही परम्परा कायम रही आप जो कुछ बोलेंगे विरोधी दल के नाते बोलेंगे और हम जो कुछ बोलेंगे तो आप यह समझेंगे कि उस का पक्षपात कर रहे हैं। यह जो भावना है, जैसा स्वामी ब्रह्माश्रम ने कहा इस संकटकालीन स्थिति में जिस प्रकार का आज का वातावरण है बजाय इस के कि माननीय सदस्य और प्रदेश की जनता मिल कर उस

[श्री धर्मवीर]

का समर्थन करें हम आपस में रस्साकशी की बात और एक दूसरे की बात को काटने में लगे हुए हैं और यही वजह है कि प्रदेश में आज जो कुछ भी विकास कार्य हुए हैं उन में पिछड़ापन नजर आता ।

अभी माननीय रुस्तम सैटिन ने बड़ गरम शब्दों में अपने विचार रखे कि युद्ध होने से देश की अर्थ-व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ता। दो, दो युद्ध हुए उस का कोई असर नहीं पड़ा, अकाल पड़ा इन सब का देश की अर्थ-व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा। मुझे दुख है, उन्होंने पढ़ा होगा कि युद्ध का परिणाम जो होता है वह चाहे भारत वर्ष के अन्दर हो, चाहे सम्पन्न राष्ट्र में हुआ हो, युद्ध का परिणाम ऐसा होता है कि वहां की अर्थ-व्यवस्था पर असर पड़ता ही है और उस को सम्हालने के लिए वक्त लगता है। लेकिन इसी बीच में दो, दो युद्धों का सामना करना पड़ा और आप जानते हैं कि करोड़ों की सम्पत्ति उस में नष्ट हुई और देश के आर्थिक विकास पर उस का असर पड़ा, यह आप को मानना चाहिए। लेकिन आज इस अर्थ-व्यवस्था के अलावा देश में जो भुखमरी, अकाल, उपलवृष्टि तथा संकटकालीन स्थितियां हमारे सामने आयीं जिन का मुकाबला करना चाहिए। हमें इस प्रकार उपेक्षित दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि सरकार ने जो कुछ भी प्रयास किए हैं वह जानबूझ कर खराब किए हैं, जनता के हित में नहीं किए हैं। जितनी भी योजनायें सरकार द्वारा चलायी गई हैं उन को देखें। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उन सब बातों का समावेश किया है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि पूरे भाषण में समाजवादी शब्द है ही नहीं। लेकिन उन्होंने उस को ध्यान से पढ़ा होता तो पाया होता कि समाजवादी शब्द यद्यपि उस में नहीं है लेकिन समाजवादी व्यवस्था को लाने के लिए जो भी प्रयास सम्भव हो सकते हैं उन सभी नीतियों का समावेश राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर है। इसलिए एकतरफा जो हमारे सोचने का तरीका है उसे बदलना चाहिए। इस भुखमरी और अकाल जिस की चर्चा लगातार कई दिन से होती चली आ रही है हमें इस संकट का सामना करने के लिए जो भी प्रयास सरकार कर रही है उस में मुझे आशा है कि आप सब उसी प्रकार का सहयोग प्राप्त करायेंगे और हम सब मिल कर उस संकट का मुकाबला करेंगे बनिस्बत इस के कि हम छोटी-छोटी बातों में उलझ पड़ें कि सरकार ने जो वक्तव्य दिया वह सही है या नहीं । सदन का जो समय है बजाय इसके कि व्यावहारिक काम में दिलचस्पी रखते हुए उस में सहयोग करें, हम इतना वाद-विवाद करते हैं कि जो ठोस परिणाम होना चाहिए वह नहीं निकल पाता है ।

जहां तक भुखमरी तथा उपलवृष्टि से पीड़ित क्षेत्रों का सम्बन्ध है कई क्षेत्रों का जैसे मिर्जापुर, इलाहाबाद की मेजा तहसील का जिक्र आया। पूरे प्रदेश में लगभग २१ जिले हैं जो इस से प्रभावित हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा जितने भी सम्भव प्रयास हो सकें वहां की जनता को राहत पहुंचाने में कोई कसर न उठा रखें। पिछले दिनों में हमने देखा है कि गल्ले के वितरण में सरकार सस्ते गल्ले की दूकानों के खोलने में, और भी जो सुविधाएं हैं, तकावी बांटना, लगान की वसूली का रोकना, सरकार ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे जनता को तकलीफ पहुंचे। बल्कि सारे सम्भव उपाय किए हैं ताकि उन को कुछ राहत मिल सके। मैं मानता हूं कि बीच में कुछ गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं। इसको हम और आप दोनों मानेंगे कि हमारा और आपका सहयोग जनता के साथ होना चाहिए। अनुचित रूप से जो ब्लैक मार्केट करते हैं उनको यह कह कर उपेक्षित नहीं किया जा सकता कि ये फलां के आदमी हैं। यह वह जहर है, समाज के वह जुर्म हैं जो हम दोनों को ले डूबेंगे। सरकार ने जब गल्ले के जखोरेबाजों को पकड़ा तो कहा जाता है कि गलत आदमियों को पकड़ा जाता है, सही आदमी नहीं पकड़े जाते हैं । अपने जिले में हम सभी को मालूम है कि कौन-सा व्यापारी ब्लैक मार्केटियर है लेकिन हमारी और आपकी यह हिम्मत नहीं हो पाती है कि हम अधिकारियों को ले जा कर उनको गिरफ्तार करायें। विरोधी पक्ष ने अध्यापकों और सरकारी कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में घेरा डालो आन्दोलन किये

तहसील, कलेक्टरी और विधान सभा के सामने, किन्तु विरोधी दल ने कभी यह प्रयास नहीं किया इन ब्लैक मार्केटियर्स की दूकानों के सामने घेरा डालते और धरना देते।

एक आवाज—

(आपने लाठियां चलवायीं।)मैं इस पर भी अपने विचार प्रकट करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अब आप का समय समाप्त हो गया है।

श्री धर्मवीर—

मुझे ५ मिनट और दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा ३ मिनट बोल लीजिए।

श्री धर्मवीर—

आप लाठियां चलाने की बात करते हैं। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस प्रकार के उत्तेजनात्मक कारनामे आपने इस सरकार के साथ किए हैं। उसे अब समाप्त करें, अन्यथा उसकी पुनरावृत्ति दूसरे स्थानों पर हो सकती है। आज उसी की पुनरावृत्ति वहां हो रही है जहां पर नान कांग्रेस सरकार बनी है। यह भी आपको सोचना चाहिए कि अगर आप इस तरह से जनता को गुमराह कर उकसाने की बात करेंगे तो यह प्रवृत्ति जनतन्त्र की मर्यादा के खिलाफ जायगी। जिस जनतन्त्र की नाव पर हम हैं उसी नाव पर आप भी हैं। अगर हम डूबते हैं तो आप भी बच नहीं जायेंगे। मैं उदाहरण देता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर अगर कहीं कोई बात हो गयी होती तो शोर मच जाता। लेकिन दुख है कि कभी-कभी बंगाल में जहां पर मुकर्जी का मन्त्रिमण्डल है, वहां पर उसी नयी नान, कांग्रेसी सरकार ने निहत्थे विद्यार्थियों, तथा और लोगों पर गोलियां चलवायीं। यह क्या मानी रखता है? मेरा निवेदन है कि प्रजातन्त्र को अगर जिन्दा रखना है तो ऐसा वातावरण आपको और हमको बनाए रखना है जिसमें उकसाने वाली बात न हो। और शान्तिपूर्ण ढंग से समस्याओं को सुलझायें। इस प्रकार विद्रोह की धमकियां नहीं दी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री धर्मवीर—

मैं दो मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अब आप एक मिनट में समाप्त कर दें। अब अधिक समय देना सम्भव नहीं है।

श्री धर्मवीर—

आप अपनी भावनाओं को संयमित रखें और इस तरह की बातें करें जिनसे हम आपके नेतृत्व से शिक्षा ग्रहण कर सकें। बात बात में आप धमकियां देते हैं, कभी वाक आउट कर देते हैं? क्यों? इसलिए कि अखबारों में नाम निकले, यह चीप लीडरशिप है। स्वस्थ नेतृत्व की परम्परा बनाएं जिससे नवयुवक शिक्षा लें और जनतन्त्र में आस्था कायम करें ताकि अपने विकास के पथ पर निरन्तर बढ़ते रहें।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

पहले सारे और माननीय सदस्य जो खड़े हैं वे अपना अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा--

अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने विरोधियों को बड़ी शिक्षा दी और बार-बार कहा कि अध्यक्ष महोदय का आदेश होने के पश्चात् भी विरोधी लोग बात नहीं मानते, लेकिन क्या माननीय सदस्य आपकी बार-बार आज्ञा के बाद भी बोलते नहीं रहे ?

श्री अध्यक्ष--

न यह व्यवस्था का प्रश्न है और न इस पर कोई व्यवस्था देने की आवश्यकता है।

श्री राजबली (जिला फैजाबाद)--

एक बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि मैंने भी संशोधन में अपना नाम लिखाया है। क्या बोलने वालों में मेरा नाम है, मुझे मौका मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष--

मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। बहुत से माननीय सदस्य बोलने की भावना रखते हैं, यह स्वाभाविक है। लेकिन न तो यह सम्भव है कि अगर सारे माननीय सदस्य संशोधन भेज दें तो सबको बुलाना अवश्यम्भावी हो जायगा और न इतना समय ही है। ४३ संशोधन मेरे सामने हैं। तो उसमें मैं यह नहीं वायदा कर सकता कि सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सकेगा। दस मिनट एक माननीय सदस्य बोलते हैं। यह तो समय पर निर्भर है।

मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं यह देख रहा हूं कि व्यक्तिगत रूप में कुछ माननीय सदस्य मेरे पास पर्ची भेजते हैं। मैं चाहूंगा कि यह प्रथा भी समाप्त हो। यह कुछ उचित नहीं मालूम होता कि व्यक्तिगत बोलने के लिये माननीय सदस्य यहां पर आने का कष्ट कर। मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि सभी माननीय सदस्यों को मुख्तलिफ अवसरों पर बोलने का मौका मिले। लेकिन सब एक साथ नहीं बोल सकते।

श्री अनन्त राम (जिला बाराबंकी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं कोशिश करूंगा जैसा कि अभी उस तरफ के बोलने वाले साथी ने कहा है कि मेरी बातें दलगत राजनीति से संबंधित न हों उसके ऊपर हों और जिस शिक्षा के लिये वह कहते हैं वह भी उसमें शामिल हो। अगर इस बीच में कोई तल्ख हकीकत सामने आ जाय तो मैं उनसे चाहूंगा कि वे उस पर गुस्सा न करेंगे बल्कि उस पर गौरव अमल करने की कोशिश करेंगे।

गवर्नर महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि चुनाव निष्पक्ष हुये, उचित रूप से हुए, लेकिन आप भी चुनाव लड़े उधर बैठने वाले लोग भी चुनाव लड़े। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस दल के लोग और खास कर के वे उम्मीदवार जो लोक सभा के थे वे या तो खुद पैसे वाले थे या फिर उनके पीछे जो लोग थे वे बड़े सेठ थे। लखनऊ का मामला आपके सामने है। हमारे बाराबंकी में भी हुसेन कामिल किदवई साहब का मामला है। एक तरफ तो वे स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई के भाई कहे जाते हैं और दूसरी तरफ वे टाटा, डालमिया की असोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनी के असिस्टेंट मैनेजर हैं और उन सेठों के पैसे के बूते पर चुनाव लड़े चुनाव संबंधी सारे नियम तोड़े गये। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है यहां पर असेम्बली के उम्मीदवार के लिये ९ हजार और लोग सभा के उम्मीदवार के लिये २५ हजार रुपये खर्च करने की सीमा निर्धारित है। लेकिन एक-एक में कांग्रेसी लोक सभा के उम्मीदवार ने कम से कम मैं औसतन बता रहा हूं -ढाई लाख रुपये खर्च किये और असेम्बली के उम्मीदवार ने २५ हजार

रुपये खर्च किये। (एक आवाज—बिल्कुल गलत।) इस तरह से काम नहीं चलेगा। इसकी आप जांच करवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष —

जांच के तो कुछ कानून हैं।

श्री अनन्त राम —

इस तरह से जनतंत्र लूट रहा है। आप उसकी हिफाजत के लिये यहां हैं। अगर सदन चाहे तो वह करवा सकता है। अगर मैं पूछूं कि बी० आर० मोहन ने कितना खर्च किया तो क्या आप बता सकते हैं?

(एक सदस्य—आपने कितना खर्च किया?)

श्री अनन्तराम—

मैं भी बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष —

मैं कहूंगा कि सीधे प्रश्नोत्तर न हों। आप सदन को मेरे द्वारा सम्बोधित करें। आप सीधे प्रश्न न करें।

श्री अनन्तराम —

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से यह पैसा आया। इसी के साथ-साथ जैसे सूखे और बाढ़ का रिलीफ फंड है उसका भी पैसा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। गरीब मतदाताओं में कम्बल तथा आटा वगैरा बांटा गया तथा गांव, कस्बा व शहर के प्रभावशाली आदमियों को पैसा तथा परमिट के लालच में डाल कर उनके असर व वोट खरीदे गये। इतना ही नहीं बल्कि गुंडा, बदमाश और जरायमपेशा लोगों को भी चुनाव में इस्तेमाल किया गया। इतना भी ख्याल नहीं रखा गया कि वह हिन्दुस्तानी नेशनल है या पाकिस्तानी नेशनल है। मेरे क्षेत्र में एक पाकिस्तान नेशनल मिर्या जानी है। वह पाकिस्तान न भेजा जा सके इसके लिये वह एक न एक जुर्म किया करता है.....

श्री अध्यक्ष—

इस सदन में अच्छी परम्परा यह मानी गई है कि जो सज्जन इस आदरणीय सदन के सदस्य नहीं हैं और जो यहां उपस्थित न हों तथा जिनको सफाई का मौका न हो उनका नाम लेकर लान्छन न लगाया जाय तो अच्छा है।

श्री अनन्तराम —

वह पाकिस्तानी नेशनल है इसलिये मैं कह रहा हूं। उसका इस्तेमाल किया गया। जब दो दिन रह गये तो हरिजनों में खूब शराब और स्प्रिट चलाई गई। इसके अतिरिक्त कांता, बल्लम और लाठी का भय चलाया गया तथा बन्दूक के सहारे लोगों को आतंकित करके वोट हासिल करने की कोशिश की गई और गरीबों से खुले वोट लिये हैं। यह सारी बातें चलती हैं। यह आप से छिपी नहीं होगी जहां तक वोट का मामला है, कांग्रेस एक अल्पमत की पार्टी रही है यानी कभी इस को ४७ प्रतिशत कभी ४१ प्रतिशत और कभी ३७ प्रतिशत वोट मिले और अबकी दफा तो इसे ३२ प्रतिशत ही वोट मिले हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी माननीय सदस्य से चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

ऐसी कोई प्रथा नहीं है ।

श्री अनन्तराम ---

इस चुनाव ने तो कांग्रेस को, जो इस सदन में चुनाव के पहले विधान सभा के भीतर भी बहुमत में थी अल्पतमत में कर दिया, क्या यह सही नहीं है कि इस चुनाव के परिणाम स्वरूप ४२३ में से केवल १९८ सीट ही मिली हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं यह चाहूंगा कि माननीय सदस्य सदन में शांन्ति स्थापित रखें। जब माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो उनको सुनने की कोशिश करें ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, यह हल्ला करना जानते हैं, हम नहीं जानते ?

श्री अध्यक्ष---

आपके बारे में यह शक नहीं है ।

श्री अनन्तराम ---

जो दल बहुमत में रहा वह आज अल्पमत में हो गया ।गवर्नर साहब ने शपथ ली है कि मैं . . . अमुक. . . ईश्वर की शपथ लेता हूं । सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, कि मैं श्रद्धापूर्वक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का कार्यपालन (अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन) करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा और कल्याण में निरतर रहूंगा । इस शपथ में तीन चीजें मुख्य हैं । एक तो राज्यपाल के कार्य का पालन करूंगा, दूसरे कानून और संविधान की रक्षा करूंगा और तीसरे जनता की सेवा करूंगा । अब आप देखिये कि उन्होंने क्या किया ? यह जो १९८ वाले लोग यहां बैठे हैं ? इनके नेता को उन्होंने मंत्रिमंडल बनाने का अवसर दिया और इस बात को भी श्रीमन्, आप ध्यान में रखें कि इनकी तादाद १९८ है अर्थात् जनता ने फैसला दिया है कि इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार न चलें । तो किसी भी तरीके से, किसी भी तर्क से इनको मंत्रिमंडल बनाने का न्योता देकर राज्यपाल ने जनतंत्र की हत्या की है ।

श्री अध्यक्ष---

देखिये, मैं आपका ध्यान नियम २८९ की तरफ दिला दूं--'बोलने तथा प्रश्नों का उत्तर देते समय पालनीय नियम' के अन्तर्गत 'च' में लिखा है कि राष्ट्रपति, किसी राज्यपाल अथवा किसी न्यायलय के आचरण पर आक्षेप नहीं करेंगे। तो मैं इतना चाहूंगा कि आप सांकेतिक रूप से ही कहें ।

श्री अनन्तराम---

जिस तरह से यह सरकार गठित हुई है, मैं तो केवल उसके बारे में ही कह रहा हूं, मेरा राज्यपाल की अवमानना करने का कोई इरादा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, आप सरकार के विषय में ही कहें ।

श्री अनन्तराम---

तो राज्यपाल का यह तर्क कि बहुमत अथवा अल्पमत का पता चल जायगा, ४--५ दिन की विधान सभा के बैठक के बाद, ठीक नहीं है । यह तर्क तो हमारे साथ भी लागू था । यदि हमें

सरकार बनाने का अवसर मिला होता तो बहुत से कांग्रेसी इधर बैठे होते । तो इस प्रकार से जनतंत्र की चुनाव के दौरान भी हत्या हुई है और बाद में इस तरीके से भी । मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस सरकार को न तो उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास प्राप्त है और न ही इस सदन के लोगों का, जैसा इससे स्पष्ट है कि हमारे बार बार मांग करने पर भी ये अपनी संख्या का बोध सदन को नहीं करा रहे हैं। यह सरकार झूठ, भ्रम, भ्रष्टाचार, आतंक व हिंसा की कोख से जन्मी है और यही चीजें इस सरकार से जनता को मिलने वाली हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं रहना चाहिये ।

इस दिशा में सरकार बढ़ भी रही है । कांग्रेस सरकार इस राज्य को पुलिस राज्य में तब्दील करने की दिशा में जा रही है । उसके कुछ उदाहरण हैं । कार्यपालिका और न्याय-पालिका को अलग नहीं किया जा रहा है जब कि इस बात का वादा कांग्रेस ने अपनी कराची कान्फ्रेंस में सन् ३१ में ही किया था । इतना ही नहीं पहले २५०–८५० रु० का वेतन हेल्थ अफसर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एस० पी० और जुडीशियल आफीसर के हुआ करते थे, किन्तु अब पी० आर० सी० कमेटी के रेकमेन्डेशन के बाद डिप्टी एस० पी० की स्केल ३०० रुपये से ऊपर हैं जब कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल आफिसर के स्केल ३०० रुपये ही हैं । इससे यह बात साफ जाहिर है कि पुलिस अधिकारियों को यह सरकार ज्यादा महत्व प्रदान करती है । आप और देखें । राशन जो यह सरकार वितरण कर रही है उसमें साधारण नागरिक को महीने में तीन किलो मिलता है जबकि साधारण पुलिस के सिपाही को १२ किलो मिलता है तथा पी० ए० सी० पुलिस जो हम लोगों पर डंडा चलाती है उसे १६ किलो यह सरकार देती है । तो धीरे-धीरे यह सरकार पुलिस की तरफ बढ़ती जा रही है । मेरा निवेदन है इस तरफ आप और यह सदन ध्यान दें ।

जैसा कि अभिभाषण में कहा गया है कि खेती और महंगाई के अहम मसले हैं उनके बारे में मैं थोड़े में कहे देता हूं । जब तक मेरे सुझाव के अनुसार निम्न कार्यक्रम चालू नहीं होंगे तब तक इन दोनों समस्याओं को हल मिलने वाला नहीं है । पहला–राजस्व को पूरी तरह से समाप्त होना चाहिये, दूसरा–सिंचाई की ऐसी योजना बनाई जाये, जिससे ७ साल के अन्दर-अन्दर सारे खेतों को पानी पहुंच जाये। तीसरा–औद्योगिक चीजों और अन्न के दामों में सन्तुलन कायम किया जाय। दो फसलों के बीच २० सैकड़े से ज्यादा अन्न के भावों में वृद्धि न हो तथा औद्योगिक उत्पादन की वस्तुओं के दाम में लागत मूल्य से बिक्री मूल्य में ड्योढ़े से अधिक का अन्तर न हो । यदि यह कार्यक्रम अपनाये जायं तो निःसन्देह महंगाई की स्थिति सुधरेगी और इसी समय रुपये का सवा सेर अनाज, १० पैसे बोतल मिट्टी का तेल, साढ़े तेरह आने सेर शक्कर और इस्ट्रेप्टोमाइसीन का इंजेक्शन बाजार में ३ आने का बिकने लगें ।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त ।

श्री अनन्तराम—

श्रीमन्, १ मिनट और समय दे दें । अब यह महंगाई दूर क्यों नहीं हो रही है उस पर आप गौर करें। गद्दी पर बैठने वाले लोग इनके पीछे जो बड़े सेठ हैं, जो बड़े सरकारी आफिसर हैं, इनकी आमदनी और खर्च हजारों और लाखों में पहुंच जाता है । यहां पर जो मंत्री बैठे हुये हैं उनमें से एक-एक पर लगभग हजार हजार रुपया महीना खर्च हो रहा है जब कि उत्तर प्रदेश में कम से कम ५ करोड़ आदमी औसतन कुछ आनों पर ही अपनी गुजर कर रहे हैं। जब तक यह अवस्था रहेगी यह महंगाई दूर नहीं हो सकती, उस वक्त तक चीजों के दाम घट नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेन्ट में बैठे हुये लोगों, गवर्नरों, मंत्रियों, सेठों, अफसरों को कोई परेशानी गरानी से होती नहीं । इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि इनकी आमदनी और खर्चों पर रोक लगनी चाहिये । बड़े से बड़े आदमी, चाहे आप हों, चाहे गवर्नर, चाहें मंत्री, चाहे कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर,

[श्री अनन्त राम]

चाहे वकील, डाक्टर, सेठ आदि कोई भी हो किसी को भी १५ सौ रुपये माहवार से ज्यादा खर्च करने की इजाजत नहीं होनी चाहिये । इन चीजों पर आप ध्यान दें ।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय अब समाप्त हो गया ।

श्री अनन्तराम—

मैं बस एक शेर कहकर खत्म करता हूं । माननीय बनारसीदास जी नहीं हैं, मैं चाहता हूं कि यह मेरा शेर उन तक भी पहुंच जाता ।

"बना है शह का मुसाहब फिरे है इतराता,
वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है ।"

*श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़) —

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं ।

मैं उस जनपद की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो २५, २६ लाख की आबादी का जनपद है । सन् १८५७ से लेकर आज तक इस मुल्क के लिये उसने कुरबानियां दी हैं । आजमगढ़ जिले ने १८५७ के गदर में जो काम किया है और उसका जो इतिहास है, जो उसने कुरबानी दी उसके कारण ही अंग्रेजों ने खास तरीके से उस जिले को तबाह किया । आज भी वह जिला उपेक्षित है और हर एक साधनों से वंचित है । पूर्वी उत्तर प्रदेश यों तो पहले से ही पिछड़ा हुआ है । लेकिन आजमगढ़ जनपद तो उसमें हर दृष्टिकोण से चाहे सिंचाई हो, चाहे सड़क हो, चाहे उद्योग हो, कोई भी साधन उस जिले में उपलब्ध नहीं हैं । उद्योग के मामले में तो मैं यह कहूंगा कि उस २५, २६ लाख की आबादी वाले जिले में कोई भी उद्योग कायम नहीं हो सका है ।

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर, अधिष्ठाता, डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी पीठासीन हुईं ।)

महामहिम राज्यपाल ने ६६ प्रतिशत सिंचाई के बारे में अपने अभिभाषण में कहा है । मुझे जिन इलाकों में ६६ फीसदी सिंचाई का हिस्सा पहुंच गया है वहां जाकर प्रसन्नता होगी लेकिन हमें शिकायत यह जरूर है कि आजमगढ़ जनपद में और विशेषकर जनपद अर्थात् लालगंज तहसील से मैं सदस्य हूं उस क्षेत्र में आज तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी ५ फीसदी भी सिंचाई का प्रबन्ध नहीं है । जहां ऐसे-ऐसे गांव हैं जो दो-दो हजार एकड़ के हैं और जहां ३ हजार एकड़ खेती का रकबा है, आज तक उनमें एक भी कुआं नहीं मिला है । उसका कारण यह है कि वहां पानी की सतह इतनी नीची है कि किसान अपने साधनों से कुआं नहीं बना सकता । यह वहां की हालत है । वह इलाका पिछड़ा हुआ है जिसकी आबादी लगभग ३।। लाख है । वहां ऐसे गांव हैं जहां कुंआं नजर नहीं आता है । मैं आपको यह भी बताऊं कि वहां तीन वर्षों से लगातार सूखे ने उस इलाके की कमर तोड़ दी है । उस लालगंज इलाके की गुजर केवल धान की फसल पर होती है । पिछले तीन साल के लगातार सूखे ने उस इलाके को बरबाद कर दिया है । यही हालत लालगंज इलाके के दक्षिणी भाग की है । यही हालत मुहम्मदीपुर के इलाके की है । यह सब धान का एरिया है । वहां सूखे के कारण धान की फसल नहीं हो सकी है । मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं । वह एक बहुत बड़ा इलाका है । कहने के लिये सभी लोग कहते हैं और सरकार भी कहती है कि वहां पटेल आयोग नियुक्त किया गया तो उससे बड़ा कार्य हुआ । लेकिन मैं उन भाइयों से निवेदन करूंगा और उनको निमंत्रण दूंगा कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाकर देखें कि क्या काम हुआ है । पटेल आयोग के द्वारा जो काम हुआ है वह एक मजाक सा हुआ है । जो काम शुरू किया गया था वह पूरा भी नहीं हुआ है । बीच में ही उसको बन्द कर दिया गया । मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है कि पहाड़ी इलाकों में अच्छा काम हो रहा है । वह काम होना चाहिये । चाहे सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे पिछड़ेपन की दृष्टि से और चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाय वहां काम होना चाहिये और मुझे इसकी खुशी है लेकिन पूर्वी इलाके की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये । मैं समझता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात को भी जोड़ दिया जाय कि कम से कम जो काम पटेल कमीशन ने आरम्भ किया था उसको पूरा जरूर होना चाहिये ।

पूर्वी इलाके की हालत सभी लोग जानते हैं कि वह कितना पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन उसका कारण यह है कि हमेशा उस इलाके ने देश के लिये कुरबानी की है और कुरबानी में वह आगे रहा है । वीर कुंवर साहब ने १८५७ में घूम-घूम कर उस इलाके से बहुत मदद ली थी । उसकी तरफ ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है । पच्छिमी इलाके का विकास हो रहा है और पहाड़ी इलाके का विकास हो रहा है मुझे इससे शिकायत नहीं । वह विकास होना चाहिये । हमें तो केवल यह कहना है कि पूर्वी प्रदेश जो आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक, वैज्ञानिक तरीके से पिछड़ा हुआ है और तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी उसकी हालत वसी ही बनी हुई है तो वहां पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है । अभी तक वहां पर कोई विकास का काम नहीं हुआ है । लगभग १।। करोड़ की आबादी उस इलाके की है, जिसमें आजमगढ़, जौनपुर, माजीपुर, बनारस, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती जिले आते हैं । इतने बड़े इलाके में जिसमें १।। करोड़ के लगभग जनता रहती हो वहां पर कोई भी उद्योग आज तक नहीं खोला गया है जिससे वहां गरीब जनता किसी तरह से अपना गुजारा कर सकती । वहां २ एकड़ से लेकर ५ एकड़ तक के काश्तकार हैं । जब ऐसे गरीब और साधनहीन काश्तकारों के पास सिंचाई के साधन नहीं रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वे किस प्रकार से अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं । इसलिये सरकार को इस तरफ अपनी तवज्जह देना बहुत जरूरी है ।

जहां तक सड़कों का सम्बन्ध है, यह काम भी उस इलाके में बहुत कम हुआ है । कुछ एरिया तो ऐसा है जहां पर १८५७ से लेकर १९६७ तक कोई सड़क नहीं बनाई गई हैं । जितनी स्कीम भी वहां के लिये बनाई गई हैं वह सब कागज पर रही हैं और वे जमीन पर नहीं आई । पूर्वी जिलों का एक छोटा अंचल है । आज भी वही आवाज वह दे रहा है । वहां वही गरीबी है, वही गुरबत है, वही स्तर है जो सौ बरस पहले था । तो मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि ऐसे जो जिले हैं कि जहां मुल्क की आजादी का, उसके विकास का, उसकी तरक्की और बहबूदी का कोई स्वप्न नहीं पहुंच पाया है उनके लिये सरकार का फर्ज है कि उन इलाकों में सरकार खास तरीके से विकास का कार्य करे । महामहिम राज्यपाल ने जैसे पहाड़ी जिलों के लिये विकास बोर्ड बैठाने का जिक्र किया है, वैसे ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन जिलों के लिये भी विकास बोर्ड बैठाया जाय जो पिछड़े हुये हैं और पटेल कमीशन के काम में जो कमियां रह गयी हैं और जिनकी पूर्ति आज तक नहीं हो सकी है उनको पूरा किया जाय । आजमगढ़ से बनारस जाने के लिये जो पुल है चंडवत का वह आज चार वर्ष से बन रहा है, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ । गोरखपुर और देवरिया के लोगों को काफी घूम कर जाना पड़ता है और इसमें बड़ी कठिनता होती है । इसे सरकार को शीघ्र पूरा करना चाहिये । १९ वर्ष आजादी को हो गये हैं लेकिन उन लोगों का स्तर आज भी वही है । उस समय तो अंग्रेजों ने उनको इसलिये दबाया कि उनमें आजादी का माद्दा था, चेतना थी, लेकिन इस सरकार को तो उस प्रदेश के लोगों को नहीं दबाना चाहिये ।

श्री भारतसिंह चौहान (जिला इटावा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं पिछले दो दिनों से माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर लगातार शासक दल के लोगों से उनकी प्रशंसा के गीत सुनता चला आ रहा हूं, लेकिन मैंने भी उनका अभिभाषण पढ़ा और उस में मुझे निराशा के अलावा और कोई चीज पल्ले नहीं पड़ी। पूरे का पूरा

[श्री भारतसिंह चौहान]

अभिभाषण निष्क्रिय एवं तथ्यहीन है । अभिभाषण वह होता है जिसमें प्रदेश की जनता की आशायें, आकांक्षायें और उन का प्रतिबिम्ब हो । आज सारे प्रदेश में भुखमरी और अकाल की जो स्थिति है उस की जो चर्चा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में देखने को मिली उससे ऐसा लगता है कि राज्यपाल महोदय सुदूर देहाती इलाके में रहने वाले लोगों की हालत से वाकिफ नहीं हैं । आप सब लोग जानते हैं कि खास तौर से उस इलाके में भयंकर सूखा, ओला और बाढ़ से लोग पीड़ित हैं, जहां पिछली बार पीने को पानी भी नहीं मिला, जहां ऐसी हालत थी वहां आज इस सरकार से बड़ी-बड़ी आशायें थीं कि सन् ६७ के चुनाव के बाद प्रदेश की जनता को खुशहाली देने के लिये लगान की माफी का ऐलान किया जायगा, केवल २५ प्रतिशत लगान माफी की ही घोषणा राज्यपाल के भाषण में की गयी । दूसरे प्रान्तों में जहां विरोधी दल की सरकारें घटित हुई हैं वहां आम लगान की माफी की घोषणा की जा चुकी है । अन्य कांग्रेसी सरकारों ने भी की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई लगान माफी नहीं की गयी और न भूमि भवन कर और वेशों के कर को समाप्त करने की बात की गयी ।

हमारे विपक्षी लोगों को भी उनके मतदाताओं ने बड़े अरमान से चुनकर भेजा है और उन्होंने अपने क्षेत्र के मतदाताओं से बहुत से वादे भी किये थे, लेकिन जहां से वह चुनकर आये वहां कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं किया गया । अभावग्रस्त इलाके में गल्ला का प्रबन्ध हो, वहां सस्ते गल्ले की दूकानें भी नहीं खोली गयी हैं । इटावा जिले में अभी मुश्किल से १०–२० जगह ऐसा इन्तजाम किया गया । वहां पारपट्टी का ऐसा पिछड़ा इलाका है जो हमेशा देश की आजादी की हिफाजत के लिये जवान देता रहा और जहां के किसान के बेटे आज भी मोर्चों पर जमे हैं, लेकिन उस इलाके के लोग आज भी भूखों मर रहे हैं, सस्ते गल्ले का कोई इन्तजाम नहीं है । यह कह दिया जाता है कि इन्तजाम कर दिया गया । इस इलाके में न शिक्षा का कोई प्रबन्ध है, न यातायात का, हर दिशा में पिछड़ा हुआ है । औरैया जो प्रदेश की इतनी बड़ी मंडी है उसके नजदीक सरकार ने शेरगढ़-जमुनाघाट का पुल बनवाने का वादा किया था वह पूरा नहीं किया गया और कंकोर से लेकर कंचोसी होते हुये रसूलाबाद तक जो पक्की सड़क बननी थी उसका भी निर्माण नहीं हुआ । मुरादगंज से एक मील सड़क बनाकर शेष छोड़ दी गयी और लाखों रुपया बरबाद कर दिया गया है । जिस प्रकार से यह सरकार गड़बड़ कर रही है उस पर आज भी यह अपने को लोकतंत्रीय सरकार कहती है । आज जब कि प्रदेश में भुखमरी का बोलबाला है, सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार को प्रश्रय दे रहे हैं । मुझे अपने जिले में हिन्दी और अंग्रेजी पत्रों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला । पत्रकारों के साथ जिला अधिकारियों का रवैया निन्दनीय है, उनके लिये कोई भी सुविधा देने की इच्छा नहीं है ।

आज एक सवाल उठता है कि आप किसानों से गल्ला वसूल करेंगे । सभी को मालूम है कि किसान के पास इस फसल में और पिछले दो सालों से अपन खाने लायक भी गल्ला पैदा नहीं हो रहा है, अगर इस साल पिछले सन् ५२ की पुनरावृत्ति की गयी और जबरन गल्ला वसूल किया गया तो असंतोष की जो ज्वाला धधक रही है वह फूट निकलेगी और उसको दबाना इस सरकार के लिये नामुमकिन होगा । अध्यापकों का वेतन बढ़ाने की बार बार बात की गयी, हायर सेकेन्डरी स्कूलों के अध्यापकों की, लेकिन आप सत्ता के मद में चूर हैं, इस नशे को उतारने के लिये इस प्रदेश का किसान और अध्यापक वर्ग आगे बढ़ेगा और तब इस कुर्सी पर बैठे हुये आप दिखाई नहीं देंगे । जिस नशे में आज आप चूर हैं, अगर किसान से जबरन गल्ला वसूल किया गया तो आपका यह नशा टूट जायेगा और असंतोष की वह ज्वाला भड़केगी जो आपकी इन कुर्सियों को भी जला डालेगी ।

अध्यापकों के बारे में भी कहना चाहता हूं । आज उनके साथ भेदभाव की नीति बरती जा रही है । प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को और हायर सेकेन्डरी स्कूल के अध्यापक को आज समान सुविधायें नहीं प्राप्त हैं । राज्य कर्मचारियों को भी यह सरकार अभी लटकाये हुये है । यह सरकार आज अपनी सत्ता के मद में चूर है । शाही खर्चे खूब बढ़ रहे हैं । जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, एक मिनिस्टर पर एक हजार रुपये रोज खर्च होते हैं । आपको दूसरे

प्रान्तों की गैर कांग्रेसी सरकारों से सबक लेना चाहिये । आप क्यों नहीं उनकी तरह अपना भी वेतन भत्ता कम करते ? बहुत से कांग्रेसी सदस्यों तक ने इस सरकार की जोरदार शब्दों में आलोचना की है, लेकिन फिर भी यह सरकार चुप है, उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है । पिछले कई वर्षों से सूखे आदि के कारण किसान तबाह हो चुका है, इसलिये इस फसल का पूरा लगान माफ कर देना चाहिये । आज न केवल दूकानदार व मजदूर परेशान है, और न केवल नौकर पेशा परेशान है, बल्कि ९५ फीसदी काश्तकारों तक के घरों में आज खाने को गल्ला नहीं है । काश्तकारों के बच्चे एक बार दिन में भोजन करते हैं । अगर आप देहात में जाकर उनकी स्थिति को देखते तो आपका दिल भी वही कहता जो आज मैं कह रहा हूं । आज प्रदेश में नौकरशाही का जिस तरह का नंगा नाच हो रहा है उससे जनता बहुत परेशान है । यह नौकर शाही बेलगाम हो चुकी है । इस पर नियंत्रण की आवश्यकता है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि विरोधी पक्ष के लोग क्यों नहीं गल्ला पकड़वाते । विरोधी पक्ष के लोग गल्ला पकड़वाते हैं, दूकानों पर जा कर धरना तक देते हैं, मगर यह सरकार हम पर गोली चलाती है, उन दूकानदारों को प्रोत्साहन देती है । अगर आप उन जमाखोरों की थैली के बल पर चुन कर आते रहे और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, तो आगे आने वाला समय आपको बतलायेगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे । सन् ५२ से आज तक आपकी तादाद बराबर घटी है, इसका आपको अहसास करना चाहिये । कोई भी पार्टी हो, यदि वह अपने क्षेत्र के लोगों के दुख दर्द का अहसास करती है, तो कोई कारण नहीं है कि वह यहां चुन कर न आये । इन शब्दों के साथ में आपको इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

श्रीमती कलारानी (जिला हरदोई)—

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव के समर्थन में मैं बोलना चाहती हूं। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण मैंने बड़े गौर से सुना है और पढ़ा है। मुझे तो महामहिम राज्यपाल के भाषण से हर्ष ही हुआ है । परन्तु महामहिम राज्यपाल के भाषण को पढ़कर विरोधी पार्टी को बड़ी निराशा हुई । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राज्यपाल जी के भाषण में सामयिक संकट तथा समस्याओं का हल संकेत रूप में किया गया है फिर वे कैसे कहते हैं कि उनके भाषण को देखकर के उन्हें निराशा हुई । महामहिम राज्यपाल ने २५ प्रतिशत की जो छूट लगान में दी है उससे किसान जनता को बहुत राहत मिली है । मैं अपने क्षेत्र में गई थी तो वहां जब इस बात का प्रचार फैला तो सारी किसान जनता जितनी खुश हुई उसका अन्दाज हम यहां नहीं लगा सकते । जिस समय चुनाव की आंधी चल रही थी और विरोधियों के प्रचार जारी थे तो उस समय उन्हें बहकाया जाता था कि कांग्रेस को समर्थन दोगे तो लगान दुगुना और तिगुना हो जावेगा । लेकिन प्रसन्नता की बात है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रथम दिवस पर ही उस लगान में छूट दे दी । उनका मकसद केवल इतना ही है कि किसान जनता को राहत मिले और उन्हें इस कष्ट से छूट दे दी ।

अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुये । मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि चुनाव निष्पक्ष किस प्रकार से माने जायेंगे ? चुनाव हमारे निष्पक्ष हुये । जनता के हाथ में ताकत थी । अब हमारी जनता इतनी अशिक्षित नहीं है, हमारे वोटर्स शिक्षित हो गये हैं और वे समझते हैं कि हमारे अधिकार में वोट देना है और सरकार को बनाना और बिगाड़ना है। आपने चुनाव परिणामों को स्वयं देखा होगा कि जनता ने बड़े-बड़े नेताओं को, चाहे आपकी तरफ बैठने वाले हों और चाहे हमारी तरफ बैठने वालों हो, दोनों को ही धराशायी किया है । जनता ने स्वयं निर्णय लिया है और अपने नुमाइन्दों को चुनकर भेज दिया। जनता ने कांग्रेस के दबाव में थी और न मंत्रियों के दबाव में थी । उसने अपना निर्णय स्वयं किया ।

दूसरी बात एक और भी है कि हमारा चतुर्थ महानिर्वाचन इतने शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ कि उसके लिये मैं प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को बधाई देना चाहती हूं । कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ । पहिले से इतनी पाबन्दी और देख-रेख रखी गई कि कहीं पर किसी प्रकार का झगड़ा नहीं हुआ और हमारा निर्वाचन बड़े शान्तिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ ।

मैं, नई सरकार को भी बधाई देना चाहती हूं । उन्होंने शासन की बागडोर लेते ही राज्य कर्मचारियों की समस्या, जो पिछले कई महीनों से जटिल पड़ी हुई थी, उसे प्रथम

[श्रीमती कलारानी]

दिन ही हल कर दिया और आज हमारे राज्य कर्मचारियों को जो आश्वासन मिला है उसके बारे में हमारी सरकार प्रयास कर रही है । उनकी मांगों को पूरा करने के लिये तत्पर है । कहा जाता है कि सूखे की परिस्थिति है । यह सभी लोग जानते हैं कि हमारा प्रदेश संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है और कई सालों से ऐसा सूखा है और खाने-पीने की बड़ी अव्यवस्था है । लेकिन महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया है । पहले के पन्द्रह वर्षों में सिंचाई की मात्रा जो है वह ६६ प्रतिशत बढ़ गई है और अब इस चालू वित्तीय वर्ष ६७--६८ में हमारे सिंचाई के साधनों से १२७ लाख ५६ हजार एकड़ भूमि को सिंचित कर दिया जायेगा । मैं तो यह समझ रही थी कि हमारी विरोधी पार्टियां हमको कुछ नये नये सुझाव देंगी । सरकार के पास कुछ नये सुझाव आयेंगे जिनके बारे में हमारी सरकार को कुछ सहयोग मिलेगा । लेकिन मैं देख रही हूं कि कल और आज की बहस में लगातार सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि अगर आप नहीं सम्भले तो चिनगारी भड़केगी । लेकिन मैं आपको बतला दूं कि जनता ने स्वयं अपना एक निर्णय लेकर कांग्रेस को अपना बहुमत प्रदान किया और हमारी सरकार बनी । इन चेतावनियों से हम दबने वाले नहीं हैं । हमें जो कार्य करने हैं और हमारे सामने जो योजनायें हैं उनको चलाने के लिये हम सक्रिय हैं । हमारे सामने खाद्य की समस्या है, गल्ले को जुटाने की समस्या है । उसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं और हमें आशा है कि हम अपने प्रयास को पूरा कर लेंगे । मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे प्रदेश में कोई भूख से नहीं मरेगा ।

दूसरी चीज यह है कि सस्ते गल्ले की तमाम दूकानें जो हमारे प्रदेश में खुली हैं, उनमें अव्यवस्था हो सकती है, गल्ले के वितरण की व्यवस्था दूषित हो सकती है लेकिन उसके जिम्मेवार हम भी हैं और आप भी हैं--दोनों हैं । हमें आप का जो सहयोग मिलना चाहिये वह सहयोग नहीं मिल रहा है । यही कारण है कि दोष केवल हमारा ही नहीं है, आपका भी है । साथ ही साथ जो जरूरत की चीजें हैं यदि उनके मूल्यों का नियन्त्रण हो जाय तो बहुत अच्छी बात होगी । जरूरत की चीजों का मूल्य यदि कम हो जाय तो लामुहाला जितनी अव्यवस्था है तो वह खतम हो जायगी ।

हमारा प्रदेश जिस संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है, उसके बारे में हमारी सरकार जागरूक है । अपने हाथ में शासन की बागडोर लेते ही उसने बहुत-सी जगहों पर गल्ला निकालने की कोशिश की, लेकिन हमारी भी दिक्कतें हैं, हम क्या करें । उन दिक्कतों का समाधान अगर कोई आपके पास हो तो वह आप पेश करें और फिर उस पर हम कार्यवाही न करें तो हम दोष के भागी हो सकते हैं । केवल आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा । हम यहां बैठ कर जनता की भलाई करना चाहते हैं और यह बात मान्य नहीं है कि मैं आप पर दोष रखूं और आप हमारे ऊपर दोष रखें । इसलिये मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है कि आप महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करें ।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)--

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, आज इस सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है । आज इस सदन के अन्दर जो युद्ध की बातें धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते हुये माननीय सदस्य कृष्णानन्द राय ने कही उनकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन हमारे एक नौजवान साथी जो उधर के माननीय सदस्य हैं --उन्होंने आज फिर युद्ध की बातें छेड़ दीं । माननीय कृष्णानन्द राय जी ने अपने सारे भाषण के दौरान में यह बात जाहिर करने की कोशिश की कि देश और प्रदेश में जो संकट है, मूल्य वृद्धि है, जो खाद्यान्न की बढ़ती हुई कीमतें हैं उनके दो कारण उन्होंने खासतौर से गिनाये । एक तो १९६२ का चीनी हमला और दूसरे १९६५ का पाकिस्तानी हमला । उस संदर्भ में उन्होंने चर्चिल का भी जिक्र किया । द्वितीय महायुद्ध के जमाने में जब चैम्बरलेन को हटाकर चर्चिल को इंगलैन्ड का प्रधान मन्त्री बनाया उसकी भी चर्चा की । तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने की कला में एक पारंगतपना उन्होंने दिखलाया । अगर वह सत्य के साथ ऐसा करते तो प्रदेश और देश का भला हुआ होता । उन्होंने कहा कि चर्चिल की सरकार ने लड़ाई लड़ी और उसके २ महीने बाद चुनाव में चर्चिल की सरकार हार गई । उन्होंने यहां का जिक्र करते हुये कहा कि ३० प्रतिशत मत उन्हें इसलिये मिल गये

कि हम २, २ लड़ाइयों के दौरान से गुजरे और मूल्य-वृद्धि और आर्थिक संकट आये, इसलिये कम प्रतिशत पाये। इंग्लैंड की जनता ने भी परखा और इस देश और प्रदेश की जनता ने भी सोचा-विचारा कि आखिर ये युद्ध किसकी नीतियों के परिणाम थे। १९६२ का चीनी हमला और १९६५ का पाकिस्तानी हमला कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों का परिणाम था। आपकी गलत नीतियों ने चीन और पाकिस्तान को न्यौता दिया, हिन्दुस्तान की पवित्र भूमि पर हमला करने का। तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश नहीं करना चाहिये। देश-हित की परम्परा को आगे बढ़ाना चाहिये जिससे हमारा देश दुनिया के और राष्ट्रों के सामने जा सके। युद्ध तो केवल दो ही देश कर सकते हैं, एक अमरीका और दूसरा रूस। असल में ये युद्ध नहीं थे, ये गुल्ली-डंडा थे। एक महीने की गुल्ली-डंडा में जब आप की यह हालत हो गई तो युद्ध में तो आप निकम्मे और नाकाबिल होने के कारण देश को बचा ही नहीं सकते थे।

खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ रही हैं, अन्न की कीमतें आसमान छू रही हैं। जब राज्यपाल जी ने गुप्ता जी को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया तो उस समय गुप्ता जी ने एक बयान दिया था कि वह बढ़ती हुई खाद्यान्न की कीमतों को रोकेंगे। इसमें आशा की किरण कुछ दिखलायी पड़ी लेकिन वह फूट भी न पाई थी कि काले बाजार का धंधा कर लिया इस सरकार ने और व्यापारियों ने उस पर काला पर्दा डाल दिया। असल में इस सरकार की कोई खाद्यान्न नीति नहीं है और न कोई दाम-निर्धारण की नीति है। व्यापारी सर उठा रहे हैं और काले बजार के धंधे की जगह से आज पूरे प्रदेश का मानव संरिता स्रोत सूख रहा है। जब तक संयुक्त विधायक दल को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करने की बात थी तब तक व्यापारियों ने सोचा कि इनकी नीति को तो दाम गिरानेवाली है और बाजार में खाद्यान्नों के दाम गिरने लगे। लेकिन ज्योंही राज्यपाल ने कांग्रेस को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया त्यों ही दाम गिरने बन्द हो गये और ऊपर चढ़ने लगे क्योंकि व्यापारी जानता है कि कांग्रेस सरकार की नीति दाम गिराने की नहीं है, बल्कि बढ़ाने की है। उसके बाद १४ तारीख को छापे मारे गये। एक साहस का काम इस सरकार ने किया लेकिन वह अधूरा ही रहा। इसके बाद हर जगह, हमारे बनारस में भी, १.३० रुपये किलो गेहूं बिका। काले बाजार के भाव पर इस सरकार ने सफेद बाजार की मुहर लगा दी। समस्याओं के निराकरण में इस सरकार का मन नहीं है। इनके कार्य वैसे ही हैं जैसे कि बर्रों के छत्ते को छेड़ दो, उसके बाद वह काटने लगता है। हमको ऐसा लगता है कि इस सरकार को व्यापारियों से साठ-गांठ है। उनके छत्ते को इसने छेड़ा और ब्लैक मार्केट के रेट पर मुहर लगा दी। या तो आप छेड़ो मत वरना छेड़ते हो तो छोड़ो मत। अगर आपका छेड़ने का मन है तो इन व्यापारियों को छोड़ने का मन नहीं होना चाहिये। लेकिन आपने पकड़ा किन लोगों को? कोई व्यापारी नहीं पकड़ा गया। पकड़े गये कौन? मुनीम, जो हिसाब-किताब रखने का काम करते हैं। आप व्यापारियों को नहीं पकड़ना चाहते क्योंकि वे आपको चन्दा देते हैं, चनाव के जमाने में तोड़-फोड करते हैं। कानपुर के उद्योगपति ने जो सदन के नेता के दोस्त हैं, यहां रह कर जो सरकार बनाने के समय विधायकों को तोड़ने की तिकड़म की और साजिश की, उसके लिये मैं आपके माध्यम से इस सरकार को और सदन को और सदन के माध्यम से देश को और प्रदेश को चेतावनी देना चाहता हूं कि जो परम्परा कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाने में अपनायी है, वह देश-द्रोह की परम्परा है। हो सकता है कि कल चीन, पाकिस्तान और अमरीका जैसे देश भी इस परम्पराओं को चलावें। सवाल तो सारा दाम निश्चित करने का है। एक फसल पैदा होने के बाद दूसरी फसल के पैदा होने तक दामों में २० प्रतिशत से अधिक का चढ़ाव नहीं होना चाहिये। जब तक चीजों के मूल्य सही रूप से निर्धारित नहीं होते तब तक इस प्रदेश और देश की जनता का भला नहीं हो सकता है।

इस सदन में मिर्जापुर में दुद्धी और राबर्ट्सगंज की भुखमरी की चर्चा भी की गई। आज कल मिर्जापुर की दुद्धी राबर्ट्सगंज और वाराणसी की नवगढ़ तहसील में सूखा से मौतें हो रही हैं। वहां भूख से मौतें हुई हैं। जब यह चर्चा चल रही थी कि उसकी जांच कराई जाय, तो कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं आया। जब राजस्व मन्त्री जी बयान दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि मिर्जापुर में भूख से कोई मृत्यु नहीं हुई है।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त हो गया है।

श्री चन्द्रशेखर—

यह २० वर्ष का रोग है, इसे निकालने के लिये १० मिनट का समय बहुत कम है। मैं चाहूंगा कि आप १० मिनट का मौका और दें। मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया है।

श्री अधिष्ठाता—

एक दो मिनट आप और बोल लें।

श्री चन्द्रशेखर—

जैसे बिहार के अधिकारियों ने रिपोर्ट भेजी कि भुखमरी से कोई मृत्यु नहीं हुई है लेकिन वहां की सरकार ने पूरे सदन की ओर से एक कमीशन की नियुक्ति की जो जाकर जांच करेगा कि भुखमरी हुई है या नहीं। इसी प्रकार से इस सरकार को भी इधर और उधर के दोनों ओर के सदस्यों की जांच करने की लिये एक कमेटी की नियुक्ति करनी चाहिये। अगर इस प्रकार से जांच की गयी होती तो भुखमरी से जो मृत्यु हुई है, वह बात साबित हो जाती और डंडे की चोट पर साबित हो जाती।

कहा जाता है कि रोटी के सवाल को राजनीति के सवाल के साथ क्यों जोड़ा जाता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर रोटी का सवाल राजनीति का सवाल नहीं है तो क्या ऐयाशी का सवाल, राजनीति का सवाल है? आज अगर आप भर पेट भी भोजन की व्यवस्था कर पाते होते तो प्रदेश की जनता आपको क्षमा कर सकती थी।

*श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अहिन्दी भाषी होते हुये भी अपना भाषण इस सदन में हिन्दी में दिया। साथ ही साथ मैं उनको इसलिये भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश में वैधानिक सरकार को संगठित करने में बड़ी सहायता की। मैं अपने पूर्व वक्ता महोदय को बता देना चाहता हूं कि हमारी अन्तर्राष्ट्रीय पालिसी नान-एलाइनमेंट की है और यही वजह है कि हमसे न तो कम्युनिस्ट वर्ग ही खुश होता है और न अमेरिका ही खुश होता है। चीन और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी हैं। उनके सिद्धान्त हमारे सिद्धान्तों से मेल नहीं खाते लेकिन हमारे खिलाफ होने के कारण दोनों एक होते हैं, उसी प्रकार से इस सदन में भी कम्युनिस्ट वर्ग और जनसंघ दल दोनों के सिद्धान्तों में कहीं भी मेल नहीं है लेकिन हमारे खिलाफ होने के कारण दोनों अनैतिक रूप से एक हो गये हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जब चुनाव हुआ था तो विरोधी दलों ने जनता से अलग अलग कहा कि हम कैसी सरकारें बनायेंगे। किसी ने कहा कि हम समाजवादी सरकार बनायेंगे और किसी ने कहा कि हम इस प्रकार की सरकार बनायेंगे लेकिन इस प्रकार की बात किसी ने नहीं कही कि हम नान-कांग्रेस गवर्नमेन्ट बनायेंगे। लेकिन यहां आकर और जनता को धोखा देकर जो सब मिल कर सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वह जनता के साथ धोखा है और जनता इसको कभी बरदाश्त नहीं करेगी। इसके कान्सीक्वेन्सेज उनको सहने होंगे। (शोर) मैं यह अनुभव करता हूं कि आपको मेरी सही बात कड़वी लग रही है। लेकिन आप को सही बात को सुनना चाहिये।

शिक्षा के बारे में मैं यह कहूंगा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने शिक्षा पर विशेष गौर नहीं किया। इस देश और इस प्रदेश में शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य बहुत आवश्यक हैं। शिक्षा में नैतिक शिक्षा का कोई जिक्र नहीं है जो आवश्यक है। यदि नैतिक शिक्षा को भी इसमें थोड़ा-सा स्थान दिया जाय तो जो गलत बातें होती हैं वह खत्म हो जायं। अगर आज कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गलत बात की जाती है तो उस को छिपाकर कहा जाता है कि यह तो पालिटिक्स है, यह चीजें इससे दूर होगी। सिचाई की भी बड़ी-बड़ी योजनायें सरकार के पास हैं लकिन इसमें दो तीन बातों को और जोड़ दिया जाय तो यह काम आगे बढ़ सकता है। माननीय राज्यपाल महोदय ने जिस प्रकार से किसानों के आपातिक अधिभार को समाप्त किया है और राहत दी है उसी प्रकार भूमि-भवन-कर और वृत्ति-कर पर भी वह गौर करें और उसको समाप्त करे या कम करें। इससे वकील, डाक्टरों आदि को भी राहत मिलेगी। मेरा सुझाव यह है कि आप बड़े-बडे काम जरूर करें लेकिन उसके साथ छोटे-छोटे कामों को न भूलें। हमारे यहां देहातों में छोटे-छोटे इंजिन आटा वगैरा पीसते हैं या तेल निकालते हैं और वे अधिकतर आबादी में ही हैं। सरकार यदि ध्यान दे तो जहां पर जमीन जोती जाती है वहां पर उनके लगाने की व्यवस्था करे ताकि वे थोड़ी बहुत सिचाई में भी मदद कर सकें। इसी तरह से देहातों में तालाब हैं लेकिन वह गहरे नहीं, मैं चाहूंगा कि उनको गहरा कराया जाय और मानसून हमारे यहां इतना होता है कि बरसात में वह भर सकते हैं और पानी सिचाई के काम में आ सकता है। हमारे यहां रेगिस्तान बढ़ रहा है उसको दूर करने के लिये सरकार को चाहिए कि कम से कम १ प्रतिशत जमीन पर वन लगाने की व्यवस्था की जाय, इस पर सक्रिय काम हो और १ प्रतिशत जमीन पर आम, महुआ आदि वृक्ष लगाये जायं। इससे भविष्य में वर्षा समय से होगी।

किस तरह से व्यय कम किया जाय इस सम्बन्ध में भी मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जुडीशियरी की तरफ सरकार ध्यान दें। कमिश्नरी और जुडीशियल आफिसर्स को एक जगह मिला दिया जाय। दीवानी के मामले तो सिविल जजों के यहां जाते ही हैं और फौजदारी के केस सेशन में होते हैं लेकिन माल के मुकदमे कमिश्नरी में जाते हैं। यह खर्च कम हो सकता है। ए० डी० एम० जे० को जो १०० रुपया अधिक मिलता है, यह पं.स्ट खत्म की जाय, इस तरह से बचत, खर्च में की जा सकती है। इस तरह से बचत करके कर भार को कम किया जा सकता है।

जहां तक जनस्वास्थ्य का प्रश्न है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये क्योंकि हमारा प्रदेश एक गरीब प्रदेश है और हर आदमी अपने स्वास्थ्य के लिये खर्च नहीं कर सकता है। यह तभी सम्भव है जब हमारे डाक्टर और सरकार इस तरफ विशेष ध्यान दें। हमारे यहां बीमारी फैलती है, चेचक फैलती है लेकिन इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है, वह होनी चाहिये।

वितरण व्यवस्था का जहां तक सम्बन्ध है, इसमें कोई २ रायें नहीं हैं कि हमारी हार का एक कारण यह भी है कि हमारी सप्लाई व्यवस्था गड़बड़ थी। सरकार ने गल्ला जुटाने की कोशिश की और बाहर से भी मंगवाया लेकिन जनता को कष्ट हुआ और यही एक कारण असन्तोष का रहा। आशा है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी और वितरण व्यवस्था को सुधारेगी। अभी विरोधी दल के सदस्यों ने कांग्रेस की बात कही लेकिन हम तो फिर भी उधर से अधिक चुनकर आये हैं लेकिन जनसंघ दल के कितने लोग पहले सामने अब आ पाये हैं? सोशलिस्ट पार्टी के लोग कितने बैठे हुए हैं? वे लोग कहां गये। उन्होंने कैसा कार्य किया जो आज वापिस नहीं आये? काम तो तभी चल सकता है जब हम और आप मिल कर किसी बात की ओर ध्यान देंगे। जहां तक सरकार का सवाल है वह तो चलेगी। मुझे आश्चर्य होता है जब आप कहते हैं कि विरोधी दलों की सरकार बननी चाहिये थी। यह कैसे हो सकता है जबकि वहां पर कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। आप कैसे कहते हैं कि १९८ सदस्य जो जनता का बहुमत प्राप्त करके यहां पर आये हैं वे सरकार न बनायें और आप १८८ इलैक्ट हो कर आये वे बनायें, आप सोचें कि इसमें कहां का औचित्य है।

जहां तक सिंचाई और पावर की व्यवस्था का प्रश्न है मैं समझता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने एक सच्चे किसान के रूप में हमारे प्रदेश को देखा है और अनुभव किया है और उसी के अनुरूप अभिभाषण दिया है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय कृष्णानन्द राय जी के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री महेश कुमार (जिला मुरादाबाद)---

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज और कल जिस तरह से हमारी और सरकार की ओर से एक दूसरे पर जो जवाब देने की परिपाटी चल रही है, हमारी ओर से ही नहीं बल्कि कांग्रेस दल के भी, जो उनकी तारीफ करते हैं, वे सच्ची बात कह जाते हैं। उनका भी कहना है कि आज इस समय प्रदेश में जखीरेबाजी है और चोर बाजारी है।

अभी-अभी एक साथी ने उधर से कहा कि चुनाव बड़े निष्पक्ष हुए हैं। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं उस जगह से आया हू कि जहां पर आचार्य कृपालानी जी इलेक्शन में खड़े हुये थे। मैं सम्भल से चुनकर आया हूं। जिस समय चुनाव हो रहे थे वहां पर कांग्रेसी को जिताने के लिये मिनिस्टर लोग इकट्ठे हुए थे और इलेक्शन के समय मेरे ऊपर चाकुओं से हमला कराया गया। (शेम शेम की आवाजें) माननीया अधिष्ठाता महोदया, इतना ही नहीं किया, जब मेरे ऊपर चाकुओं से प्रहार हो रहा था कांग्रेस के एक मंत्री कांग्रेस के दफ्तर में मौजूद थे। क्या यह है आपका न्याय, क्या यह है आपका प्रजातंत्र, क्या यही है आपका निष्पक्ष चुनाव? मैं २२ दिन अस्पताल में पड़ा रहा। वहां से मेडिकल रिपोर्ट भी गायब करा दी गयी। न्यायालय तक में एक्स-रे की रिपोर्ट नहीं भेजी गयी, यह है आपका प्रजातंत्र? क्या आप ने कभी इस पर विचार किया? (शेम शेम की आवाजें)

बड़े शर्म की बात है जब यह कहा जाता है कि तुम इतने हो और तुम इतने हो। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि सब से पहले हम तीन थे, फिर १७ हुए, फिर ४९, और आज हम ९८ हो गये हैं और अब तो हम सब के सब ही हैं। तुम्हारी बेंचों का क्या हाल है? तुमने लालच देकर कुछ लोगों को मिला लिया है, लेकिन मैं कहे देता हूं कि यह व्यवस्था बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। यहां मैं नहीं कहता, माननीय चरण सिंह जी कहते हैं कि यहां तो बनियाशाही चल रही है, कांग्रेस के कुछ लोग मेरे यहां भी आये और कहा कि तुम बनिये हो, गुप्ता जी के साथ रहो (शेम)। मुझसे यहां तक कहा गया कि इस मंत्रिमंडल से अच्छा और कौन-सा मंत्रिमंडल हो सकता है। इस मंत्रिमंडल में ६-६ बनिये हैं। इस प्रकार से बनिया मंत्रिमंडल बनाकर और जातिवाद फैला कर प्रजातंत्र कभी सफल होने वाला नहीं है। जनतंत्र के नाम पर यह बनिया गुट फेल होकर रहेगा। और अधिक दिन नहीं चल पायेगा। हमारे ही जिले के जो कांग्रेसी जीत कर आये हैं वे कहते थे कि चौधरी चरण सिंह की बात तो सही मालूम होती है कि ६-६ बनिये मंत्रिमडल में भर रखे हैं। इस तरह से काम नहीं चलने वाला है।

वह मैजिस्ट्रेट जिसके यहां मेरा केस था जब उसने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उस मैजिस्ट्रेट का ट्रांसफर कर दिया गया और जजमेंट रुकवा कर रखा। मैं मुख्य मन्त्री से मिला, मैंने कहा कि मेरे केस को छोड़ा जा रहा है तो माननीया सुचेता कृपालानी ने कहा कि मैं तो नाम मात्र की चीफ मिनिस्टर हूं। आज वह मंत्री भी हार गया जिसने यह गड़बड़ी करायी थी, और १, २ वोट से नहीं बल्कि १३ हजार वोट से हारा। उन मन्त्री महोदय को जिताने के लिये २, २ जीपें चलती थीं, पी० ए० सी० की लारियां चलती थीं, बदमाशों को जेल से छुड़ाया गया और उनके बलबूते पर वोट मांगे गये। लेकिन फिर भी हारे। जो लोग यह कहते हैं कि हम ज्यादा जीत कर आये हैं तो कांग्रेस के बलबूते पर ही मंत्रि-मंडल बनाते, तब हम जानते। आपने रुपये खर्च करके कुछ लोग खरीद लिये हैं। याद रखो वह वक्त भी आयेगा जब तुम भी इसी तरह से बिकोगे। लखनऊ में एक कांग्रेसी उम्मीदवार ने कहा था कि ५७ एम० पी० मेरे पास हैं जब चाहूं खरीद सकता हूं।

आज का शासन पूंजीपतियों का शासन है। बड़े घमण्ड से एक सज्जन कह रहे थे विरोधी पार्टी अनाज पूरा नहीं पकड़वाते। मैं कहना चाहता हूं मुरादाबाद जिले के अन्दर एक कांग्रेसी नेता की दुकान है, १४ दुकानें उनकी हैं, एक दफा रेंट कंट्रोल के मुकदमे के सिलसिले में डी० एस० ओ० निरीक्षण करने के लिये गये और जब उनको बताया गया कि यह गोदाम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी उन्हीं का है, वकील कहता है कि इस गोदाम में अनाज है इसको देख लो तो डी० एस० ओ० कहता है कि यह उसका काम नहीं है। जब डी० एस० ओ० अपनी कार में बैठ कर भाग गया तो पब्लिक ने घेरा डाल दिया और उस गोदाम को घेर लिया, उस में ९५ बोरे लाल गेहूं के आटे के पकड़वाये। मैं जानना चाहता हूं कि आपने उस डी० एस० ओ० के खिलाफ क्या कार्यवाही की। सरकार की तरफ से कहा गया कि पकड़ा हुआ गेहूं फौरन् नहीं छोड़ सकते। मगर चूंकि वह आटा एक कांग्रेसी का था इसलिये मुरादाबाद की कोतवाली की पुलिस ने उस आटे को अगले दिन ही को छोड़ दिया। तुम्हारा पकड़ा जाता है तो फौरन् छोड़ देते हो और विरोधियों का गल्ला पकड़ा जाता है तो उस गल्ले को सड़ा देते हो। इसके अलावा मुरादाबाद में पिसी हुई खोई आटें में मिलायी जा रही है। २० बोरे खोई के पकड़वाये गये। जब माननीय सुशील कुमार विद्यार्थी ने कहा कि माननीय मुख्य मन्त्री मिर्जापुर गये थे, आपने कहा कि भुखमरी नहीं हुई, तो क्या मुख्य मन्त्री का कर्तव्य नहीं था कि उस जिले के विधायक को अपने साथ लें लेते? मुख्य मन्त्री ने कहा कि जो मर गये सो मर गये, अगर उनके कोई लड़का होता और वह मरता तो क्या वह आंसू नहीं बहाते? अगर वह मिर्जापुर गये थे और किसी और काम से भी गये थे और मिर्जापुर की शिकायत मिली थी तो उनका फर्ज हो जाता है कि वहां के विधायक को अपने साथ ले कर उसकी जांच करते। आज इस लालफीताशाही को बन्द कीजिये। सुपर मार्केट बन रहा है, यह इस काम के लिये बनाया गया था कि यहां पर सस्ती चीज मिलेंगी। इतना पैसा इस इमारत के बनाने में खर्च किया जा रहा है। क्या यह काम खपरैल से नहीं चल सकता था? क्या लोगों को चीजें सस्ती मिल रही हैं? आज इस गरीब प्रान्त के अन्दर गवर्नर आते हैं तो उनके लिये अंग्रेजों जैसी साज-सज्जा की जाती है, लाल पट्टी बिछायी जाती है। यह सारा आडम्बर बन्द किया जाय। यह चीजें अब बहुत दिन तक बरदाश्त नहीं होगी। मेरा सुझाव है कि हम सब मिल कर जुट जायें कम से कम खर्च करें। जब मंत्री लोग दौरे पर जाते है, लोगों के यहां दावतें खाते हैं। भ्रष्टाचार तो आप स्वयं करते हैं जब दौरे पर से लौट कर अपने खाने का बिल बना कर देते हैं। झूठे बिल देते हैं, यह कहां का इंसाफ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने हाथ हमारी ओर बढ़ाया है। अच्छे काम आप कीजिये, चोरों को पकड़िये, बदमाशों को पकड़िये। विरोधी दल का एक-एक सदस्य आपके साथ होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो आप आज घट कर १९८ रह गये हैं अगली दफा केवल ५८ ही रह जायेंगे।

*श्री जी० एस० चौधरी (जिला मेरठ)--

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। लेकिन यह बात कह देना चाहता हूं :

"यह तो माना कि तगाफुल नहीं करोगे लेकिन,
खाक हो जायेंगे हम तुमको खबर होने तक।"

खूराक का मसला राजनीतिक मसला बना दिया गया है। यह एक ऐसा मसला है जिस पर सारे हाउस को विचार करना है। मैं नेता विरोधी दल और नेता सदन से अपील करूंगा कि वे एक ऐसी सब कमेटी बनायें और इस मसले को वार लेविल पर हल करने की कोशिश करें। मैंने इस सदन म माननीय सदस्यों की तकरीरें सुनीं लेकिन किसी ने, राशन और कंट्रोल जिसने हटाया उसका नाम नहीं लिया, रफी अहमद किदवई साहब का। माननीय गेंदा सिंह जी यहां तशरीफ रखते हैं। क्या वे उसी हौसले से कार्य करेंगे जिस तरह से रफी अहमद किदवई ने किया था?

अनाज की इतनी कमी नहीं है जितनी कि दूकानदारों ने बना रखी है। यह मसला सारे प्रान्त का, सारे देश का मसला है। इसे कैसे हल किया जाय, इस पर मैं अपने दो चार सुझाव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जी० एस० चौधरी---]

रखूंगा । पहला सुझाव यह है कि बैंक्स को पूरी हिदायत कर दी जाय कि अनाज पर एडवांस न करें ताकि व्यापारी होर्डिग न कर सके । (एक आवाज---यह तो पहले ही हटा हुआ है) दूसरा सुझाव यह है कि बी० डी० ओ० द्वारा खाद तथा बीज के तकसीम में सुधार होना चाहिये । अमेरिका में कुल ५.७ परसेन्ट एग्रिकल्चरिस्ट्स हैं और हमारे यहां ८० परसेन्ट एग्रिकल्चरिस्ट्स हैं । वह सारी दुनिया को राशन देता है और हम अपने यहां का ही राशन पूरा नहीं कर सकते । जब खाद चाहिये तो बीज मिलता है और जब बीज चाहिये तो खाद मिलती है । फर्टिलाइजर का हाल यह है कि उसको पानी ज्यादा चाहिये तो उस मिकदार में पानी नहीं मिल पाता है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एग्रिकल्चर, इर्रीगेशन तथा पावर एक ही मंत्री के सुपुर्द किये जायं तभी काम चल सकता है नहीं तो रेड टेपिज्म की वजह से कोई काम न ी चलता, दो-दो साल तक कागजी कार्यवाही होती रहती है। जाकर के देखिये पंजाब में, सरदार प्रताप सिंह कैरों ने किस तरह उठाया है । वहां एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के मामले में कोई देर नहीं होती थी, एक दफ्तर में ही सारा काम हो जाता था।

जहां तक किसान की पैदावार का सवाल है, उसके लिये एक इन्सेन्टिव की स्कीम जारी करनी चाहिये कि जो किसान अनाज को प्रति एकड़ ज्यादा पैदा करे उसको गवर्नमेन्ट की तरफ से इन्सेन्टिव मिलना चाहिये । इसके अलावा जैसा कि दूसरे मुल्कों में है, एग्रीकल्चरल इंश्योरेन्स स्कीम यहां भी लागू करनी चाहिये । हमारे प्रान्त में शायद ट्यूबवेल का रेट १० पैसा है जब कि आन्ध्र प्रदेश में ३.७ पैसा है । तो हमारे यहां ट्यूबवेल का रेट ज्यादा है, उसे कम करना चाहिये ।

एक बात और अर्ज कर दूं कि उस दिन श्री राकेश जी और श्री झारखंडे राय ने मिर्जापुर की बाबत कहा था तो मैंने उसी वक्त अध्यक्ष जी को लिख कर दे दिया था कि मेरा इस महीने का एलाउन्स जहां पर भुखमरी है, वहां भेज दिया जाय। इसके अलावा सरकार का एक जी० ओ० निकला है कि जहां नहर है, वहां ट्यूबवेल का पैसा जो पहले किसान को मिलता था वह अब नहीं मिलेगा । यह ठीक नहीं है इसलिये कि जब नहर में पानी न हो तो किसान उससे पानी दे सके क्योंकि फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से पानी की ज्यादा जरूरत होती है । इसलिये नहर वाले इलाके में भी ट्यूबवेल के लिये पैसा मिलना चाहिये ।

इंडस्ट्रियल पीस की बाबत राज्यपाल महोदय ने कहा कि इंडस्ट्रियल पीस है । लेकिन वह पीस वैसी ही है जैसी कि तूफान के पहले कुछ शान्ति होती है इसलिये कि कारखाना में फेयर प्राइस शाप्स खोल दी गयी हैं लेकिन महीनों से वहां अनाज, आटा, चावल वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है । इससे मजदूर बहुत असन्तुष्ट हो गया है और वह बिगड़ने की हालत तक पहुंच गया है ।

शुगर इंडस्ट्री हमारे प्रान्त की एक खास इंडस्ट्री है । इस ओर सरकार को खास ध्यान देना चाहिये । गन्ने का भाव भी बढ़ना चाहिये ताकि मिलों को पूरा गन्ना मिले और वे पूरा सीजन चलें । तब हम चीनी ज्यादा पैदा करेंगे, जो १२ लाख टन चीनी अब की कम हुई है उस कमी को पूरा करेंगे और चीनी का एक्सपोर्ट करेंगे जिससे हमें फारेन एक्सचेन्ज मिलेगा । अगर हम ज्यादा गन्ना और चीनी नहीं पैदा करेंगे तो कारखाने भी नहीं चलेंगे और पावर अल्कोहल भी नहीं बनेगी । लाल बत्ती हो गयी है, एक बात और कह दूं । हमें बड़ी-बड़ी स्कीमें नहीं चलानी चाहिये । एक विंड पम्प होता है जिसके लिये बिजली की जरूरत नहीं होती है, वह सिर्फ हवा से चलता है । छोटे-छोटे किसानों को वह पम्प दिया जाय । अगर वह पम्प लगा दें तो वह कई फीट तक पानी को खुद ही भर देता है । हमें छोटी-छोटी चीजों की तरफ भी ध्यान देना चाहिये । जैसे अमेरिका में टैक्सास है उस तरफ हमें अपना ध्यान देना चाहिये । रोड-वेज की हालत यह है कि खाली बस चलाई जायगी लेकिन अगर किसी ने बीच में हाथ दिया तो रोकी नहीं जायगी । इसलिये इसमें एफीशियन्सी लाने की जरूरत है । अगर सरकार को नेशनलाइज करना है तो वह जनता के साथ कम्पटीशन में आयें । फिर देखा जाय कि कौन सस्ती चलाता है । सरकार चलाती है या जनता के लोग चलाते हैं । सरकार का काम इंतजाम करना है, व्यापार करना नहीं है । अगर यह सरकार इंतजाम ठीक रखेगी तो महंगाई भी दूर होगी और भ्रष्टाचार भी कम होगा, भुखमरी से घबराना नहीं चाहिये ।

*श्री बाबूसिंह (जिला अलीगढ़)---

अधिष्ठाता महोदय, जो हमारे सम्मानित सदस्य ने भाषण दिया उसको मैंने सुना और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को भी पढ़ा । मैं सम्मानित सदस्य से यह कहूंगा कि जो भाषण उन्होंने दिया है, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी में भी काफी इख्तलाफ रहा । उसके बावजूद माननीय चरणसिंह जी ने इसलिये यह महकमा छोड़ा कि यहां पर बंटवारे और मुनाफे की रीति चलती है यानी किसी के पास एग्रीकल्चर है, किसी के पास पावर है और किसी के पास सिंचाई है । यह जो बंटवारा है अपने-अपने ग्रुप्स के मुजाफे के दायरे में है । अपने-अपने लोगों को वहां रख छोड़ा है ताकि यह सरकार कायम रह सके ।

जहां पैदावार बढ़ाने का सवाल है वह २० साल से पहले से नारा लगता चला आया है । इसी तरह से भ्रष्टाचार का भी २० साल से नारा लगाया जा रहा है । लेकिन अब सोचना पड़ेगा कि इसका नतीजा क्या हुआ । आज हमारे गुप्ता जी तथा अन्य वरिष्ठ मंत्री भी बैठे हुये हैं । जहां यह कहा गया कि भ्रष्टाचार कम हो वहां गुप्ता जी की अध्यक्षता में वह और बढ़ा । जहां कहा गया कि किसानों की पैदावार बढ़े वहां वह आज और घट रही है और लोग भूखों मर रहे हैं । ऐसा क्यों होता है ? इस पर वरिष्ठ मंत्री और हाउस के माननीय सदस्य विचार करें । देखिये पैदावार किस तरह से बढ़ सकती है । मंत्री लोग मीटिंग बुलाते हैं लेकिन सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं । जो पैदावार बढ़ाने के तरीके जानते हैं उनकी राय की इस मीटिंग में कोई कदर नहीं होती है । नीचे से ऊपर तक ऐसे लोग वरिष्ठ कुर्सियों पर बैठे हुये हैं जो किसानो के काम का नहीं जानते ह । आज इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक किसान होना चाहिये और प्रदेश का चीफ मिनिस्टर एक किसान होना चाहिये जो जाने कि वहां क्या होता है, कैसे पैदावार बढ़ सकती है । वरिष्ठ मंत्रियों को सोचना चाहिये कि किस तरह से पैदावार बढ़ सकती है । यहां तो एक पहिया चलता है । कलेक्टर, मिनिस्टर, और पूंजीपति । यह बड़े-बड़े घराने के लोग ही बड़ी-बड़ी जगहों को संभाले हुये हैं । अभी एक भाई ने नारा लगाया कि यह मिनिस्टरी लाला लोगों की बनी हुई है, सात लाला उसमें बढ़ाये गये। आज कृषि की पैदावार कैसे बढ़ेगी, लालाओं की तरह से । हमारे एक मित्र ने बताया कि एग्रीकल्चर के डायरेक्टर के पास एक बीघा भी जमीन नहीं है । मैं दरियाफ्त करता हूं कि ऐसे लोग जो कि एग्रीकल्चर के डाइरेक्टर हैं, जिनके पास एक बीघा जमीन नहीं है उनको खेती के मामले में क्या तमीज हो सकती है ? पुरानी सर्विस के आदमियों को दूसरे मुहकमों में लगा दीजिये लेकिन कृषि विभाग में सरकार ऐसे लोगों को रखे जिनके यहां खेती होती हो । जिन सूबों में खेती की पैदावार बढ़ी है वहां के चीफ मिनिस्टर खेती के करने वाले लोग हैं। वहां इनकलाब आ गया है, वह पैदावार की कमी की पूर्ति करने में काफी कामयाब हो चुके हैं।

माननीय सदस्य ने प्रतापसिंह कैरों का जिक्र किया । वह किसान परिवार से सम्बन्धित थे । एक जिन्दगी डाल दी थी । सर छोटूराम छोटे घर में पैदा हुये थे । भगवान थे । पंजाब में जिन्दगी डाल दी । हरियाना की मिसाल ले लीजिये । राव वीरेन्द्रसिंह जानते हैं कि पांच सात एकड़ की होल्डिंग्स में मुनाफा नहीं होता । उससे लगान लेने का हक नहीं । कई बार इस हाउस में कहा गया है तीन हजार के मुनाफे पर आप एक पैसा इनकम टैक्स नहीं लेते । तो कौन सा हक है कि पांच एकड़ की होल्डिंग जिस पर कभी तीन हजार की आमदनी नहीं हो सकती, उस पर लगान लिया जाय । एक माननीय सदस्या ने कहा कि सवाया लगान वापस लेने पर जनता में बड़ी खुशी फैल रही है । जनता कहां खुश है ? निर्दलीय लोगों को लेकर कांग्रेस की सरकार बनायी है इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है ? आप गर्व के साथ नहीं कह सकते कि हमने एक स्वस्थ्य सरकार बनायी है । आपको सरकार नहीं बनानी चाहिये थी । कांग्रेस के भाई बड़े मायूस से बैठे रहते हैं । न जाने उनमें कितनी बड़ी कमजोरी है ।' उन्होंने जनतंत्र के खिलाफ अपने ईमान के खिलाफ सरकार बनायी है । आप गैर कांग्रेसी सरकार बनने देते । सात सूबों में जहां गैर कांग्रेसी सरकारें बनी हैं उनमें इनकलाब आ रहा है । वह मौजूदा संकट पर कामयाब होते चले जा रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बाबूसिंह]

श्री राज्यपाल के भाषण में जिक्र हुआ, राज्यपाल महोदय इस सूबे के रहने वाले नहीं हैं । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गरीब परिवार के भी नहीं हैं । यहां के गरीब की बात यह अमीर लोग नहीं जान सकते हैं । शिक्षा संस्थाओं को ले लीजिये । शिक्षा के बजट में कटौती हो रही है । हर जगह से दरख्वास्तें आ रही हैं कि हमारे कालेज की ऐड कम हो गयी । आपके ज्वाइंट डाइरेक्टर से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि कारण सब कमी का है । सब में कटौती की जा रही है । जहां शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होनी चाहिये वहां कमी हो रही है । लेकिन डंडे वाली पुलिस पर खर्चा बढ़ रहा है । चिकित्सा को ले लीजिये । कोई भी डाक्टर अस्पताल में रहना नहीं चाहता क्योंकि वह देखते हैं कि उसको तनख्वाह कम मिलती है। शिक्षा और चिकित्सा का प्रबन्ध करना राष्ट्री सरकार का कर्ज हो जाता है लेकिन उसका कोई इंतजाम नहीं । 'ग्रामों में लोगों भूखों मर रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने कोई जिक्र नहीं किया कि देहातों में जहां बहुसंख्यक रहते हैं वहां बुनियादी इनकलाब लायेंगे । उन लोगों में हम कोई नई जिन्दगी डालेंगे । किन्तु वही पुरानी परम्परा के आधार पर उन्होंने वही कर दिया यानी पिटा पिटाया अभिभाषण दे दिया । लेकिन जहां तक इलाज का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, सड़क का सवाल है, जो बुनियादी प्रश्न हैं उनका कोई हल नहीं । लोग आजकल बड़े-बड़े लोगों पर छींटा कसते हैं । एक शेर अर्ज है—

"मजीने हुकूमत हुई बनियों के हवाले, हर शख्स को लाजिम है कदम तोल कर डालें,"

तो आज तो बनियों, मुनाफाखोरों के हाथ में सरकार छोड़ दी गयी है फिर महंगाई और चोरबाजारी आदि कैसे दूर हो । गुप्ता जी की वर्षगांठ के अवसर पर उन्हें ६५ लाख की थैली भेंट की गयी तो उसमें आप देखें कि गरीबों का चवन्नी चन्दा उसमें कितना है, उसके लिये गरीबों से, किसानों से कोई चन्दा नहीं लिया गया, उनसे पैसा नहीं मांगा गया । उसमें चन्दा देने वाला गरीब और साधारण नागरिक नहीं थे, उसमें चन्दा देने वाले बड़े-बड़े पूंजीपति, व्यापारी और मुनाफाखोर थे, जिन्होंने २०–२० हजार ३०–३० हजार और लाख-लाख रुपया फण्ड में दिया । एम० आर० शेरवानी साहब ने गरीबों का करोड़ों रुपया तो शोषण करके उसमें दिया जो गरीबों का गन्ना गाड़ियों पर बैलों पर लादकर आता था, उन गरीबों से रुपया जमा कर जनाब के चन्दे में रुपया दिया और कांग्रेस फण्ड में भी कहीं से रुपया एकत्र करके दिया । तो मेरा प्रस्ताव आप से है कि आप कदम तोल कर डालें । निर्दलीय भाइयों की आज जो अपयश हुई है, उन्हें भी मौका है कि अब भी वे अपने अपयश को धो डालें, क्योंकि कोई मनुष्य अपनी जिन्दगी में जीते जी अपयश कमाना नहीं चाहता । अभी हमारे निर्दलीय साथी, ऊंचा साफा, ऊंचा तुर्रा ने जो सरकार का समर्थन किया उनके समर्थन करने से कोई लाभ नहीं होगा ।

*श्री श्रीपति मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने इस राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपना एक संशोधन दिया है जो ३४ नम्बर पर है । इसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहने के पहले यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल का अभिभाषण और माननीय सदस्यों का भाषण सुनने के पश्चात् मुझे ऐसा लगता है कि चतुर्थ आम चुनाव में जनता ने परिस्थिति को समझा और उसने परिस्थिति के अनुकूल अपना निर्णय दिया । मगर इसके बावजूद भी हुकूमत के दल ने अपने पुराने बहुमत को देखते हुये मुझे ऐसा लगता है उस रेशियो में उसने यह नहीं समझा कि उसका बहुमत कुछ कम हो गया है । और हमारे विरोधी दल में बैठने वाले मित्रों ने शायद अब भी वही समझ रखा है जैसा कि ३–१८ में आते थे कि अब भी वे कम हैं, क्योंकि उधर से बोलने का जोश जिसमें गैर जिम्मेदारी ज्यादा और आलोचना ज्यादा है, वह उसी तरफ जारी है जिस तरह वह पहले तीन राज्यपालों के अभिभाषण में जारी रही । उधर से जो नीति निर्धारित की गयी है या की जानी चाहिये राज्यपाल के अभिभाषण में, ऐसा लगता है वह वही परम्परागत भाषणों की तरह का एक अभिभाषण तैयार हो गया है और यह नहीं सोचा गया कि इन बदली हुई परिस्थितियों में पुराना रवैया अधिक काम नहीं दे सकता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक सदस्य—

आप सुझाव दीजिये ।

श्री श्रीपति मिश्र—

आदरणीय सदस्य हौसले से बैठे रहें । नहीं होगा तो वही दे देंगें । तो ऐसी परिस्थिति में इन नीतियों का स्पष्ट निर्देशन राज्यपाल के अभिभाषण में होना चाहिये था जिससे वास्तव में ऐसा लगता कि जनता ने जो फैसला या निर्णय किया है उनको देखते हुये हम अपने कदम उठा रहे हैं । आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह समझता हूं कि इस आम निर्वाचन में जो निर्णय जनता ने लिया है, वह स्पष्ट है । उसने हुकूमत करने वाली पार्टी और विरोध में रहने वाली पार्टी दोनों को चौराहे पर खड़ा करके छोड़ दिया है और चुनौती दी है कि अगर आप शासन में सुधार करके जनता के कष्टों को दूर करते हैं तब तो शासन में आप कायम रह सकते हैं और विरोधी दल से भी कहा है कि आप हर बात को समझकर जिम्मेदारी से काम करने का माद्दा पैदा करें तो प्रजातंत्र में हुकूमत आपको भी मिल सकती है और मिल जाय तो ताज्जुब नहीं है । ऐसी परिस्थितियों में मैं ऐसा समझता हूं कि हर आदमी को अपनी जगह पर अपने विचार को व्यक्त करते हुये इस बात का अहसास होना चाहिये कि वह जो कह रहा है, वह किया जा सकता है या नहीं और उसके करने का क्या तरीका होगा ।

मान्यवर, मैंने जो ४ संशोधन दिये हैं उनमें पहला खाद्य, वस्त्र, कृषि यंत्र वगैरह किसानों को साधारण दामों पर सुलभ करने, दूसरा विद्यार्थियों की फीस माफ करने, तीसरा विद्यार्थियों की फीस १०वीं कक्षा तक माफ करने से सम्बन्ध रखते हैं और चौथा संशोधन है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और उसके बारे में बहुत बार कहा गया है और बहुत बार कहा जायगा लेकिन और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि बारबार उसको कहा जाय क्योंकि मैं समझता हूं कि जितनी भी समस्यायें आपके सामने हैं उनके मूल में अगर एकमात्र कारण नहीं तो सबसे बड़ा कारण है, वह भ्रष्टाचार है । मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का अगर निराकरण हो जाय तो हमारी अधिक से अधिक समस्या अपने आप हल हो सकती हैं । मैंने जो संशोधन दिये हैं मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार जो बनी है उसको अपनी पार्टियों की उन नीतियों को कार्यान्वित करना चाहिये जो वक्त वक्त पर उसकी पार्टी ने निर्धारित की हैं । कांग्रेस सरकार को याद होगा कि उसकी पार्टी मुजफ्फरनगर सम्मेलन में यह निर्णय सर्वसम्मति से हुआ था कि अलाभकर जोतों का लगान समाप्त हो, १० वें दर्जे तक फीस न ली जाय मगर इस चुनाव के पश्चात् उस बात का कोई जिक्र महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं हुआ । अपनी पार्टियों का नीतियों को पार्टी के माध्यम से पास करके अपनी सरकार ही अगर उनको कार्यान्वित नहीं करती है तो फिर दूसरा कौन उनको कार्यान्वित करने आवेगा । इसलिये मैं समझता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में उनका जिक्र न होना मुनासिब नहीं था जिसकी तरफ मैंने संकेत किया है और संशोधन दिया है ।

खाद्य समस्या सबसे प्रमुख है, यह एक साधारण किसान से लेकर एक बहुत बड़े मनीषी तक जानते हैं । इसलिये राज्यपाल के अभिभाषण में केवल उसका उल्लेख कि खाद्य समस्या का हल हम लोग दृढ़ निकालेंगे, यह कोई सही हल नहीं है । समस्या को बता देना समस्या का हल नहीं है । यह कोई बड़ी भारी जानकारी नहीं है कि अभिभाषण में यह कहा गया है कि खाद्य समस्या सर्वोपरि है । सर्वोपरि है, यह सब जानते हैं इसमें कहने की बात नहीं है । उसको किस तरह से हल करेंगे, यह मुख्य बात थी । ऐसी बातों से और सरकार की नीतियों से ऐसा लगता है कि तीन मुख्य बातें हैं जिनको देखकर यह कहा गया है कि इन्हीं कारणों से खाद्य समस्या उत्पन्न हुई है । पहला कारण बताया जाता है आबादी का बढ़ना है । दूसरा कारण बताया जाता है दैवी प्रकोप और तीसरा कारण बाहरी हमला देश के ऊपर बताया जाता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्रीपति मिश्र]

जहां तक दैवी प्रकोप का प्रश्न है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह कोई नई बात नहीं है । जब से सृष्टि पैदा हुई है तबसे यह दैवी प्रकोप है और बराबर रहेगा और रहता आया है । हमारे इस २० साल के दौरान में कई मौके दैवी प्रकोप आये हैं लेकिन वह ऐसे नहीं हुये जो यहां खाद्य समस्या में आवश्यक स्थान पैदा कर दें या कोई विशेष परिवर्तन उसमें पैदा कर दें ।

दूसरी बात बताई गई बाहरी हमले की देश पर जिससे यह समस्या पैदा हुई । इस पर बहुत से लोग कह चुके हैं । मैं उस विषय को मामूली मानता हूं । वह हमला ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी जिससे यहां परिस्थिति बहुत बदले ।

तीसरी बात बताई गई आबादी बढ़ने की जिससे समस्या पैदा हुई । उस सम्बन्ध में मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि जिस हिसाब से आबादी बढ़ी है उसको देखते हुये गल्ले की कमी इस प्रदेश में नहीं है और न होनी चाहिये । आप देखें कि जो आंकड़े मुझे प्राप्त हुये हैं उनके हिसाब से १९५१ में इस देश की आबादी ३५ करोड़ के लगभग थी । वह आबादी सन् १९६१ में ४३ करोड़ के लगभग हो गई । अब आप इसी प्रकार से पैदावार गल्ले की देखें कि वह ५० मिलियन टन हुई थी सन् १९५१ में लेकिन १९६१ में आकर वह ७९ मिलियन टन हुई । इसको देखने से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जो हमारी पैदावार बढ़ी वह ड्योढ़े से अधिक हुई जब कि आबादी सवाये के लगभग ही रही । तो इस आबादी बढ़ने से पैदावार के बढ़ने को देखते हुये कोई समस्या पैदा नहीं होनी चाहिये थी जब कि इसके विपरीत बाहर से भी गल्ला आ रहा है । मैं समझता हूं कि आबादी के बढ़ने से कोई प्रभाव इस खाद्य संकट पर नहीं हो सकता है । वास्तविकता क्या है ? वास्तविकता यह है कि और मेरा यह निश्चित मत है कि भ्रष्टाचार और फलस्वरूप जखीरेबाजी एक मात्र यहां गल्ले की कमी का कारण है । इन शब्दों के साथ में उसके महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला झांसी)—

अधिष्ठात्री महोदया, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के संशोधन के सम्बन्ध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । राज्यपाल महोदय के भाषण को मैंने भली प्रकार पढ़ा है और समझने का प्रयास किया है किन्तु कहीं भी जो एक विशेष बात उसमें आनी चाहिये थी उसका उल्लेख नहीं दिखाई दिया । सरकार जो योजनायें बनाती है उनका कार्यान्वयन सरकार की मशीनरी के द्वारा होता है जो उसको ठीक प्रकार से नहीं चलाती । इस कारण कोई भी योजना सफल नहीं होती । इस सम्बन्ध में जो कार्य पालिका है, जो हमारी सरकार के अधिकारीगण हैं, वे उन योजनाओं का और उन कार्यों का ४० प्रतिशत से अधिक धन भ्रष्टाचार और लापरवाही के द्वारा दुरुपयोग में ले जाते हैं लेकिन उनके ऊपर ऐक्शन लेने का कहीं भी कोई उल्लेख इस भाषण में नहीं है । इस सम्बन्ध में मैं कुछ उदाहरण आपके सम्मुख रखूंगा ।

एक लापरवाही वाली बात है । हमारे यहां ललितपुर में गोविन्दसागर एक बांध है । उससे जो नहरें निकली हैं उनमें ३० मील की लम्बाई में सिंचाई होती है । अभी पिछले फरवरी में जब चार पानी देने थे वहां को फसल को तो २६ फरवरी को अगर नहर खोली जाती तो वहां की फसल को बड़ा लाभ होता । उस क्षेत्र में दो वर्ष से सूखा पड़ रहा है । इस वर्ष गोविन्द सागर में पानी अधिक था । फसल अच्छी हो सकती थी । परन्तु मार्च का महीना आ रहा था, उस कारण अधिकारियों को सारा पैसा खर्च करना था और इसलिये उन्होंने नया काम निकाल कर सड़क पर मिट्टी डालने का काम शुरू कर दिया और समय से नहर नहीं खोली । हम लोग इस सम्बन्ध में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिले । एक ढुलावन माइनर कहलाती है, उसे उन्होंने मिलने के बाद भी नहीं खोला, लेकिन सभी जगहों पर दो मार्च को पानी खोला गया । किन्तु इस देरी के कारण ३० गांवों की फसल नष्ट हो गयी । तो अधिकारियों को यह ध्यान ही नहीं है कि जो काम वे अपने स्थान पर कर रहे हैं उसका प्रभाव हानि-लाभ की दृष्टि से क्या

होगा। अपनी जिम्मेदारी वे अनुभव नहीं करते। इस प्रकार की परिस्थिति के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय क अभिभाषण में कोई संकेत नहीं किया है।

एक दूसरी मिसाल भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री तथा आई० जी० पुलिस को १९६३ में लिखा था। यह एस० पी०, झांसी के सम्बन्ध में शिकायत थी। उसकी जांच उस समय नहीं हुई। एस० पी० ने जो चाहा वहां किया और उसका ज्ञान इस सदन में बहुत से सदस्यों को होगा। पिछली विधान सभा में उसी को लेकर अपना त्याग-पत्र भी एक कांग्रेसी सदस्य महोदय दे दिया था। उसके लिये कोई जांच नहीं हुई लेकिन उस अधिकारी ने अपनी मन की सारी कार्यवाही पूरी कर ली और एक केस में जब एस० पी० महोदय के विरुद्ध मध्य प्रदेश के कोर्ट में स्ट्रिक्चर पास हुए तो सरकार को वह इंक्वायरी विजिलेंस कमीशन को देनी पड़ी। किन्तु उस इंक्वायरी के उपरान्त भी जो कार्यवाही सरकार की ओर से हुई, वह बहुत विचित्र है। विजिलेंस कमीशन ने सारी इंक्वायरी की कि कैसे एस० पी० महोदय सीक्रेट सर्विस फंड से, एमिनिटीज फंड से खुद पैसा लेते हैं, किस तरह से थानों का बेंचा जाता है, कैसे वह माहवारी भी पैसा लेते हैं, सारी बातों के लिये कमीशन ने बयान लिये और जब १९६६ में उन एस० पी० महोदय को पता लगा कि उनके विरुद्ध सारा केस तैयार हो गया है तो उन्होंने अपनी व्यवस्था करके एक ऐसा सिलसिला लगाया कि एक मुकदमा देहरादून में दफा ५०० का कायम किया गया उस मेरी दरख्वास्त पर जो कि १९६३ में दी गयी तथा एक पुस्तक "रघुनाथ सिंह कांड" पर जो दिसम्बर, १९६३ में प्रकाशित होकर गृहमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश को समर्पित की गई थी। और एक दफा ५०० लगायी गयी और उस सम्बन्ध में सारे अधिकारियों के २०२ दफा के मातहत बयान करवाये गये जिनके विजिलेंस कमीशन में हो चुके थे और २७ लोग के बयान हुए, ३७ लोगों के हल्फिया बयान कराये गये। देहरादून के आस-पास के जितने भी पुलिस अधिकारी थे, मैं उनके नाम का उल्लेख करूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बिना नाम के कहिये।

श्री रघुनाथ सिंह—

देहरादून के सर्किल इंस्पेक्टर पुलिस, सब-इन्सपेक्टर, ए० पी० पी० वगैरह देहरादून जिले भर में जितने भी अधिकारी थे जिनके कि विजिलेंस कमीशन में बयान हो चुके थे उनके पास उनको भेजा गया। एस० पी० ने इलाहाबाद जिले में देहरादून से वायरलेस किया और जो इंसपेक्टर उनके साझीदार थे और सारी व्यवस्था कराते थे उनको बुलाया गया एक महीने पहले और सारी योजना बना कर इस तरह से कार्यवाही हुई। उसके लिए हाई कोर्ट में मैंने क्वेश करने के लिए मूव किया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब सरकार की सारी मशीनरी, एक भ्रष्टाचार जो पकड़ा जाता है उसको बचाने के लिए प्रयोग होती है तो किस तरह से हम अपने प्रान्त के शासन को ठीक तरह से चलायेंगे और कैसे मंत्री जी जो कहते हैं कि हम ठीक तरह से शासन चलायेंगे, वह चला पायेंगे। हम एक बात मान कर चलते हैं कि यदि भ्रष्टाचार उन्मूलन वह करना चाहते हैं और शायद ईमानदारी से करना चाहते हों, परन्तु अधिष्ठात्री महोदया मुझे लगता है कि ये सारी बातें केवल दिखाने की हैं और करने की कुछ और हैं। जिन भ्रष्ट अधिकारियों से मंत्री महोदय अपना काम कराते हैं जब वह पकड़ में आते हैं तो उनको बचाने के लिए पूरी मशीनरी प्रान्त की लग जाती है और मैंने तो यह अनुभव किया कि अपने केस में कि उस मेरठ रेंज के डी० आई० जी० महोदय और उनसे सम्बन्धित जो बड़े अधिकारी सेक्रेट्रियट में थे उन्होंने सबने मिलकर इस केस में एस० पी०, देहरादून की बचत करने का प्रयत्न किया।

एक दूसरी बात यह है कि विजीलेंस कमीशन में जो भी केस जाते हैं, अगर उनमें पब्लिक की दरख्वास्त हो तो उसकी भी जांच कमीशन को करनी चाहिए, लेकिन वह बेकार सा बना दिया गया है, वह खुद कुछ ऐक्शन नहीं ले सकता। जो सरकार इंक्वायरी करवाना चाहे वही होगी, ये नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। इस तरह से इस राज्यपाल महोदय के भाषण में इस

[श्री रघुनाथसिंह]

भ्रष्टाचार की समस्या के हल का कोई उल्लेख नहीं है। इस भाषण में विजिलेन्स कमीशन को सरकारी अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु मंत्रिमंडल के हस्तक्षेप के बाहर कार्यवाही करने का उल्लेख आना चाहिये था।

दूसरी बात यह है कि मेरा क्षेत्र डाकू--ग्रस्त क्षेत्र है। वहां अधिकांश जितने भी एकाउंटस हुए हैं, मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि अधिकारी मेडल प्राप्त करने के लिये डाकुओं से मिल कर फर्जी उन्हीं के साथियों का मरवा देते हैं और पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से वहां की डाकू समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। वह एक ही तरीके से हो सकता है कि बन्दूक का लाइसेंस खत्म कर दीजिये, जनता अपनी रक्षा खुद कर सके, हर व्यक्ति बन्दूक रख सके तभी यह हो सकता है और एक बड़े पैमाने पर पैसे का खर्चा भी बचेगा।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री शिवनाथ सिंह (जिला इलाहाबाद)--

अधिष्ठात्री महोदया, आज जो बधाई का प्रस्ताव प्रस्तुत है, हम उसका अनुमोदन करते हैं। मान्यवर, डिमोक्रेसी में जो भी इलेक्शंस होते हैं और किसी भी तरह से राज्य में एक स्थापना होती है तो उस वक्त जरूरी होता है कि चाहे उधर के बैठने वाले हों या इधर के, राज्य में जो डेवलपमेंट के काम हों और योजनाओं में सरकार की पूरी मदद करें। जो सदस्य अपने क्षेत्रों में तरह तरह के वादे करते आये हैं कि ये चीज हम करवा देंगे, तो यह तभी हो सकता है जब डेवलपमेंट के कामों में कांस्ट्रक्टिव सजेशंस और कांस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो करें मगर सरकार को पूरा सहयोग भी दें ताकि कम से कम खर्चे में, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा फायदा देश का करा सकें। मुझे पूर्ण विस्वास है कि अभी तक जो यहां प्रथा कायम की गयी है, उसमें हमारे जो अपोजीशन के साथी हैं, उधर के लायक दोस्त हैं वह इस नुक्तेनजर पर जरूर कायम रहेंगे। आज भुखमरी तभी दूर हो सकती है जब उसकी तरफ वह पूरी तवज्जह करें और सरकार के ठोस कदमों के साथ चलें। मान्यवर, जब इलेक्शन समाप्त हो जाते हैं तो बहुत से इलेक्शन पिटीशन्स दायर होते हैं। अब कानून इस सम्बन्ध में बदल गया है और उनका सुनवायी के लिये हाईकोर्ट को ट्रिब्यूनल नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। मेरा आपके जरिये इस सरकार से और चीफ जस्टिस महोदय से यह दरख्वास्त है कि वे हर केसेज में अलग-अलग ट्रिब्यूनल नियुक्त न करें, बल्कि इसके लिये एक पैनल आफ जजेज मुकर्रर कर दें ताकि वहीं जितने भी इलेक्शन पिटीशन्स दायर हों, उसकी सुनवाई कर सकें। इससे एक तो जस्टिस मिलने में देरी नहीं होगी, दूसरे जस्टिस के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ेगा और किसी को यह कहने का अवसर नहीं मिल पायेगा कि फलां केस में फलां जज मुकर्रर कर दिया गया और फलां केस में फलां जज मुकर्रर किया गया।

मान्यवर, हर माननीय सदस्य को, चाहे वह इधर का हो या उधर का, चुनाव के बाद उसको इलेक्शन रेटर्न दाखिल करना होता है। हम सब को यह मालूम ह कि हम कितना फाल्स और फिक्टीशस होता है। विधान परिषद के सदस्य को भी अपने इस्तेमाल में काफी खर्च करना होता है, परन्तु उसके लिये यह आवश्यक नहीं है वह इलेक्शन रेटर्न दाखिल करे। तो मेरा यह सुझाव है कि विधान सभा के सदस्यों के लिये भी अपने खर्च का इस प्रकार का रेटर्न दाखिल करने से रोका जाय। इस पाबन्दी को खत्म किया जाय क्योंकि जो भी रेटर्न दाखिल होते हैं वह फाल्स और फिक्टीशस होते हैं।

बहुत से विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य यह कहते हैं कि कांग्रेस ने २० वर्षों के अपने रिजीम में कोई तरक्की नहीं की। मुझे बड़े दुःख के साथ करना पड़ता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि वे लोग २० वर्ष पहले की स्थिति को देखें। पहले हिन्दुस्तान में कोई चीज ऐसी नहीं बनती थी जिसका एक्सपोर्ट होता हो। आज तरह तरह की ऐसी चीजें बनने लगी हैं जिनका एक्सपोर्ट होता है। अपनी जरूरत की कई चीजें आज हम खुद बनाने लगे हैं और उसमें स्वावलम्बी हो गये हैं। यह सही है कि कृषि की तरफ हमारी तवज्जह कम रही है। इस वजह से आज यह दिक्कत सामने है। लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ है, स्टैन्डर्ड आफ लाइफ में भी तरक्की हुई है, मगर आबादी भी काफी बढ़ी है जिसके कारण वह इजाफा मालूम नहीं देता। चाइना के बाद हिन्दुस्तान का, आबादी के खयाल से दूसरा नम्बर है। जो भी हमारी आमदनी बढ़ी वह इस बढ़ती हुई आबादी में खत्म हो गयी। इसलिये परिवार नियोजन पर आज पूरी तरह से तवज्जह देने की जरूरत है। दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई आबादी को रोकना बहुत लाजमी है। यह तभी हो सकता है जब हम सभी माननीय सदस्य मिल कर पूरी तरह से इस तरफ तवज्जह देंगे।

आज ८२ फीसदी जो देहात की जनता है जिसके पुराने ये खयालात हैं कि यह तो भगवान की देन है, हम लोग इसको रोक ही नहीं सकते हैं। बल्कि बहुत से गांवों में हम लोग जायं और जाकर इस प्रकार प्रचार करें तो वे हम लोगों को मार भगायें कि आप क्या बकते हैं। असलियत को देखिये और इसको देखने से ही हिन्दुस्तान का फायदा होगा। असलियत यह है कि परिवार नियोजन की ओर तवज्जह नहीं दी गई है। अगर तवज्जह नहीं दी गई तो हम इस बाम्बशैल को रोक नहीं सकेंगे। अगर तीन बच्चे किसी परिवार में हो जायं तो आगे के लिये कोई ऐसा तरीका किया जाय कि रोक लग सके। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह ऐसी सस्ती दवायें और ऐसे सस्ते और आसान तरीके निकाले जिससे लोग यह समझें कि आसानी से यह चीज रोकी जा सकती है।

मान्यवर, सबसे बड़ा सवाल आज गल्ले का है। दस वर्ष के अन्दर करीब करीब अस्सी फी सदी इजाफा यहां हर चीज के दामों में हो गया है। गल्ले की पैदावार बढ़ाने के लिये भी सबसे बड़ी समस्या यहां पानी की है। आज बहुत से काश्तकारान यह महसूस कर रहे हैं कि जो मैक्सीकन ह्वीट या अच्छे किस्म के धान हैं उनको भी अगर पानी मिल जाय तो समस्या हल हो सकती है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि अगर तालाबों और कुओं और नलकूपों की तरफ सरकार की तवज्जह हो, जल्दी से जल्दी बिजली पहुंचे, नलकूप लगाये जायं तो ज्यादा फायदा होगा। आज किसान यह भी चाहता है कि वह निजी नलकूप लगा ले। इसके लिये सरकार जो भी मदद दे सकती है वह सरकार को तत्काल देनी चाहिये उसमें रेड टेपिज्म नहीं आना चाहिये। कई किसान यह भी दरख्वास्त दे रहे हैं कि जहां बिजली नहीं है वहां वे अपने पम्प लगा कर अपनी जमीनों को सिंचित कर लेंगे उसके साथ-साथ और काश्तकारान की जमीनें भी सींची जायंगी। मेरे क्षेत्र के बहुत से काश्तकार ऐसे हैं जो नलकूप लगाना चाहते हैं और वहां जरूरत भी है। पर मुमकिन नहीं हो पा रहा है। सरकार वहां उसी तरह से बन्दोबस्त करे ताकि नलकूप लगाये जा सकें।

मान्यवर, जहां तक सड़कों का ताल्लुक है, इलाहाबाद में गंगापार एक बहुत बड़ी सड़क जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में मंजूर हुई थी और जो कि हंडिया से सोरांवा होती हुई होलागढ़ को जाती है, उसमें आधी सहायता सेन्ट्रल सरकार और आधी स्टेट की सरकार दे रही थी, मगर आज तक उस सड़क में काम नहीं हुआ। ईंट वगैरह जो पड़ी हैं उनको भी लोग चुराये लिये जा रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि वह सड़क इम्पार्टेन्ट है और वह जल्दी से जल्दी बनाई जाय। इसी तरह से बहुत से कछार क्षेत्र ऐसे हैं, जहां बरसात के जमाने में सिवाय टापू हो जाने के और कोई जरिया नहीं है। सरकार वहां भी तवज्जह दे। इन शब्दों के साथ फिर से मैं इसका अनुमोदन करता हूं।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

अधिष्ठात्री महोदया, ऐसे राज्यपाल को जिन्होंने ८ करोड़ जनता की कमर में छुरा भोंका हो, जिन्होंने ब्लक मार्केटियर्स के संगठित गिरोह के नेता, माननीय चन्द्रभानु गुप्त को सरकार बनाने

[श्री प्यारेलाल]

का अवसर प्रदान किया हो, धन्यवाद देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बड़े जोरों से चर्चा चल रही है कि चोर बाजारी रोकी जा रही है, छापे मारे जा रहे हैं। चोर बाजारी क्या ये रोकेंगे ये जिसके मुखिया ६५ लाख रुपये धनिकों से अपनी वर्षगांठ पर ले लेते हों, जिनके मुखिया निर्दली कहूं पर निर्दयी और निर्लज्जी विधायकों को नाजायज ढंग से अपनी ओर करने हेतु चोर बाजारी करनेवालों के काले धन में हिस्सा बांटते हों, वह सरकार क्या चोर बाजारी रोक सकती है? यदि सही माने में यह सरकार चोरबाजारी को रोकना चाहती है तो फिर जिस दिन छापे मारे गये उसकी इत्तिला व्यापारियों को पहले ही क्यों दे दी? १६ तारीख की शाम को ५ बजे छापे मारे गये और उसी दिन सबेरे ८ बजे सारे व्यापारियों को इत्तिला दे दी गयी कि आज छापे मारे जायेंगे। आखिर इत्तिला क्यों नहीं दी जाती जब कि नीचे से लेकर ऊपर तक--मार्केटिंग इन्सपेक्टर राशनिंग इंस्पेक्टर से लेकर मंत्री तक उस नाजायज मुनाफे की कमाई में शामिल हैं। यदि उनको उस दिन सबेरे इत्तिला न दी जाती तो सारे चोरबाजारिये हाथ में आ जाते। १६ तारीख को ही गाजियाबाद की एक घटना, मैं आपको बतलाऊं कि जितना चावल चोरबाजारी में छापेमार कर पकड़ा गया उसके लिये बाद में मार्केटिंग इन्सपेक्टर ने सहारनपुर और देहरादून से जाली बाउचर और बिल लाकर अपने रजिस्टर में चढ़ा दिया और इसके लिये मार्केटिंग इन्सपेक्टर ने ३ हजार रुपये लिये हैं। ऐसी हालत में चोरबाजारी कहां से रुक सकती है जब कि एक सिपाही से लेकर मंत्री तक उस अनुचित कमाई में शामिल हों?

पैदावार बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन अनाज की पैदावार खुद यह सरकार ही घटा रही है। मास्टर प्लान, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट व इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के नाम पर लाखों एकड़ उपजाऊ जमीन एक्वायर की गयी है, प्रदेश में यदि उक्त भूमि के बजाय उक्त संस्थायें बेकार पड़ी भूमि लेतीं तो क्या ही अच्छा होता लाखों मन अनाज की पैदावार समाप्त न होती। रेलवे लाइन के किनारे लाखों एकड़ जमीन पानी में डूबी रहती है। उस पानी को निकालने के लिये यदि वहां नाले व पुलिया बना दिये जायं तो उस जमीन में लाखों मन अनाज की पैदावार हो सकती है। मेरे इलाके में ग्राम हसनपुर की एक बहुत ही मशहूर झील है। उस झील से पानी निकालने का इन्तजाम यदि कर दिया जाय तो हजारों मन अनाज उस जमीन में पैदा हो सकता है। दूसरी झील मसूरी, नाहर व कुसलिवा गांव के बीच में है, जिसमें हजारों बीघा जमीन पानी में डूबी पड़ी है। यदि वहां नाले निकाल कर उसके पानी को निकाल दिया जाय तो उस जमीन में हजारों मन अनाज पैदा हो सकता है। लेकिन यह सरकार खाली कागजी योजना ही बनाती है और इस प्रदेश की ८ करोड़ जनता को धोखा देने की बात ही यह सरकार करती है।

आज प्रदेश की ५ नगर महापालिकाओं को जब्त करने की बात चलती है। मेरे यहां गाजियाबाद नगरपालिका को भी लगभग ८ वर्ष से जब्त कर लिया गया है और वहां की जनता को वोट देने के हक से वंचित कर दिया गया है। आज उस नगरपालिका में भ्रष्टाचार बड़े जोरों पर है, वहां नौकरशाही का ही बोलबाला है। गाजियाबाद जो एक अच्छा व सुन्दर नगर था, आज कूड़े कचरे व सड़ांध का नगर बन गया है।

एक तरफ अनाज की पैदावार कम होने की बात की जाती है और दूसरी तरफ अकेले मोहन नगर में शराब मिल को बीयर बनाने के लिये करीब ५ हजार मन जौ रोजाना चाहिये। जौ पानी में उबाल कर फेंक दिया जाता है। जिस जौ को खाकर गरीब किसान मजदूर अपना पेट भर सकता है, उसी जौ को पानी में उबाल कर शराब बनाने के बाद फेंक दिया जाय, यह कहां तक उचित है। यह अकेले मोहन नगर की बात नहीं है बल्कि सारे हिन्दुस्तान में बीसों ऐसी शराब की मिले हैं जहां लाखों मन अनाज इस तरह से पानी में उबाल कर फेंक दिया जाता है। जब राशन में गेहूं देने की बात सरकार करती है तो फिर आटा क्यों दिया जाता है? मिल मालिकों को गेहूं सरकार देती है उस गेहूं से मिल वाले मैदा व सूजी तैयार करके चोर बाजार में बेंचते हैं और आटे में चोकर सूखी रोटी, सेलखड़ी व धान की भूसी मिला कर पीस देते हैं और वही आटा गरीब जनता को राशन के नाम पर दिया जाता है। एक तरफ तो सरकार मिलावट को

गैर कानूनी मानती है और दूसरी तरफ इस तरह की मिलावट होती है जिससे करोड़ों गरीबों का स्वास्थ्य नष्ट होता है और लाखों रुपये की आमदनी मिल वाल: को होती है और उसमें सारे अधिकारी और मंत्री तक शामिल हैं क्योंकि उस भ्रष्ट कमाई का हिस्सा इन सबकी जेबों में जाता है। इसीलिये मिलमालिक को तरह-तरह की मिलावट करने के लिये छूट दी जाती है। जब कि छोटे बुकानदारों को व दूध वालों को मिलावट करने के लिये १–१ साल की सजा व १, १ हजार रु० जुर्माना होता है तो बड़े-बड़े मिलमालिकों के विरुद्ध आज तक कुछ भी नहीं किया गया, क्योंकि उनकी कमाई में सबका साझा होता है।

उत्तर प्रदेश में बीसियों इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन हैं, जहां इसी प्रकार के अन्याय होते होंगे हजारों एकड़ जमीन अकेले गाजियाबाद में एक्वायर की गयी। एक ओर तो अनाज की पैदावार बढ़ाने की बात कही जाती है और दूसरी ओर बहुत सी उपजाऊ जमीन बिला किसी वजह एक्वायर कर ली जाती है। मैं तो कहता हूं कि सरकार योजना बना कर जमीनें उतनी ही ले जितनी कि सरकार को आवश्वकता हो। उससे ज्यादा न ले। लेकिन गाजियाबाद में २३ जुलाई, १९६० को जो जमीन ली गयी थी उसमें से केवल १,००० एकड़ भूमि ही मुश्किल से काम में लायी गयी है, बाकी बेकार ही पड़ी हुई है। गाजियाबाद के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की तानाशाही की कहानी आप लोगों को सुनाऊं तो माननीय सदस्यों को अवश्य ही बहुत दुःख होगा। गाजियाबाद के गरीबों ने अपने पेट पर पट्टी बांध कर रिश्तेदारों से या साहू से कर्जा लेकर ५०, १०० तथा २०० गज भूमि के प्लाट अपनी झोपड़ियों के लिये खरीदे हैं लेकिन उनके प्लाट के नक्शे में पास नहीं किये जाते हैं। जो झोपड़ी ४०–५० साल पहले की बनी हुई है उनको भी ओपिन स्पेस व ग्रीन बैलट में दिखा दिया जाता है, उन पर दफा ४ और ६ लगा कर गिराने के आदेश दिये जाते हैं और धनिकों की जिन भूमियों में आज भी खेती हो रही है, कोठियां व कालोनियां पास कर दी जाती हैं।

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में हजारों फाइलें पड़ी हुई ह। जो ओवरसियर और इंजीनियर की जेब भर देते हैं उनकी फाइलें तो तय हो जाती हैं, बाकी पड़ी रहती हैं। लैंड एक्वीजीशन कार्यालय के द्वारा २३ जुलाई, ६० को एक ायर की गई भूमि का अब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। लोगों को नाना प्रकार से तंग किया जाता है और रिश्वत देने पर मजबूर किया जाता है। गांव के गांव रिश्वत देने में तबाह हो गये हैं। १०० रुपया से लेकर एक हजार रुपया तक रिश्वतें ली जाती हैं। दिन भर तो आसामियों को पटाया जाता है और रात को ६ से १० बजे तक मुआवजा बांटा जाता है। ऐसी सरकार से यह आशा करना कि वह चोर बाजारी को और भ्रष्टाचार को खत्म करेगी, निर्मूल ही है और अपने आपको धोखे में ही डालना है।

जब शहरों में ३ हजार रुपये से कम आय पर कर नहीं लगाया जाता है तो फिर देहातों में एक बीघा जमीन पर भी मालगुजारी क्यों लगा दी जाती है। जब सरकार यह मानती है कि सवा छः एकड़ तक सिंचित भूमि बिना मुनाफे की भूमि होती है तो फिर क्यों सवा छः एकड़ से कम भूमि वालों से लगान वसूल किया जाता है। उक्त जमीन से बड़ी मुश्किल से किसान अपने बच्चों की रोटी कपड़ा जुटा पाता है। उसको उससे कोई मुनाफा नहीं होता। जब उसको कोई मुनाफा ही नहीं होता तो मालगुजारी क्यों? मालगुजारी का साफ मतलब है मुनाफे में हिस्सा देवें, जब मुनाफा ही नहीं तो हिस्सा कैसा? इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं बिना मुनाफे की भूमि से फौरन लगान समाप्त करे।

सरकार अस्पताल खोलती है। देहाती अस्पतालों को देखिये उनमें न तो दवा रहती है, न डाक्टर और न कम्पाउन्डर। गाजियाबाद में ही एक बहुत बड़ा अस्पताल मुकन्दलाल म्युनिसिपल गवर्नमेंट अस्पताल है। चुनाव के बाद उस अस्पताल में मैं एक आदमी को देखने के लिये गया। उनको चुनाव की रंजिश की वजह से पीटा गया था। पुलिस के द्वा ा उनको वहां अस्पताल में डाक्टरी जांच के लिये भेजा गया था। उनके साथ जाने वाले उ के हमदर्द साथी से पर्ची लिख कर डाक्टर ने दवा मंगायी। दवा के साथ पट्टी भी मंगायी गयी। जिस अस्पताल में पट्टी भी गरीबों को मुहैया न होती हो, उस अस्पताल को खोलने से क्या फायदा?

[श्री प्यारे लाल—]

कांग्रेस बेंचों की तरफ से हम बराबर सस्ती पढ़ाई और सस्ती दवाई का नारा सुनते हैं लेकिन जब सरकार हर तरह के टैक्सों की वसूली करती है तो मुफ्त शिक्षा व दवा का प्रबन्ध सब के लिये क्यों नहीं करती और पढ़ाई भी केवल दसवें दर्जे तक ही नहीं बल्कि जहां तक कोई गरीब का बच्चा पढ़ सके वहां तक मुफ्त पढ़ाई का प्रबन्ध उसके लिये होना चाहिये। मवेशी अस्पतालों और शफाखानों में इंसानों के लिये दवायें नहीं मिलती हैं, केवल अमीरों और हुक्कामों को घर बैठे दवायें पहुंचायी जाती हैं लेकिन गरीबों को लाल पीला मिक्चर देकर टाल दिया जाता है। गरीब मवेशी ले कर आये चाहे वह भूखा मरता हो उसके मवेशी को अस्पताल से मुफ्त दवा नहीं मिलती है चाहे उसका मवेशी मर ही क्यों न जाय, कह दिया जाता है कि यह दवा बाजार से खरीद लो चाहे किसी के पास पैसा हो या न हो। ऐसे अस्पतालों से क्या लाभ है। खाली अस्पतालों की संख्या बढ़ा देने से तो रोग का निदान होगा नहीं। रोग का इलाज होगा डाक्टर और दवा से।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री कृष्णानन्द राय जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है उस पर बोलने का अवसर दिया प्रदान किया। मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने इस अभिभाषण में ऐलान किया है कि किसानों पर लगाया गया २५ प्रतिशत अधिभार माफ किया जायगा और उसका निफाज अगली रबी की फसल से आरम्भ होगा। किसानों की दशा वैसे भी खराब थी और मैं चूंकि गांव का रहने वाला हूं इसलिये जानता हूं कि आज भी उनकी दशा बहुत शोचनीय है। उनकी आर्थिक दशा लेवी लगने से पहले ही खराब थी, न उनके पास रहने के लिये मकान, न अच्छे जानवर खेती के लिये थे और न अच्छे किस्म के खेती के औजार ही उनके पास थे। वह किसी तरह से आग तापकर जाड़े बिताते थे और सारी ही इस तरह की परेशानियां उन पर के सामने थीं और ऐसी हालत में उनके ऊपर लेवी लगाकर ज्यादती ही की गई थी। आज कल हमारे सामने अन्न की समस्या है और उसको हल करने की सबसे बड़ी समस्या है। बात यह है कि आज खेती के तरीकों में सुधार की आवश्यकता और उसके लिये सिंचाई की बड़ी आवश्यकता है। मेरा कहना है कि सिंचाई के जो आंकड़े आज राज्य सरकार के पास हैं वे सही नहीं हैं। एक तरफ आपने नहरें बना दीं, नलकूप बनवा दिये लेकिन उनके कमान्ड में जो क्षेत्र दिखाया जाता है उसमें अगर एक पानी भी किसी फसल में लग जाता है तो उस क्षेत्र को आप सिंचित क्षेत्र मान लेते हैं जब कि उससे फसल अच्छी पैदा करने के लिये चार पांच पानी और लगने की जरूरत होती है। कहीं-कहीं तो उस क्षेत्र में एक पानी भी नहीं मिलता लेकिन आपके रिकार्ड में उस क्षेत्र को सिंचित मान लिया जाता है। इसलिये सिंचाई योजना को जब तक आप उसके सेचुएरेशन प्वाइंट पर नहीं पहुंचायेंगे तब तक तरक्की नहीं हो सकती।

इसके अतिरिक्त आपने सीलिंग का कानून बनाया और कहा कि किसी की भूमि ४० एकड़ से अधिक न होगी लेकिन इस कानून से सरकार को कोई विशेष भूमि या क्षेत्र प्राप्त नहीं हुआ और उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे यहां के तमाम बड़े मेकेनाइज्ड फार्म्स खत्म हो गये और आज उनमें लोग रुपया नहीं लगाना चाहते। आज हम अपने स्नातकों को कृषि की उच्च शिक्षा देते हैं और उनको मेकेनाइज्ड तरीके से कृषि के कार्य सिखाते हैं लेकिन हमारी होलडिंग्ज छोटी हो जाने के कारण वह गांव में जाकर बेकार हो जाते हैं और ज्यादातर लोग नौकरी की तरफ दौड़ते हैं और उनका कोई उपयोग कृषि सुधार या उत्थान के लिये नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप अपने कृषि विद्यालयों की शिक्षा में परिवर्तन करें और इसके लिये एक कमीशन बिठावें और उनको ऐसी शिक्षा दिलायें जो आज कल की छोटी-छोटी जोतों के अनुकूल हो और अपने घर पर जाकर अपने ज्ञान का उपयोग यह कृषि स्नातक कर सकें। कोई एक आध स्नातक ही होगा कि जिसने आकर घर पर कृषि कार्य किया हो अन्यथा सभी नौकरी और दूसरे काम ढूंढते हैं।

इसके अतिरिक्त मैं चाहता हूं कि जिस तरह से कृषि भूमि की सीलिंग की गई है उसी तरह से उद्योगों के लिये भी सीलिंग का कानून बनाया जाय। आज उद्योगपति हर दूसरे तीसरे और चौथे साल एक नया उद्योग खड़ा कर लेते हैं, उनके लिये भी सीलिंग की जाय और पूंजी को एक जगह केन्द्रित न होने दिया जाय।

दूसरे यहां पर अच्छी कृषि भूमि है वहां पर कालोनाइजेशन या इंडस्ट्रीलाइजेशन की योजना न बनाई जाय। अच्छी कृषि योग्य जमीन से हजारों टन गल्ला पैदा किया जा सकता है। हमारे जिला शाहजहांपुर में इंडस्ट्रीयल इस्टेट बनी है और रोजा के पास की अच्छी ४० एकड़ भूमि उसमें ले ली गई है। किसी खराब भूमि पर ऐसे काम होने चाहिये। अगर उसमें खेती होती रहती तो कम से कम १ या २ हजार मन गल्ला अवश्य पैदा होता रहता। इसलिये अगर आपको जमीनें बिल्डिंग्स और किसी प्रकार की कोलोनाइजेशन स्कीमों के लिये लेनी पड़ें तो आपको चाहिये कि आप उन्हें ऐसी जगह बनायें, जहां पर जमीनें ऊसर हों, फैलो-लैंड हो। एक तरफ तो आप अन्न उपजाने की बातें करते हैं और दूसरी तरफ आप उपजाऊ भूमि को इन कार्यों के लिये ले लेते हैं।

एक बात गल्ले के भावों के बारे में यहां पर कही गयी। उसके विषय में मुझे केवल इतना ही कहना है कि गांवों के किसानों के पास से लगान का २ या ४ रुपया वसूल करने के लिये तो अमीन जाकर उनके बैल और भैंसों को बिकवा देता है लेकिन दूसरी ओर जहां तक मुझे जानकारी है, इस १८–२० वर्ष की, जितने बड़े-बड़े कैपिटिलिस्ट हैं, जिन पर सरकार का बकाया पड़ा है, उनको किसी को भी पकड़ कर जेल नहीं भेजा गया है। यदि उनको भेज दिया गया होता तो कम से कम दूसरे लोगों को डर पैदा तो होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है और यही वजह है कि प्रदेश में गिरानी होती है।

जहां तक सिंचाई की स्कीमों का सम्बन्ध है, वे बन तो जाती हैं लेकिन उनका कोई कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। जब माननीय राममूर्ति जी सिंचाई मंत्री थे तो मैंने उनसे जो मेरे यहां पर बझेड़ा रजबहा है जो बरेली में फरीदपुर ब्रांच से निकलता है, रिमौडल करने के लिये प्रार्थना की थी। उसके लिये उन्होंने १९५८ में रिमौडलिंग और एक्सपैन्शन की जांच कराकर स्कीम बनवायी लेकिन आज तक ८ वर्ष हो गये हैं, न तो वह कार्य ही संपादन हुआ है और न ही किसी बजट में उसके लिये रुपये का प्राविधान किया गया है। मैंने गत ५ वर्षों के दौरान में भी उसके बारे में कई बार यहां पर कहा और बजट के मौके पर भी निवेदन किया लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि यहां पर कहने का और सुझाव देने का कोई मतलब है या नहीं। मैं हर साल एक ही बात को दुहराता चला जाता हूं लेकिन कभी कह दिया जाता है कि सैंटर से एलोकेशन नहीं है और कभी कुछ। अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि कम से कम जो योजनायें कृषि से सम्बन्धित हैं, उनको तो प्रायरिटी देनी चाहिये।

बिजली पहुंचाने का जहां तक सम्बन्ध है, उसके लिये भी काफी पढ़ा लिखा गया लेकिन परगना खेड़ागा, बझेड़ा, तहसील तिलहर में बिजली नहीं पहुंचायी गयी। बिजली इसलिये भी जरूरी हो गयी क्योंकि वहां पर १५० निजी नलकूप बिजली के बिना बेकार पड़े हुये हैं। मुझे मालूम है कि वहां पर नई लाइन ले जाने के लिये जांच हो चुकी है और सर्वे भी हो चुका है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ और रिपोर्ट चीफ इंजीनियर के यहां पर है। उसके लिये भी मैं बिजली मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे किसी तरह से वहां पर बिजली पहुंचा दें। मैं उस इलाके से आता हूं कि जहां पर यदि २० वर्ष की आजादी के बाद और ३ पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के बाद कोई जाय तो वहां पर आजादी की कोई रूपरेखा नहीं देख पायेगा। वहां पर न कोई सड़क बनी है न कोई नहर खोदी गयी है और न कोई बिजली की लाइन ही लगायी गयी है।

जहां तक प्रोक्योरमेंट की बात है, मानता हूं कि हमारे मजदूर भाइयों के खाने खिलाने का प्रबन्ध होना चाहिये लेकिन उसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि १९४७ में प्रथम बार जो यहां पर हुआ और रायबरेली और प्रतापगढ़ में जो दृश्य उपस्थित हुये, उनकी पुनरावृत्ति प्रदेश में फिर से न हो क्योंकि अब जनता पहले से भी अधिक जागरूक हो गयी है।

[श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह---]

यहां पर एक गुलिस्ता कोलोनी बनी और यह कहा गया कि उसमें ६०० रुपये प्रति माह से कम पाने वाले कर्मचारियों को ही आवास दिया जायगा लेकिन उसमें यह देखा गया कि उनमें उन अधिकारियों को एलाट कर दिया गया है जो १--१ या २--२ हजार रुपये पाते हैं। यह कैसे उचित है कि जो ३०० रुपया प्रतिमास पाता है वह भी १०० रुपया किराया दे और जो १,००० रु० या २,००० रुपया पाता है वह भी इतना ही किराया दे। तो किस प्रकार से यहां पर भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है, सोचने की बात है।

एक बात मुझे कहनी है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के स्टाफ को कोई स्पेशल एलाउंस नहीं दिया गया। उन लोगों को रात में जाना पड़ता है और उनका जीवन हमेशा खतरे में रहता है। मैं प्रार्थना करूंगा वन मंत्री जी से कि वह उनको दिया जाय।

एक बात मुझे कहनी है कि जंगल में चोरी से बड़ा शिकार होता है। क्लेरेस्वेन अस्पताल के एक डाक्टर, श्री आर्थर हैं वे हमारे यहां से मोर मारकर ले गये। इसके लिये मैंने वन मंत्री को लिख कर दे दिया है। मैं चाहता हूं कि उस बारे में कार्यवाही की जाय। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---

अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वह सरकार की पालिसी को इस तरह से निर्देशित करता है जैसे एक आइना होता है। इस अभिभाषण के ११ पेज हैं, जब कि हाउस आफ कामन्स में, जो जनतंत्र की जननी माना जाता है, वहां पर १९६३ में १२ नवम्बर को क्वीन की स्पीच हुयी थी जो केवल डेढ़ पेज की थी। उसमें कहीं प्राइम मिनिस्टर की तारीफ नहीं की गई थी। मुझे दुःख है यह कहते हुये कि २० साल में जो प्रगति इस सरकार को करनी चाहिये थी वह नहीं हुई। यह जो राज्यपाल का अभिभाषण है, इसमें कहीं नहीं बताया गया है कि भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जायगा, बेरोजगारी कैसे दूर की जायगी। यहां के जन जीवन को सुखी, समृद्धिशाली बनाने के लिये क्या कदम सरकार ने लिये, कुछ नहीं कहा गया है। और जिस तरह से क्वीन के अभिभाषण पर श्री विल्सन ने पूछा था, प्रश्न नहीं उठता, आपके पास ३८ आदमी ज्यादा हैं, प्रश्न यह है कि संख्या बढ़ाने से सरकार नहीं बना करती है। जब तक जनता का प्रेम आपको प्राप्त नहीं होगा तब तक आप सरकार नहीं चला सकेंगे। कामन्स में भी कहा गया था न्यूमेरिकल वेल्यू से काम नहीं चलता। आज बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा है। १९५१ में जो बेरोजगारी थी, ३ लाख ८२ हजार लोग बेकार थे, आज १९६१ में आप को ताज्जुब होगा यह जानकर कि २१ लाख लोग बेकार हो गये। यानी १९५१ से लेकर १९६१ तक ६० फीसदी बेकारी बढ़ती जा रही है। इसका उत्तर मैं चाहता हूं और इसलिये चाहता हूं कि जनतंत्र प्रेम पर चलता है, तोड़ फोड़ से नहीं। माननीय मुख्य मंत्री केवल ३८ आदमियों को लेकर सरकार में बैठे हैं और जनता का स्नेह प्राप्त नहीं है। तो या तो स्नेह प्राप्त करें या विरोधी दलों को बुलायें और कहें कि सरकार बनाओ। माननीय मुख्य मंत्री को यह आश्वासन देना पड़ेगा कि यहां कौन सी उनकी पालिसी है, जिस समय भाषण दिया था, माननीय गुप्ता जी ने कहा था, कुछ नये सुझाव दूंगा प्रशासन को सुधारने के लिये। क्लीन ऐडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा जब विधायकों को प्रलोभन देने का प्रयत्न करेंगे? आज से दो दिन पहले मैं जिलाधीश, नैनीताल से बात कर रहा था, मैंने कहा कि मैं कल का मुख्य मंत्री हूं और तुम चीफ सेक्रेटरी हो अगर मेरे में ईमानदारी होगी तो तुम स्वतः सही तरीके से काम करोगे। अतः हमको जनता के सामने आइने की तरह साफ बन कर आना होगा।

कल मुझे बड़ा दुख हुआ जिस समय भुखमरी का भाषण हो रहा था उस समय माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि जो मर गया वह मर गया। वह मुख्य मंत्री जो कामरेड कहा जाता था

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

उनके मुख से यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। जनता का चुना हुआ एक प्रतिनिधि कहे कि जांच होनी चाहिये और मुख्य मंत्री कहें कि जिलाधीश ने जो कहा वह सही है। तो क्या हम जिलाधीश से भी नीचे हैं? एक विधायक को डी० एम० से नीचे रख कर प्रशासन नहीं चल सकता है।

आज प्रदेश कहां जा रहा है यह नेशनल काउन्सिल आफ ऐप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च ने अपने सर्वे रिपोर्ट में लिखा है :

"इट इज एचुवअल फैक्ट दैट उत्तर प्रदेश टु डे इज वन आफ दी पूएरेस्ट स्टेट्स इन इंडिया।"

२० साल के बाद भी उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान में सबसे गरीब प्रान्त है। किसके ऊपर इसका उत्तरदायित्व है? प्रान्त पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है इसका उत्तर दायित्व किस पर है? राज्यपाल का भाषण सरकार की पौलिसी होती है और माननीय गुप्ता जी अपने मुंह मियां मिठ्ठू बनना चाहते हैं। अभिभाषण में कहा गया है कि "जैसा कि आप जानते हैं, श्री चन्द्रभानु गुप्त के नेतृत्व में नयी सरकार ने केवल तीन दिन पूर्व प्रशासन की बागडोर संभाली है।" यानि अपनी पीठ माननीय मुख्य मंत्री स्वयं ठोक रहे हैं। इसकी क्या जरूरत थी जब और लोग ठोकने वाले हैं। यह भाषण नहीं हुआ। केवल सरकार की नीति इसमें होनी चाहिये थी और आज यह बात कहना चाहता हूं कि लगान, मालगुजारी की बात कही गयी। महात्मा गांधी ने और औरों ने कहा था कि जमीन जो जोते वह राजा लेकिन आपने अपनी मिल्कियत कायम रखने के लिये लगान कायम रखा। लार्ड डलहौजी, कार्नवालिस तथा दादाभाई नौरोजी ने कहा कि लगान लेना किसी सरकार के लिये कलंक की बात है। आप पूरी मालगुजारी खत्म कीजिये और बड़े बड़े मिल मालिकों पर टैक्स लगाइये।

८ सितम्बर, १९५० को राष्ट्रपति ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सम्बन्ध में घोषणा की लेकिन इस प्रदेश के लिये कुछ नहीं हुआ। खटीमा तहसील, सितारगंज तहसील, टनकपुर, बाजपुर, गूलरबीज और लखीमपुरखीरी में थारू और बोक्सा लोग रहते हैं उनको कोई भी सुविधायें नहीं मिल रही हैं, उनको बेदखल किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि पहाड़ी राज्य मत बनाइये, नागा स्टेट मत बनाइये। पहाड़ से ही चन्द्रभानु गुप्त जीतकर इस हाउस में बैठे हैं। वह देखें कि आज पहाड़ की हालत कितनी खराब है? २५ लाख आदमी त्राही-त्राही कर रहा है। उसे आटा दो, रोटी दो। रानीबाग में ५ जवान गोली से मार दिये गये लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हुयी। सीमा पर थाकलाकोट पर ४ डिवीजन सिपाही चीन के मौजूद हैं और आपके अधिकारियों ने १९५२ में रिपोर्ट दी थी कि

"Red Star is looming on the horizon and poverty is great ally to communism."

मैं नहीं चाहता कि आप पहाड़ी स्टेट बनाइये या नागा स्टेट बनाइये लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि सब्सिडाइज्ड रेट्स पर आप वहां चीजें भेजिये और नैनीताल की तराई से लेकर पिथौरागढ़ के एरिया को बार्डर एरिया डिक्लेयर कीजिये जैसा कि उन्होंने, श्रीमती सुचेता कृपलानी जब

(इस समय ३ बजकर ३३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

चीफ मिनिस्टर थीं तब कहा था। सीमा का असंतोष अगर यह सरकार दूर नहीं कर सकी तो यह सरकार नहीं बच सकेगी। नेहरू जी से यु० एन० ओ० में जब पूंछा गया कि चीन के पास जो इलाका है वह पहाड़ी है, उसमें घास फूस भी नहीं उग सकती तब तुम इस इलाके का क्या करोगे। उस समय उन्होंने उत्तर दिया था कि अगर एलास्का की पहाड़ियों पर रूस ने हमला कर दिया तो तुम क्या करोगे। यह सरकार या तो दस्तीफा दे अथवा बार्डर एरिया को अकाल-ग्रस्त घोषित करे। पाकिस्तान की लड़ाई में १,६०० आदमी मारे गये। प्रदेश की आबादी ८ करोड़ है। पहाड़ की आबादी २ लाख है जिसमें ४०० आदमियों ने बलिदान दिया तो क्या कम त्याग किया? पंडित नेहरू ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद ही कहा था कि

[श्री प्रतापसिंह]
यह देश खेती से ही चल सकता है। इस सरकार को वही काम करना चाहिये। अमेरिका के तीसरे प्रेसीडेंट टामस जफरसन ने कहा है

"Cultivators of earth are the most valuable citizens. They are the most vigo rous, the most independent, the most virtuous and they are tied to their country and wedded to its liberty and interest by the most lasting bonds. Our Government will remain virtuous as long as they are agricultural."

उस प्रेसीडेन्ट ने कहा था कि वही सरकार चल सकती है जो किसानों को प्राथमिकता दे। आप मुझे ४, ५ मिनट का समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष---

आज मैं चाहता हूं कि समय के लिये आग्रह न करें। आप एक दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री प्रतापसिंह---

यह प्रदेश उद्योग में कितने पीछे है ? केवल ८ फी सदी यहां की आमदनी उद्योग से होती है। जहां तक पर कैपिटा की बात है, वह केवल २९७ रु० है, यानी सारे देश से ११ फीसदी कम।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे ऊपर ८ अरब २८ करोड़ रुपया का कर्ज है। राज्यपाल के अभिभाषण में इस कर्जे को कम करने के लिये कोई बात नहीं कही गयी। भ्रष्टाचार को कम करने के लिये कोई बात नहीं कही गयी, बेरोजगारी को दूर करने के लिये कोई बात नहीं कही गयी, भूमिहीनों के लिये नहीं कहा गया। आज स्टेट में कंपयूजन है। पांच लाख कर्मचारियों से जो सरकार का वायदा है वह कब पूरा होगा ? इसलिये मुझे भरोसा है कि मुख्य मंत्री जी इस राज्यपाल के अभिभाषण पर वे सब बात स्पष्ट करेंगे और जो पहाड़ी जनता से चुन कर वे यहां आये हैं जो पर्वतीय राज्य चाहती है, मैं पर्वतीय राज्य नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं वहां की सुख सुविधा के लिये वहां का औद्योगिकरण चाहता हूं। चाहता हूं कि वहां हार्टीकल्चर बढाया जाय। वहां किल्हा फैक्टरी जो सन् ६१ में चलनी चाहिये थी उसका मालिक इसलिये मर गया कि वह सम्पूर्णानन्द जी का दोस्त था जिस से यह सरकार नाराज हो गई और आज भी वह फैक्टरी नहीं चली।

इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के अभिभाषण का, जो माननीय गुप्त जी की सिर्फ प्रशंसा है, जिसमें गरीबी को मिटाने के लिये कोई भी सुझाव नहीं है विरोध करता हूं।

श्री राजबहादुर (जिला सीतापुर)---

परमादरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करने के हेतु खड़ा हुआ हूं। मैं कुछ कहूं इसके पूर्व आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस सुअवसर पर प्रस्ताव के ऊपर बोलने का अवसर दिया।

जो चर्चा सदन में हुई उसको मैंने ध्यान से सुना और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसमें वे सब बातें निहित हैं जिनका विरोध में उल्लेख किया गया है। किन्तु मैं आपके माध्यम से उन विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिनका कहना मेरे लिये परमावश्यक है। मैं जानता और मानता भी हूं कि ये सारी बातें जो आज विद्यमान हैं, चाहे इस पक्ष की ओर से कही गयी हों या उस पक्ष की ओर से कही गयी हों, बातें बड़े जोर से कही जाती हैं, सुनने में भी अच्छी लगती है, किन्तु उसका हल क्या है ? यह हम सब को मिल कर सोचना और समझना होगा। कुछ उत्थान की बात कही जाती है, कहीं पहाड़ की बात होती है तो कहीं ५रब की बात होती है। सभी बातें हैं, लेकिन उनका अपना अपना स्थान है। एक ही बात है और वह यह है कि यह खराबी दूर होनी है।

मान्यवर, अधिक अन्न उत्पादन की बात है, खाद्य समस्या का निदान कैसे होगा? हल क्या होगा? क्या ट्यूबवैल और नहरों का बन जाना ही काफी है? अपितु उनकी मूलें बनाना, पानी को ठीक तरह से खेतों में लगाना तथा समय से सारी चीजों को इकट्ठा करके किसानों तक पहुंचाना है। उनको अच्छे बीज और अच्छी खाद देना है। इसी तरीके से दूरी और समस्यायें हैं। शासन पद्धति में या व्यवहारिक रीति से आवागमन के लिये जन मार्गों का होना परम आवश्यक है।

मैं सीतापुर, जो प्रदेश का एक जनपद है, वहां से आता हूं। सीतापुर भारतवर्ष में मूंगफली के लिये अपना एक प्रमुख स्थान रखता है उसमें भी मिश्रिख तहसील एक विशेष स्थान रखती है। यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि देश में यह अपना दूसरा स्थान रखता है। किन्तु आवागमन की दृष्टि से वहां के किसान इससे वंचित हैं। वहां मूंगफली के क्षेत्र में सड़कें नहीं हैं। इसी तरह से अन्न की समस्या है। उसी तरह से अन्य समस्यायें भी आप ही आ जाती हैं जैसे हड़ताल की तथा दूसरी समस्यायें हैं। मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह सब क्यों है? इस का कोई अर्थ तो है और वह यह है कि इस समस्या का हल निकालना है। अगर वह सही है तो इससे पहले ही हल निकालना है और ध्यान दिलाने पर तो जरूर निकालना चाहिये। लेकिन दिलाने ध्यान के बाद और वातावरण के विपरीत होने पर हल निकालना अच्छा नहीं दिखाई देता है। विरोधी दल के लोगों ने बहुत लम्बी चौड़ी बातें कहीं हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि रामचरित मानस में यह चौपाई "पर उपदेश कुशल बहुतेरे" बड़े अच्छे ढंग से कही गई है। यह उनके ऊपर चरितार्थ होती है। अगर वह कार्य करने बैठें तो उनकी दिनचर्या में भी सारी बातें ऐसी ही लगती हैं कि वह क्या कर सकते हैं और कैसे करना चाहते हैं? मेरा कहना यह है कि अगर करना है तो हम सब को मिल कर करने की बात जिससे देश में और समाज में एक ऐसा वातावरण बने कि जिन कमियों की ओर हमारा ध्यान है और जिधर हम सोचते हैं, तत्काल या शनैः शनैः वह नष्टप्राय हो जायं और समाज में एक सही वातावरण बने और शासन में एक व्यवस्था आये जिसके लिये शासन है और हम यहां सदन में आये हैं और अपने विचार समय समय पर व्यक्त करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में सारी बातें निहित हैं जो आवश्यक हैं। एक बात तर्क के लिये पर्याप्त है और हर शख्स कह सकता है कि अमुक मंत्रि हैं, अमुक नहीं अमुक को प्राथमिकता मिलनी चाहिए अमुक को नहीं। इसके लिए अनेक प्रमाण अनेक ढंग से प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राज्यपाल महोदय, सम्बोधन का समर्थन करता हूं।

चौधरी शंकर सिंह (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि माननीय राज्यपाल के सम्बोधन में मैंने जो संशोधन रखा था उसके लिये मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। इस सदन में हो रही चर्चा को कल से मैं सुन रहा हूं और इसके साथ ही साथ माननीय राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है उसको मैंने बहुत गौर से पढ़ा है। इसको पढ़ कर मुझे सिवाय दुख के और कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। मैं समझता था कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ ऐसी बातें होंगी जिनसे इस प्रदेश की गरीब जनता को कुछ राहत मिलेगी, जनसाधारण को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उसमें कोई ऐसा जिक्र नहीं किया गया है जिसमें गरीबी, भुखमरी, बढ़ती हुई मंहगाई, खाद्य समस्या का भी हल हम को मिलता हो। इससे पहले की मैं संशोधन के बारे में कुछ कहूं, मैं माननीय राज्यपाल के भाषण में कुछ मुख्य बातों की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल ने कहा कि जो अभी चुनाव सम्पन्न हुआ वह पक्षपात रहित और स्वस्थ परम्पराओं से बड़ा शान्तिपूर्ण हुआ। अधिकारियों की बड़ी सराहना की गयी। जनता ने बड़े शान्तिपूर्ण ढंग से मतदान किया। मैं उस चीज को मानता हूं। लेकिन उसका श्रेय अधिकारियों को नहीं। उसका श्रेय सरकार को नहीं। उसका श्रेय इस प्रजातन्त्र की जनता को है, जिसके दिल में जनतंत्र की भावनाएं घर कर चुकी हैं। जहां तक स्वस्थ परम्पराओं का

[चौधरी शंकरसिंह]

सवाल है, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पिछले चुनावों में जिला परिषद् , ब्लाक, और समाज कल्याण की जीपों का दुरुपयोग कांग्रेसी मिनिस्टरों और उनके साथियों ने किया है। हां, एक बात जरूर है, जब हम देखते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि इस देश की प्रधान मंत्री हैं, अगर वह चुनाव के सिलसिले में एअर फोर्स के हवाई जहाजों का इस्तेमाल कर सकती हैं तो उत्तर प्रदेश के मिनिस्टरों ने सरकारी जीपों का इस्तेमाल कर लिया तो शायद बेजा बात नहीं की। जहां तक अधिकारियों की बात है मैं अपने यहां की हालत अच्छी तरह जानता हूं। वही बात दूसरी जगह रही होगी। जिला जालौन में कांग्रेसियों के इशारों पर सैकड़ों बन्दूकों के लाइसेंस दे दिये गये, जिन लोगों ने विरोधियों का साथ दिया उन पर दफा १०७ के मुकदमें वगैर पुलिस विभाग की रिपोर्ट के चलाये गये। जिन सभापतियों ने विरोधियों का साथ दिया उनको वगैर किसी कारण के मुअत्तल कर दिया गया। अगर यही स्वस्थ परम्पराएं हैं तो कांग्रेस की सरकार ने जरूर स्वस्थ परम्पराएं अपनायी हैं।

हमारे जिले का दुर्भाग्य है कि जिला परिषद के प्रेसीडेंट कांग्रेसी हैं। वहां जिला परिषद् के मास्टरों को खुले आम एलान था कि अगर अपनी पोलिंग स्टेशन से कांग्रेसियों को हारने दिया तो उनका तबादला ५० मील दूर कर दिया जायगा। उसका नतीजा यह निकला कि जिला परिषद् के मास्टरों ने खुले आम कांग्रेस की तरफ से कनवैसिंग किया। असेम्बली के चुनाव के लिये और वर्कर मिल सकें, इसके लिए करीब १०० मास्टरों की जगहें निकाली गयीं और सिर्फ तीन महीने के लिए टेम्पोरेरी अप्वाइंटमेंट किये गये। यही स्वस्थ पराप्पराएं हैं? इन सब रवैयों से कांग्रेसी सरकार ने अपनी असलियत खोल दी है। राज्यपाल महोदय ने जो सवाया लगान छोड़ने की बात कही उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन उसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ सवाया लगान समाप्त करना ही काफी नहीं है। हमारे सामने पंजाब की मिसाल है। वहां पर पांच एकड़ तक लगान हटाने की घोषणा सरकार कर चुकी है। यह सरकार मानती है कि सवा छः एकड़ तक जोत अलाभकर है। बुन्देलखण्ड में दो एकड़ जमीन अन्य जिलों के एक एकड़ के बराबर मानी जाती है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह भी इस सदन में घोषणा करें कि बुंदेलखंड में साढ़े बारह एकड़ और सारे प्रान्त में सवा छ एकड़ तक की जोत का लगान माफ कर दिया जायगा।

श्रीमन्, आज की असली समस्या खाद्य समस्या है। इसका हल ढूढ़ना सरकार का मुख्य कर्तव्य है। इसके कई कारण हैं। लेकिन उनमें से एक यह भी कि सीलिंग होने के बाद से किसानों में वह जोश जो कि पहले खेती करने में रहता था नहीं है। किसान समझता है कि सीलिंग के जरिये उसकी जमीन खींच ली गयी। आज ४० एकड़ पर सीलिंग हुई है, कल तीस एकड़ पर हो सकती है और परसों २० एकड़ पर हो सकती है। उसका स्वामित्व जमीन पर पक्का नहीं है। किसी भी वक्त वह समाप्त हो सकता है। उसका नतीजा यह हुआ कि जो बड़े बड़े इनवेस्टमेंट किये जाने चाहिए, जो जमीन मांगती है, जैसे ट्यूबवेल लगाया जाय, फेंसिंग की जाय, फार्म हाउस बनाया जाय, आज किसान उस को करने के लिए तैयार नहीं है। मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि वह इस चीज की घोषणा करे जो जमीन शेष है उस पर किसान का स्वामित्व पूरा है। उसमें सरकार कभी दखलअन्दाजी नहीं करेगी।

राज्यपाल महोदय ने अच्छे किस्म के बीजों का जिक्र किया। मैं मानता हूं कि अच्छे किस्म के बीजों से मैक्सिकन व्हीट, हाइब्रिड ज्वार से पैदावार बढ़ाई जा सकती है। सौभाग्य से मैं भी एक किसान हूं। इन बीजों का मैंने भी तजुर्बा किया है। इस साल मैंने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल आफिसर के कहने से आठ एकड़ भूमि में हाइब्रिड ज्वार बोई। उनके कहने से ही छः बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से फर्टिलाइजर भी डाला और हाईब्रिड ज्वार जो साढ़े ग्यारह रुपये किलों के हसाब से आती है उसको बोया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर पन्द्रहवें दिन वह स्प्रे करवाएंगे केमिकल्स का और उसमें तीन चार बार घोल डाला जायगा। यह सुविधाएं सरकार द्वारा बिना पैसे के मिलेंगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि १५ रोज, २० रोज, २५ रोज हो गये, जब मैंने देखा कि

कोई स्प्रे नहीं हुआ तो ऐग्रीकल्चरल आफिसर को खटखटाया। उन्होंने प्लान्ट आफिसर को खटखटाया। उन्होंने काम करने वालों को खटखटाया। मैं भड़भड़ाता रहा और वह भी लटखटाते रहे नतीजा यह निकला कि जब तक वह स्प्रे करने आते सारी की सारी फसल खत्म हो चकी थी क्योंकि वह ज्वार देशी ज्वार की अपेक्षाकृत जल्दी कीड़े पकड़ती है। उसमें जो बीज बोया था वह भी वापस नहीं मिल सका। लेकिन सरकारी आंकड़े कहते होंगे कि आठ एकड़ हाइब्रिड ज्वार बोयी गयी जिसमें काफी अच्छी फसल हुई होगी। ऐग्रीकल्चरल आफिसर ने कहा कि इस ज्वार में अरहर, तिल आदि कुछ नहीं बोया जाता। अगर मैंने देशी ज्वार बोई होती और वह नष्ट हो जाती तो कम से कम अरहर, तिल और दूसरी फसलें तो मिल जातीं। वही तजुर्बा मैक्सिकन व्हीट के बारे में सहना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकलचर आफिसर के कहने पर २५ एकड़ जमीन में मैंने लरमारोजा बोया। पानी की कमी थी, सूखे का दौर था, नहरें इतना पानी नहीं दे पा रही थी, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद मुझको यह पक्का विश्वास और आश्वासन दिया गया कि आप इतने रकबे में यह बीज बोएं आप को पूरा पानी मिलेगा नहीं तो ट्यूबवेल तैयार करेंगे। बोरिंग का समान बम्बई से जिला जालौन को चल चुका है, १५ दिन के अन्दर आप के यहां आ जाएगी, आप जल्दी से कुवें को खुदवायें, उसमें बोरिंग कर दी जाएगी। किन्तु श्रीमन्, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरा सारे का सारा मैक्सिकन व्हीट इन्वेस्टमेंट बेकार गया और बोरिंग रिग जो बम्बई से आनी चाहिये थी वह समय पर नहीं आई। वह अभी १० दिन पहले जालौन में आ सकी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि किसान का सारा इन्वेस्टमेंट और परिश्रम सरकार का सारा सहयोग न मिलने के कारण बेकार हो जाता है।

श्रीमन्, हमारे यहां सिंचाई के जो साधन हैं, वे बेतवा नहर में डाले हुये बांध हैं। यह नहरें वहीं से निकाली गई हैं माताटीला बांध से, यह वही बांध है जो ३० करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है और जिसको बनाते वक्त बुन्देलखंड की जनता को सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि उस बांध के बन जाने के बाद बुन्देलखंड स्वर्ग हो जाएगा, सिंचाई की जरा भी परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माताटीला बांध बन जाने और उसके नीचे दो-दो बांध होने के बावजूद भी जिला जालौन और झाँसी में सिंचाई का कोई समुचित प्रतिबन्ध नहीं हो पाया है। वहां पानी की अत्यन्त किल्लत है, वहां के लोग पानी के लिये इस तरह से लड़ते हैं जैसे कुत्ते हड्डी के लिये लड़ते हैं। इसके कारण न जाने कितनों की जाने गयी, कितनी फौजदारियां हुयीं। क्योंकि माताटीला बांध में पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? पानी इसलिये नहीं था कि पानी बरसा नहीं, बरसात हुई नहीं। बल्कि पानी इस लिये नहीं था कि अधिकारियों ने उदासीनता और असावधानी दिखाई। जब पानी बरसा तो उन्होंने कहा कि आखिरी समय में भर लेंगे अभी जल्दी क्यों हो। किन्तु जब आखिर में पानी नहीं बरसा तो वह बिना पानी भरे पड़ा रहा और जिसका नतीजा यह निकला कि हजारों एकड़ भूमि बगैर बोई रह गई। मैं मांग करता हूं कि इस तथ्य की जांच कराकर ऐसे उदासीन अधिकारियों पर कार्यवाई की जाय ताकि इस दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो।

श्री अध्यक्ष—

अब आप का समय समाप्त। (फिर भी बोलने का प्रयास करने पर) मैंने आप को वैसे ही तीन मिनट का अधिक समय दिया है। अब आप बैठें, चार बजे हैं और अगला कार्य लेना है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आए हैं, उसमें से दो मैं सम्बन्धित मंत्री महोदयों के पास उचित कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं। वे हैं,—एक है माननीय हुकुम सिंह और माननीय [illegible] राम के हस्ताक्षरों से। चेचक विभाग में वैक्सीनेटर्स को जिनकी संख्या दो हजार के करीब बताते

[श्री अध्यक्ष---]

हैं, नौकरी से निकाला जा रहा है उसके विषय में यह है। बिलकुल उसी प्रकार का एक और माननीय मधुकर दिये और माननीय अश्वनी कुमार जी का है। दोनों में एक ही बिषय हैं। इसके अतिरिक्त .....

श्री अश्वनी कुमार (जिला गोरखपुर)---

उन्हें नौकरी से निकाला नहीं जा रहा है, निकाल दिया गया है, दो हजार वैक्सीनेटर्स अपने काम से हाथ धो बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष---

यदि यह स्पष्टीकरण आप पहले से कर देते तो मुझे इसे भेजने की जरूरत ही न पड़ती। यदि निकाल दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि यह प्रश्न भूतकाल का हो गया है और भेजने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री अश्वनी कुमार---

यह श्रीमन् कैसे कहा जा सकता है, इसका सम्बन्ध तो....

श्री अध्यक्ष---

देखिये हर प्रस्ताव पर यहां पर बहस करना उचित नहीं होगा। उसमें जो अधिकाधिक गुंजायश थी आपके लक्ष्य की पूर्ति के लिये, उसको ध्यान में रखते हुये, मैंने उसे मंत्री महोदय के पास उनका ध्यान आकर्षित करने और आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया। इससे अधिक यह विषय आज्ञा नहीं देता था।

श्री अश्वनी कुमार---

श्रीमन्, मैं एक सूचना देना चाहता हूं जिस दूसरे प्रस्ताव के बारे में आपने कहा कि उसका विषय भी पहले जैसा है। तो विभाग एक ही हो सकता है जिससे वह सम्बन्धित हो लेकिन विषय एक नहीं है इसलिये कि वहां चेचक से मौतें हो चुकी हैं और हो भी रही हैं और इतनी जबर्दस्त महामारी मेरे जिले के बांसगांव तहसील में और उसके कुछ इलाकों में फैली हुई है कि बहुत सी मौतें हो रही हैं। इसलिये उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

मैं फिर यह ध्यान दिलाऊंगा कि मैंने जो कहा था कि लगभग एक सा है वह बिल्कुल ठीक है। चेचक उन्मूलन योजना से सम्बंधित दोनों है, तो दोनों लगभग एक ही विषय के हैं उनको समाप्ति के फलस्वरूप हुई हैं और दोनों उसी के परिणामस्वरूप हैं।

श्री हुकुमसिंह (जिला आगरा)---

मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा .....

श्री अध्यक्ष---

आप को सीधे माननीय मंत्री से जानने का अधिकार नहीं है। कैसे जानना चाहेंगे.....

श्री हुकुम सिंह---

आप के माध्यम से जानना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष---

जी नहीं, मैं स्वयं नियमों से बंधा हुआ हूं और सारा सदन बंधा हुआ है। आपने मेरा ध्यान कामरोको प्रस्ताव के द्वारा आकर्षित किया और जो कारण आप ने उसमें दिये उसके कारण

वह नहीं आ सकता था लेकिन फिर भी आप की भावनाओं और उसके थोड़े से महत्व को समझते हुए उसको सिर्फ आवश्यक कार्यवाही के लिये माननीय मंत्री के पास स्वयं भेज दिया।

श्री अश्वनीकुमार—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था की बात इस समय नहीं है। कृपया इस बात को समझ लें कि व्यवस्था हर बात में नहीं उठ सकती है। व्यवस्था अगर मैं दूं तो उसमें व्यवस्था का प्रश्न कभी नहीं उठता। मैं विनम्रता के साथ प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य कृपया नियमों को जरा अपने सामने रखें। मैं आशा करता हूं कि उन्होंने उन को अवश्य पढ़ा होगा लेकिन उन को सामने भी रखें और यदि सामने रखें तो मुझे विश्वास है कि आप को संतोष होगा कि यह नियम संगत है जो मैंने किया है। फिर भी कभी यदि उन को आभास हो कि ऐसी बात नहीं है तो मुझसे आकर बातचीत कर लें।

नैनीताल में चीना पहाड़ धंसने व तालाब में पानी कम हो जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ में मेरे पास काफी संख्या में कदाचित् ११ या १२ सूचनायें आयी हैं जिनको विभिन्न कारणों से अस्वीकृत कर दिया है और उनको मैंने ऊपर लिख दिया है। कई एक तो उसी विषय से सम्बन्धित हैं जिस पर सदन में ३ तारीख को चर्चा होने वाली है। मैं माननीय सदस्यों से आगे के लिये प्रार्थना करूंगा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है और जिन बातों पर उसमें चर्चा हो सकती है वह नियम ५१ या कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकतीं। इन दो में से एक सूचना को सम्बन्धित मंत्री के पास केवल वक्तव्य के लिये मैं भेज रहा हूं। यह माननीय रामदत्त जोशी और माननीय प्रतापसिंह जी के हस्ताक्षरों से आयी है। इसमें है "नैनीताल में अकस्मात् चीना पहाड़ के धंसने व नैनीताल के तालाब में पानी कम हो जाने से वहां की ३० हजार जनता में संदेह और आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया है और इससे समस्त प्रदेश के पर्यटकों में भी चिन्ता व्याप्त हो गयी है। इससे उत्पन्न परिस्थिति पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं" तो इसपर स्वायत्त शासन मन्त्री जी कब वक्तव्य देंगे? कल दे दें, यदि सम्भव हो।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

कल तो नहीं हो सकेगा, तीन तारीख को होगा अगर आप आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, तीन तारीख को वक्तव्य दे दें।

नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

इसके अतिरिक्त मेरे पास एक और नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना आई थी माननीय सरदार सिंह की, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उत्तर प्रदेश के पच्छिमी जिलों में सूखे तथा अन्य बीमारी के कारण गन्ने की पैदावार को हानि पहुंची है और गन्ने की बुआई का सीजन प्रारम्भ हो रहा है परन्तु किसानों को बीज प्राप्त करने के लिये अत्यन्त कठिनाई हो रही है। इस तरह के विषय उसमें हैं। इसको मैंने सम्बन्धित मंत्री के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया है।

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

श्रीमन्, मैंने भी एक प्रस्ताव नियम ५१ में आपके पास भेजा है वह उस गल्ले के सम्बन्ध में है जो सड़ा गल्ला आगरा में वितरित किया जा रहा है। जो गल्ला आगरा में सस्ते गल्ले की दुकानों पर दिया जा रहा है वह बिलकुल सड़ा हुआ है। उसको पशु भी नहीं खा सकते हैं और जिसको देख कर आंसू आजाते हैं। मेरे पास उस गल्ले की पोटली मौजूद है और मैं उसको सदन के समक्ष नमूने के लिये रख सकता हूं। इस गल्ले में आधे से अधिक धूल मिली हुयी है और इतना सड़ा हुआ है कि इसमें बदबू आती है। यह गल्ला इस तरह का आगरे की समस्त दुकानों पर बिक रहा है। इसलिये इस पर आप विचार करें .....

श्री अध्यक्ष—

ध्यान आकर्षित करने का यह तरीका उचित नहीं है कि बीच में खड़े हो कर कोई बात कहनी शुरू कर दी जाय। जो बात आपने कही वह ठीक हो सकती है। माननीय रमाशंकर अग्रवाल जी की सूचना मुझे प्राप्त हुई थी और उसको भी मैंने खाद्य मंत्री जी की सेवा में विशेष ध्यान देने हेतु भेज दिया है। इसका कारण यह है कि यह अविलम्बनीय महत्व की नहीं है। स्थानीय महत्व की हो सकती है किन्तु मैं इसको नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार नहीं कर सकता।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

यहां की यह परम्परा रही है कि जब मैं इस आसन से कोई सूचना दूं तो उस समय कोई माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े न हों।

एक दूसरी सूचना मेरे पास माननीय मुल्कीराज जी ने भेजी थी। जिसमें यह कहा गया है कि गन्ना कर्मचारी संघ, सहारनपुर के अध्यक्ष ने एक नोटिस सरकार के सम्बन्धित उच्च अधिकारियों एवं मंत्री को दिनांक २१ मार्च, १९६७ को प्रस्तुत कर यह अपील की है कि यदि दिनांक ३ अप्रैल, १९६७ तक गन्ना कर्मचारियों की मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया तो ४ अप्रैल, १९६७ से जिला गन्ना अधिकारी, सहारनपुर के समक्ष प्रदर्शन किया जायगा। इसको भी मैंने जरूरी कार्यवाही के लिये सम्बन्धित मंत्री के पास भेज दिया है।

मैं सदन से पुनः यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि अभी नये सत्र का सूत्रपात है तो कृपया यह परम्परा अवश्य रखें और इन बातों पर अवश्य ध्यान रखें। मुझे रोज-रोज पुनरावृत्ति करना पड़ती है। नियम ५१ के अन्तर्गत एक ही प्रश्न लिया जा सकता है चाहे कितने भी प्रश्न आयें। उसके लिये कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों को पूरा करना हमारे लिये आवश्यक है। इस समय सदन के समक्ष राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विशेष विवाद चल रहा है। खाने की समस्या पर विवाद के लिये एक दिन निश्चित है, उस दिन इन बातों पर विवाद हो सकता है। तो ये सब कठिनाइयां सामने हैं नियमों के अन्तर्गत जितनी अधिक से अधिक आज्ञा मिल सकती थी उससे कुछ ज्यादा भी मैंने आपकी इच्छा के अनुरूप करने की कोशिश की है। अगर यह परम्परा शुरू हुई कि हर माननीय सदस्य, जिसने नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना दी है, वह खड़ा हो कर प्रश्न पूछे, तो ठीक नहीं होगा। अगर उसके बाद भी इस तरह से कोई माननीय सदस्य भाषण देगा, बिना मेरे बुलाये, तो फिर वह प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं बनेगा ....

कई सदस्य—

एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—

आप माइक का प्रयोग करें और एक एक करके अपनी बात कहें।

श्री [illegible] (जिला बाराबंकी)—

हम तीन सदस्य, राम सेवक यादव जी तथा राम आसरे जी घटना स्थल पर जाकर निरीक्षण किये हैं इस बाराबंकी में ननकुई की घटना का। उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई यही हम जानना चाहते ह ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप यह जानने के लिये प्रश्न कर सकते हैं, अल्प सूचित प्रश्न कर सकते हैं, अथवा मंत्रियों को लिख कर पूछ सकते हैं। मैं तो नियम ५१ में एक सूचना ही लूंगा भले ही मेरे पास कितनी ही आयी हों। मैं एक ही सूचना को स्वीकार करूंगा। अगर आप हर एक के लिये इस प्रकार अलग अलग पूछने लगेंगे तो वह अनुचित होगा।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

मैं नियम ५१ के बारे में ही कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पिछली असैम्बली की बैठकों में अध्यक्ष महोदय ने एक व्यवस्था दी थी कि वे एक तो स्वीकार करते हैं लेकिन बाकी नियम ५१ के प्रश्नों को मंत्रियों के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

कल आप मुझे वह व्यवस्था दिखला दें तो म बात कर लूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

कल प्रदेश में चेचक की रोकथाम के लिये मैंने एक दिया था। एक हजार से ज्यादा लोग प्रदेश में चेचक से मर चुके हैं। मंत्री जी बतावें कि स्थिति क्या है और वे इस बारे में क्या कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

आपको बड़ा भारी अधिकार है अल्प सूचित प्रश्न करने का। फिर भी मैंने उसे आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया है। जो आप चाहते हैं वह तो हो गया।

श्री उग्रसेन—

मंत्री महोदय, स्थिति क्या है वह बतावें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो विषय आंशिक रूप से मैं अस्वीकार कर चुका हूं उसके बारे में व्यक्तिगत जानकारी न आपको करने का अधिकार है और न मुझे उसे बताना ही चाहिये।

(व्यवधान)

विधान सभा में मैं और आप सब नियमों की परिधि में बंधे हुये हैं। अब कोई प्रस्ताव सामने नहीं है जिसमें कोई संशोधन मांग सकूं या कोई दूसरा करे। आप आवश्यक समझें तो माननीय मंत्री जी को पत्र लिख सकते हैं ..... (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैंने उसको देखा है, अधिक से अधिक जगहों का जिक्र है, अगर उसके बाद कोई बात रह जाय तो प्रश्नों द्वारा साफ करें। (व्यवधान) अब आप कृपा करके आसन गृहण करें।

श्री उग्रसेन—

नियम ५१ और कामरोको प्रस्ताव १५ मिनट में आपने निपटा दिये, यह तो बड़ी जल्दी हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

यह आपका अनग्रह है।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधक बोर्ड के लिए नामांकित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—

मुझे दो सूचनायें देनी हैं। एक यह कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के प्रबन्धक बोर्ड के दो सदस्यों के निर्वाचनार्थ जो नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त हुये थे उनकी सूक्ष्म परीक्षा नियत समय पर की गई और सब नाम-निर्देशन पत्र ठीक पाये गये हैं। नामों की वापसी के लिये ३१ मार्च, १९६७ के सायंकाल ३ बजे तक का समय नियत है, अतः यदि उपरोक्त नामांकित अभ्यर्थियों में से अतिरिक्त नाम ३१ मार्च, १९६७ के सायंकाल ३ बजे तक वापस न ले लिये गये तो निर्वाचन संबंधी मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार १ अप्रैल, १९६७ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ४ बजे के बीच अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायगा।

नाम यह हैं—

(१) श्री कामता सिंह (बलिया), (२) श्री टम्बेश्वर प्रसाद (सीतापुर), (३) श्री धर्मराज सिंह (हरदोई), (४) श्री प्रतापसिंह (नैनीताल), (५) श्री बैजनाथ (बलिया), (६) श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (गोरखपुर), (७) श्री रामप्रसाद देशमुख (अलीगढ़), (८) श्री वीरेन्द्र वर्मा (मुजफ्फरनगर), (९) श्री सुक्खन लाल (मुरादाबाद)।

सदन में विभिन्न दलों की स्थिति के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना मुझे और देनी है। नये निर्वाचन के फलस्वरूप जो स्थिति विभिन्न दलों की इस सचिवालय को ज्ञात हुयी है वह निम्न प्रकार है—

कांग्रेस—१९८, भारतीय जनसंघ—९७, संयुक्त समाजवादी दल—४४, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी—११, स्वतंत्र पार्टी—१२, कम्युनिस्ट पार्टी—१४, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी—१, रिपब्लिकन पार्टी—९, निर्दलीय—३७, योग = ४२३।

इसके उपरान्त कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य श्री दरबारी लाल की मृत्यु हो गयी तथा एक निर्दलीय सदस्य श्री बद्री प्रसाद अवस्थी ने यह सूचित किया कि उन्होंने जनसंघ की सदस्यता स्वीकार कर ली है। सर्वश्री सरयू प्रसाद त्यागी तथा प्यारे लाल शर्मा ने सूचित किया है कि वे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हो गये हैं। इसके पूर्व वे रिपब्लिकन पार्टी में थे। इस प्रकार अब कांग्रेस के १९७, जनसंघ के ९८, सं० सो० पार्टी के ४६, रिपब्लिकन पार्टी के ७ और निर्दलीय सदस्य ३६ रह गये हैं।

२१ मार्च, १९६७ को मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ जिस पर विभिन्न विरोधी दलों के नेताओं के हस्ताक्षर हैं और जिसके द्वारा मुझे यह सूचित किया गया कि विधान सभा के सदस्य गैर सरकारी दलों—अर्थात् जन संघ, संयुक्त समाजवादी दल, प्रजा समाजवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, कम्युनिस्ट (मार्क्सिस्ट), स्वतंत्र पार्टी, हिन्दू महा सभा, सोशलिस्ट पार्टी तथा निर्दलीय विधायक दल के समस्त सदस्यों ने अपने को एक दल के रूप में संबद्ध करते हुये संयुक्त विधायक दल का निर्माण किया है। जिसके नेता माननीय रामचन्द्र विकल हैं। उस पत्र के अनुसार जो विभिन्न विपक्षी दलों की स्थिति बतायी गयी है वह इस प्रकार है—पहले मैंने जो स्थिति बताई थी वह निर्वाचन के आधार पर थी, यह उनके पत्र के आधार पर है—

जनसंघ—९८, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी—४५, कम्युनिस्ट पार्टी—१४, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी—११, रिपब्लिकन पार्टी—७, कम्युनिस्ट पार्टी मार्किस्ट—१, स्वतंत्र पार्टी—१०, हिन्दू महा सभा—१, सोशलिस्ट पार्टी—१, निर्दलीय विधायक

दल—१८, । इन सब का योग २०६ होता है । इस पत्र पर श्री टम्बेश्वर प्रसाद, श्री उग्रसेन, श्री प्रतापसिंह, श्री झारखंडेराय, श्री अख्तर आलम खां, श्री असरार अहमद, श्री चन्द्रबली सिंह, श्री अवैद्यनाथ, श्री हरिश्चन्द्र सिंह तथा श्री रामचन्द्र विकल के हस्ताक्षर हैं ।

इसके बाद मेरे पास कांग्रेस दल से यह सूचना प्राप्त हुयी है कि दल के निर्वाचित सदस्य १९८ हैं जिनमें एक की मृत्यु हो गई है । २४ सदस्यों ने लिखित समर्थन दे दिया है और एक नाम निर्देशित सदस्य ने भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर ली है । इस प्रकार उनकी सदस्य संख्या २२२ होती है । इसके अतिरिक्त ६ सदस्यों ने मौखिक रूप से कांग्रेस दल को समर्थन करने का आश्वासन दे दिया है । इस प्रकार कांग्रेस दल की संख्या २२८ और संयुक्त विधायक दल के सदस्यों की संख्या २०६ होती है । दोनों को जोड़ दें तो सदस्य संख्या ४३४ हो जाती है, जब कि इस समय सदन में केवल ४२३ सदस्य हैं । इस अन्तर के कारण मैं यह उचित समझता हूं कि दोनों दल अपने अपने सदस्यों के हस्ताक्षर करा कर मुझे सूचित कर दें, जिससे स्थान आदि की उचित व्यवस्था करने में मुझे सहायता मिले । (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

जो संयुक्त विधायक दल के लोग हैं उनके हस्ताक्षर की लिस्ट आपको मिली है ?

श्री अध्यक्ष—

मुझे कोई ऐसी लिस्ट नहीं मिली है ।

श्री रामचन्द्र विकल—

हर दल के नेता की लिस्ट है । कांग्रेस की तरफ से भी आपकी सेवा में जो पत्र आया है वह माननीय नेता सदन की तरफ से ही आया होगा । आवश्यक यह हो जाता है कि जो भी माननीय सदस्य कांग्रेस की सदस्यता को छोड़कर संयुक्त विधायक दल में आये वे, तथा जो भी कांग्रेस की सदस्यता स्वीकार करें, वे सभी आपको लिख कर दें कि वे अपना दल छोड़ कर अमुक दल की सदस्यता स्वीकार करते हैं । जब वे सदस्य आपको लिख कर दे दें, तब आप उसकी विधिवत् घोषणा यहां कर दें जो लोग विरोधी दल छोड़कर कांग्रेस में शरीक हो गये हैं उन्हीं से आप लिखित सूचना मांग लें, यही उचित होगा ।

श्री अध्यक्ष—

मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने नियमों का अच्छी तरह से अध्ययन किया है । (व्यवधान) मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कहीं मेरे लिये न तो इस विषय में सूक्ष्म परीक्षा करना आवश्यक है और न इसको जानना ही आवश्यक है और उसको यहां बताना भी मेरे लिये नितान्त आवश्यक नहीं है । लेकिन माननीय सदस्यों की इच्छा का आदर करते हुये मैंने जो स्थिति थी वह यहां रखी । मेरा कर्तव्य यह है कि माननीय सदस्यों के लिये मैं एकामोडेशन का प्रबन्ध करूं । आपको यह पता होगा कि इस सदन में कुल जितनी सीट्स हैं वे जितने माननीय सदस्य हैं उनसे कम हैं । (व्यवधान) मैंने यह चाहा है कि दोनों दलों के नेता यदि मेरे पास लिखित सूचना उनके हस्ताक्षरों के साथ, माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर कराकर भेज दें तो वह मेरे लिये सहायक होगा ।

(श्री राम नरेश शुक्ल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न उनसे पहले का है । मुझे पहले व्यवस्था मांगने का अवसर मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं। मैंने आपको इसके बाद देखा था। जब मैंने इधर देखा तो वह बात मेरे ध्यान में नहीं थी।

श्री राम बरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं और वह यह है कि हाउस आफ कामन्स में नियम है कि जब अध्यक्ष बोलते हैं तो उस समय कोई भी सदस्य खड़े हो कर बोल नहीं सकता और न प्रश्न कर सकता है। तो माननीय अध्यक्ष अभी आप बोल रहे थे तो....

श्री अध्यक्ष---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, साधारण नियम है। मैं अपेक्षा करता हूं कि सब इसका पालन करेंगे।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

संसदीय परम्परा में केवल लोक सभा से लेकर विधान सभा तक निर्वाचन कमीशन की रिपोर्ट मान्य होती है। मैं ऐसा समझता हूं। आपने जैसे कहा कि हमको इस डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। आज तक हमारा विधान सचिवालय सीधे इलेक्शन कमीशन से सूचना प्राप्त करता रहा है और उन सूचनाओं को निर्वाचित सदस्यों के आवास और पतों के साथ छपवाता रहा है। यह मैंने आपकी सूचना के लिये बता दिया है। बहुत दिन पूर्व एक विरोधी दल के विधायक ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की सूचना भूतपूर्व माननीय अध्यक्ष को दी थी लेकिन वह उस समय तक स्वीकृत नहीं समझी गयी जब तक कि उसकी स्वीकृति वहां से नहीं आ गई। मैं आपकी सुविधा के लिये यह बात बता रहा हूं कि कांग्रेस दल और संयुक्त विधायक दल के नाम से दो दल हैं। इसके अलावा जो समर्थक दल हैं वह निर्दलीय रूप में ही घोषित किया जाना चाहिये। मैं मानता हूं कि निर्दलियों का समर्थन कभी कभी एक दूसरी तरफ भी हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि समर्थक सदस्यों को कांग्रेस दल के साथ जोड़कर जो कंफ्यूजन इस समय हो गया है नम्बर में वह निश्चित रूप से पीठासीन माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से नहीं आ सकता? व्यवस्था में यह चाहता हूं कि जहां तक दलों की स्थिति है और इसके अलावा जो निर्दलीय सदस्य शेष रहेंगे वे किसका समर्थन करेंगे यह अपनी रुचि के अनुसार निश्चित करते रहेंगे। लेकिन जब तक कांग्रेस दल उनकी सदस्यता स्वीकार न कर ले तब तक वे उसके सदस्य नहीं हो सकते। जहां तक हमारे दल का सम्बन्ध है उन्होंने निश्चित रूप से सदस्यता स्वीकार की है। समर्थक दल का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिये। वे स्थिति साफ करें कि वे निर्दलीय हैं। आपको इतनी घोषणा करना आवश्यक है। १९७ कांग्रेस दल, २०६ संयुक्त विधायक दल, शेष समर्थक को, चाहे वे जो करें.....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

आपको यह भी सोचना होगा कि मौखिक सदस्यों को कहां तक स्थान देंगे। आपके पास ऐसे व्यक्तियों के दस्तखत सशरीर आपके कमरे में पहुंचा दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष---

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने जो बात उठायी है वह इस हद तक ठीक है कि यहां का जो कार्यालय है उसके पास एलेक्शन आफिस से सूचना आती है। एलेक्शन आफिस से जो सूचना आयी है उस सूचना को मैंने पढ़ दिया और वही सूचना हमारे लिये बिलकुल मान्य है। उसके बाद जैसे जैसे सूचना आती रहती है, मैं उसकी घोषणा करता हूं। संयुक्त विधायक दल ने मेरे पास सूचना भेजी, कांग्रेस दल ने भी मेरे पास सूचना भेजी और मैंने उसकी घोषणा कर दी इसके अतिरिक्त न तो मेरा कर्तव्य है और न मेरे अधिकार क्षेत्र में ही है कि उसका मैं कोई सूक्ष्म परीक्षण करूं। लेकिन इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रह जाय, मैंने शासक दल और

विरोधी दल दोनों से यह अपेक्षा की है कि यदि वे मेरे पास लिखित नाम हस्ताक्षर के साथ भेज दें तो यह कंफ्यूजन न रह कर स्थिति स्पष्ट हो जायगी और मुझे स्थानों के आबंटन करने में इस से काफी सुविधा मिलेगी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि यह सदन की परम्परा रही है कि जो माननीय सदस्य किसी दूसरी पार्टी से अपना सम्बन्ध जोड़ते हैं वे लिखकर स्वयं सूचना आपको दे देते हैं । तो जब तक कोई व्यक्ति अपने आप आपको सूचना न दे तब तक किसी पार्टी के कहे जाने पर आप उसे सदस्य नहीं मान सकते ।

श्री अध्यक्ष—

आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं । जो सिद्धांत की बात आप उठाते हैं उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं तथा उसको स्वीकार करते हुये ही मैंने यह मांग की है कि सब लोग अपने हस्ताक्षर के साथ मेरे पास लिख कर भेज दें और उसी को मैं अधिकृत सूची समझूंगा ।

श्री रामचन्द्र विकल—

अध्यक्ष महोदय, शायद मैं अपनी बात आपको नहीं समझा सका । आप जिस हस्ताक्षर की बात चाहते हैं उस पर राज्यपाल महोदय के यहां यही झगड़ा हुआ । आपको सूक्ष्म परीक्षा तो किसी न किसी शक्ल में करनी ही पड़ेगी । जब किसी माननीय सदस्य को चाहे वे इधर के हों, चाहे उधर के हों, जिसको भी स्थान बदलना हो, अपनी पार्टी बदलनी हो, वे स्वयं आपको लिखित दें कि मैं इस दल को छोड़ कर उस दल में जा रहा हूं और उन्हीं को आप मानें और जब तक कोई लिखित न दे तब तक आप उसे मान्यता न दें ।

श्री अध्यक्ष—

आपने जितनी बातें कहीं सिद्धान्ततः उस घोषणा में जो मैंने अभी सुनायी, सब निहित हो जाती हैं । मैं यही चाहता हूं कि सब लोग लिखित मेरे पास चाहे स्वयं भेजें, चाहे नेता विरोधी दल भेजें, चाहे नेता सदन भेजें । या अगर कोई माननीय सदस्य सीधे मेरे पास भेजता है तो उसको भी मैं सूचना मान लूंगा ।

श्री रमाशंकर अग्रवाल—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो सदस्य दोनों तरफ हस्ताक्षर करेंगे उनके बारे में आपका क्या निर्णय होगा ? मेरे कहने का मतलब यह है कि राज्यपाल महोदय के यहां कुछ सदस्यों ने दोनों सूचियों में हस्ताक्षर कर दिये थे—कांग्रेस दल की सूची में भी और विरोधी दल की ओर से दी गयी सूची में भी, तो ऐसी स्थिति यहां भी उत्पन्न हो सकती है कि कुछ सदस्य दोनों तरफ हस्ताक्षर कर दें, तो फिर कैसे निर्णय किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

राज्यपाल महोदय, और मेरे कर्तव्यों में बहुत अन्तर है । राज्यपाल महोदय, सरकार बनाते हैं और सरकार बनाने के लिये निमंत्रण देते हैं जब कि मेरे सामने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रश्न है, उसमें किसी पक्ष के कितने सदस्य हैं. उसकी परीक्षा की बात मेरे सामने आती है । इसीलिये मैंने कहा कि राज्यपाल में और मेरे कर्तव्यों में बहुत अन्तर है । मैं चाहता हूं कि मेरे पास नेता सदन और नेता विरोधी दल अपनी अपनी सूची अपने दल के सदस्यों के हस्ताक्षर कराके भेज दें ।

श्री रमाशंकर अग्रवाल—

क्या ऐसे सदस्यों के नाम मान्यवर प्रकाशित करेंगे जो दोनों सूचियों में हों ?

श्री अध्यक्ष---

मैं किसी हाइपाथैटिकल बात को जो सम्भावना पर आधारित हो इस समय निश्चित नहीं कर सकता।

श्री बिपिन विहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---

आपके माध्यम से कुछ भ्रम पैदा हो गया है। संयुक्त विधायक दल की ओर से आप को २०६ सदस्यों की सूची दी गई है।

श्री अध्यक्ष---

मेरे कार्यालय को कोई सूची नहीं मिली है। यही मिला है कि योग २०६ है।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी---

दोनों का योग ४३४ हो गया। तो कैसे आप ने भ्रमपूर्ण सूचना यहां दे दी?

श्री अध्यक्ष---

मुझे खेद है कि आपने मेरी सारी घोषणा को सुना नहीं। जो सूचना मुझे प्राप्त हुई उसे मैंने सुना दिया। मैंने अपनी तरफ से उसका कोई परीक्षण नहीं किया और न निष्कर्ष निकाला। चूंकि उसमें अन्तर था इसलिये मैंने प्रार्थना कर दी कि दोनों पक्ष के लोग हस्ताक्षर कराके मेरे पास भेज दें तो अच्छा हो।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, इस प्रश्न का सीधा सम्बन्ध दलीय अनुशासन से भी है। अगर कोई माननीय सदस्य सीधे आप के पास लिख कर भेजता है तो उसमें दलों को अपने आन्तरिक अनुशासन में कठिनाई हो सकती है। एक दल ने अपने आन्तरिक अनुशासन के नाम पर किसी सदस्य को निकाल रखा है...

श्री अध्यक्ष---

ठीक है। अगर कोई माननीय सदस्य मुझे कोई सूचना सीधे भी देंगे और अगर किसी पार्टी से उनका संबंध हुआ तो मुझे उस दल के नेता से परामर्श करना होगा।

श्री टंडन प्रसाद---

मेरा निवेदन इस बात पर आधारित था कि कांग्रेस दल की सदस्य संख्या में आपने समर्थक नाम और जोड़ दिया है। समर्थक सदस्यों में बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कांग्रेस दल ने स्वयं वर्षों के लिये अलग कर दिया हो। समर्थक सदस्य निर्दलीय सदस्य हैं, वे समर्थन चाहे जिसका भी करें। पीठासीन अधिकारी समर्थक सदस्यों की घोषणा नहीं बल्कि निर्दलीय सदस्यों की कर सकता है और जो दल बने हैं उनकी कर सकता। और जो दल बनाये गये हैं उनके बारे में तो सभी को जानकारी है। हमारे पूर्व अध्यक्षों के कुछ निर्णय हैं। कदाचित् उनको आप ने देखा नहीं है। उनको अगर आप देख लेंगे तो आप का भ्रम दूर हो जायगा। जो किसी पार्टी में नहीं होते उनको केवल निर्दलीय की संज्ञा दी जाती है। इस तरह से दूसरा नाम देकर कांग्रेस की गिरी हुई स्थिति को ठीक करने की कोशिश न कीजिये।

श्री अध्यक्ष---

भ्रम कहां है और किसका है, यह मैं नहीं जानता। मैंने आदरपूर्वक पिछले माननीय अध्यक्षों के निर्णयों का अध्ययन किया और नियमों का भी अध्ययन किया, उसके बाद मैंने आप को यह सूचना दी। मैं नहीं समझता कि ठीक बात बता देने के कारण कोई भ्रम पैदा हो गया हो। मैंने अपनी तरफ से कोई सूचना नहीं दी है। जो सूचना मेरे सामने आयी, मैंने

सदन को उससे अवगत करा दिया। चूंकि उसमें कुछ भ्रम की आशंका थी, इसलिये मैंने यह कह दिया कि मेरे पास दोनों दलों की ओर से लिखित आ जाय।

श्री महेश कुमार (जिला मुरादाबाद)—

मैं आप से निवेदन यह करना चाहता हूं कि अब तक यह व्यवस्था रही है कि जो जिस पार्टी से जीत कर आया है उसको उसी पार्टी में गिना जाता है। यह ठीक है कि दोनों ओर से जो सूचना आप को दी गई है उसको आपने सदन को दे दिया। अपनी ओर से आपने कुछ नहीं कहा। निर्दलीय सदस्यों में से क्या किसी सदस्य ने आप को यह सूचित किया है कि वे किसी विशेष दल में शामिल हो गये हैं? माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधीदल ने अपने अपने स्वार्थ के कारण उनके नामों को अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया है। आप तमाम सदस्यों से अलग अलग कहें कि वे अलग अलग आप को लिख कर भेज दें।

श्री अध्यक्ष—

अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी तो ऐसी व्यवस्था भी की जा सकती है कि हम लोग अनौपचारिक रूप से कभी कभी बाहर भी मिल लिया करें। एक ही बात की पुनरावृत्ति जब कोई माननीय सदस्य करते हैं तो बड़ी कठिनाई हो जाती है। केवल निर्दलीय सदस्य की मुझे सूचना मिली, उनका नाम पढ़ कर मैंने सुना दिया दो रिपब्लिकन सदस्यों की सूचना को भी मैंने सुनाया। दूसरी तरफ माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधीदल की ओर से जो सूचनायें मुझे मिलीं उनको भी पढ़ कर सुना दिया। उसके बाद भी किसी को कोई भ्रम रहा तो दूसरी बात है।

श्री राम दत्त (जिला नैनीताल)—

कांग्रेस पार्टी की ओर से जो सूचना दी गयी है उनकी संख्या के बारे में, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि उस संख्या में कांग्रेस दल ने अध्यक्ष महोदय को भी शामिल किया है या नहीं?

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल मुझसे नहीं उठता। जिन्होंने उस लिस्ट को भेजा है उनसे उठाया जा सकता है कि उन्होंने मुझे उसमें शामिल किया है या नहीं। जो निर्वाचन वाली संख्या है उसमें मेरा नाम जरूर शामिल होगा।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

इस सम्बन्ध में मैं एक सूचना चाहता हूं। आपने अभी बताया कि आपको केवल इसलिये इस संख्या की जानकारी की आवश्यकता है कि आपको सीटों का अलाटमेंट करना होता है। इसलिये भी आप को जानकारी करनी पड़ती है कि आप के पास जो कमरे हैं उनका अलाटमेंट भी आप को करना होता है। इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहूंगा कि सोशलिस्ट, प्रजासोशलिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी तथा जनसंघ ने अपने अपने क्या कमरे छोड़ दिये हैं और केवल एक संयुक्त विरोधीदल के नाम से कमरा प्राप्त किया है और उसके लिये केवल एक हिवप और एक नेता की आप को सूचना दी है या अलग अलग कमरे प्राप्त किये हैं?

श्री अध्यक्ष—

आज परिस्थितियां जो हमारे सामने हैं वे बहुत जटिल हैं इसलिये परम्परा, व्यवहारिकता और सुविधा को देख कर हमें इस विषय में निश्चय करना है, यह प्रश्न अभी विचाराधीन है और कोई निश्चय अभी मैंने नहीं लिया है।

श्री उग्रसेन—

अगर माननीय कृष्णानन्द राय जी की यह मंशा है कि हम कमरे छोड़ दें तो हम छोड़ देंगे, हम संयुक्त विधायक दल नहीं तोड़ेंगे, कमरे अवश्य छोड़ सकते हैं।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

आप की सूचना के लिये श्रीमन्, मैं बता दूं कि जो कमरे हमें प्राप्त हैं वह बहुत कम संख्या के आधार पर प्राप्त हैं, अब तो जब कांग्रेस दल का कमरा हमें प्राप्त होगा तभी वह काफी हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

अभी १५ मिनट का समय शेष है, इसलिये मैं चाहता हूं कि अब जो वादविवाद चल रहा था वही जारी हो ।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

आप के द्वारा हम सरकार से एक सूचना चाहते हैं और वह यह कि कल ३१ तारीख है और वह बजट का अन्तिम दिन है। हमें सूचना प्राप्त हुई है कि माननीय मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों की अपनी कुछ ग्रान्ट्स को और दूसरों की ग्रान्ट्स को खामख्वाह लेप्स कराने की एक योजना चल रही है जिन से कि उनका राजनैतिक मन्तव्य सिद्ध नहीं होता।..

श्री अध्यक्ष—

इसका यह समय नहीं है और किसी नियम के अन्तर्गत मैं उनको ऐसी कोई सूचना देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता हूं। अगर मन्त्री जी कुछ कहना चाहते तो खड़े हो गये होते, मैं उन को रोकता नहीं ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला आगरा)—

श्रीमन्, यह जो सूचना आप ने नेता सदन और नेता विरोधी दल से मांगी है, मैं चाहता हूं कि उसके लिये कोई समय निश्चित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये मैंने समय निश्चित नहीं किया है और दोनों नेता अपनी सुविधानुसार अपनी सूची भेज सकेंगे ।

श्री रघुनाथसिंह—

मैं चाहता हूं कि समय अवश्य निश्चित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता, दोनों नेता जिम्मेदार हैं जैसा उचित समझेंगे करेंगे ।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

नेता स्वेच्छा से मिलेंगे या आप के कमरे में मिलेंगे, आप ही दोनों को बुला लें ।

श्री अध्यक्ष—

जैसा आवश्यक होगा, किया जायगा ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री राजबहादुर—

राज्यपाल महोदय के भाषण को हमने सुना और हमें उसको पढ़ने का मौका मिला और मैं समझता हूं कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में गागर में सागर वाली जो बात है उस को चरितार्थ किया है और उन तमाम चीजों को ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

थोड़ा सा समय है, विषय गम्भीर है माननीय सदस्य शांतिपूर्वक सुने या जाना चाहें तो शांति से जांय।

श्री राज बहादुर--

तो इस अभिभाषण में उन सारी चीजों की व्यवस्था है जिन की आवश्यकता थी और जो कार्य सूबे में हो रहे हैं उन के बारे में स्पष्ट रूप से तमाम बातें इसमें बतलाई गई हैं। अभी यहां पर खाद्य के बारे में चर्चा उठाई गई और माननीय सदस्यों ने यहां तक कह डाला कि नई किस्म का बीज जो किसानों को दिया गया उस का भी उल्टा परिणाम हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी किसान हूं और स्वयं खेती करता हूं और मैं सच कहता हूं कि यदि हमें भी नये किस्म का उन्नत बीज दिया गया और अगर इन चीजों से यदि सही तरीके से उचित ढंग से खेती की जाय तो गल्ले की पैदावार में क्रान्तिकारी वृद्धि हो जायगी और हमें न अमेरिका से न अन्य किसी दूसरे देश से गेहूं लेने की आवश्यकता होगी। अभी यहां पर ताइचुंग नेटिव की धान की किस्म की बात कही गयी। यह धान हमने भी बोया था और हमारे जिलों में १०१ मन प्रति एकड़ के हिसाब से धान पैदा हुआ। कुछ किसानों को ग्राम सेवकों ने भी बीज दिया लेकिन वहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहां पर जो धान पैदा हुआ उस को देख-कर हमारे यहां के किसानों में एक प्रकार की होड़ लगी हुई है। तो यह कहना कि नये प्रकार के बीजों से खेती में कोई उन्नति नहीं हुयी, सही नहीं है।

बिजली से हम तमाम काम ले सकते हैं लेकिन अगर उसका गलत प्रयोग किया जाय तो उससे झटका भी लग जाता है। तो इसमें बिजली का दोष नहीं है बल्कि उसके प्रयोग का दोष है।

चुनाव के विषय में यहां पर बहुत सी बातें कही गयी। मान्यवर, जो जो बातें चुनाव में हुयीं, वे बड़ी ही शर्मनाक हुयीं। जो लोग समाजवाद की बात करते हैं, उन्होंने देखा कि गरीब किसानों को डंडे के बल से रोक दिया गया उनसे कहा गया कि तुम किसको वोट दोगे। डर के मारे उन्होंने कहा कि हम वोट आप को देंगे। इस तरह के दबाव, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से अपनाये गये और गरीब किसानों को वोट देने से वंचित किया गया। यहां तक कि हम लोगों की सभाओं में तरह तरह के उपद्रव कराये जाते थे लेकिन हमारी पार्टी की ओर से यही आदेश थे कि शांतिपूर्वक अपनी मीटिंग्स करो। अभी हाल में मेरे जिले में पिपरा राम लाल गांव को लूट लिया गया और घर जला दिए गये। वहां पर बहुत सी गाएं-बैल और भैंस मर गयीं। जब उस गांव में लूटने को कुछ नहीं बचा तब पास के दूसरे गांव जिसका नाम झैरैया है, लूटा गया, और यहां आ कर ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। हम अपनी सरकार को भी कहते हैं कि उसके होते हुये छोटे छोटे किसानों को स्वतन्त्र वोट देने से वंचित किया और उन्हें वोट देने की सुविधा नहीं मिल पायी। बड़े बड़े जमींदारों ने बन्दूक और लाठी लेकर किसानों को वोट न देने पर मजबूर किया लेकिन उन लोगों ने विरोधी दल के झंडे लगा कर कांग्रेस को वोट दिया। इस तरह से बातें हुईं। एक नन्यूतम कार्य-क्रम पर जो विरोधी दलों में समझौता हुआ है मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि स्वतन्त्र पार्टी के लोग यह कह कर कि हम सब मिल कर चाहते हैं कि हम बड़े को बड़ा और छोटे को छोटा करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो यह कहते हैं कि हम सब को मिलाकर एक करना चाहते हैं वे सब एक न्यूनतम कार्यक्रम में मिल गये। मैं तो यह कहूंगा कि अगर वे फिर जनता के सामने जायें, इस्तीफा देकर, तो उन्हें वास्तविकता का पता चल जायगा। मान्यवर, जो निर्दलीय विधायकों के ऊपर प्रलोभन की बात की जाती है मैं तो कहता हूं कि विरोधी पक्ष के सब लोग स्वतः प्रलोभन के शिकार हो गये और इसीलिये सब लोग मिल गये, वोट देने वालों के साथ उन्होंने वादा खिलाफी की है और कुर्सी के प्रलोभन में पड़ कर ऐसी बातें कह डालीं।

एक माननीय सदस्य ने कहा, युद्ध के बारे में बात कर रहे थे, और हंस कर कहा कि गुल्ला डडा था। जिस देश की सीमा पर मुद्ध हो रहा था, हजारों मातायें और बहनें अपने पुत्र और भाई से विहीन हो गईं, उस को कहा जा रहा है कि गुल्ली डडा था। जिन बहादुरों ने पैटन टैंक को ध्वस्त किया वह अपने शौर्य के बारे में ऐसी संज्ञा सुन कर क्या सोचेंगे। उस बहादुरी को गुल्ली डंडे की सज्ञा दी जा रही है।

यह बात सही है कि हम सब लोग चाहते हैं कि बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो, सरकार को उस तरफ कदम बढ़ाना जब बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होगा तो मिल मालिक को पैसा लगाने की धुन नहीं होगी। इसलिये सरकार को बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। जो संशोधन का प्रस्ताव आया है उस में स्पष्ट रूप से कहा गया है, एक तरफ तो राष्ट्रीयकरण की बात कही और दूसरी तरफ यह कहा गया कि जिस का राष्ट्रीयकरण है उस पर प्राइवेट बसें चलें। ऐसी विरोधी बातें सयुक्त दल की दरफ से कही जा रही हैं। मैं चाहूंगा कि संयुक्त विधायक दल को कम से कम विवेक की बात करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
३० मार्च, १९६७।

बी०एस०यू० पी०—ए० पी०—१२ एल० ए० १९६७—८४६।